



मेन्स आंसर राइटिंग

संग्रह

नवंबर
2025



अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1.....	3
● इतिहास.....	3
● भूगोल.....	7
● भारतीय विरासत और संस्कृति.....	9
● भारतीय समाज.....	11
सामान्य अध्ययन पेपर-2.....	16
● राजनीति और शासन.....	16
● अंतर्राष्ट्रीय संबंध.....	23
सामान्य अध्ययन पेपर-3.....	31
● अर्थव्यवस्था.....	31
● जैव विविधता और पर्यावरण.....	40
● आंतरिक सुरक्षा.....	46
सामान्य अध्ययन पेपर-4.....	49
● केस स्टडी.....	49
● सैद्धांतिक प्रश्न.....	60
निबंध.....	72

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



SCAN ME

UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



SCAN ME

दृष्टि लर्निंग
ऐप



SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में राज्य-प्रेरित औद्योगीकरण और केंद्रीकृत नियोजन पर विशेष बल दिया गया। आर्थिक विकास और राज्य के हस्तक्षेप के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर लेनिन की नई आर्थिक नीति (1921) के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण :

- स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकल्पों को संदर्भित रखकर शुरुआत कीजिये।
- लेनिन की नई आर्थिक नीति (एन.ई.पी.) का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत कीजिये।
- भारत के आर्थिक विकास और राज्य के हस्तक्षेप पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।
- निष्कर्ष में इसकी विरासत और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव की चर्चा कीजिये।

परिचय:

जब भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तब उसे एक गहन रूप से गरीब, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जिसमें औद्योगिक क्षमता कम और सामाजिक असमानता प्रबल थी। इन संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने के लिये भारत ने राज्य-प्रेरित औद्योगीकरण और केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन का मॉडल अपनाया, जिसमें वैश्विक समाजवादी प्रयोगों, विशेषतः वर्ष 1921 की लेनिन की नई आर्थिक नीति (एन.ई.पी.) से बौद्धिक प्रेरणा ली गई।

मुख्य भाग:

लेनिन की नई आर्थिक नीति (1921)

- 1921 में, लेनिन ने सोवियत अर्थव्यवस्था को क्रांति के बाद के पतन से बचाने के लिये नई आर्थिक नीति (एनईपी) पेश की। यह नीति युद्ध साम्यवाद से रणनीतिक वापसी का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसमें समाजवादी नियंत्रण को सीमित पूंजीवादी प्रथाओं के साथ मिलाया गया था।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- भारी उद्योग, बैंकिंग और विदेशी व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण।
- लघु-स्तरीय कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प में निजी उद्यम एवं बाजारों को अनुमति दी गई।
- दीर्घकालिक औद्योगीकरण का मार्गदर्शन करने के लिये केंद्रीकृत नियोजन तंत्रों की स्थापना।
- राज्य के निर्देशन के माध्यम से आधुनिकीकरण पर जोर, न कि दबाव के माध्यम से।
- इस प्रकार, नई आर्थिक नीति (एन.ई.पी.) ने विचारधारा और व्यावहारिकता के बीच संतुलन स्थापित किया, जिसका उद्देश्य क्रमानुसार आर्थिक परिवर्तन लाना था — यह दार्शनिक दृष्टिकोण उपनिवेशोत्तर भारत के योजनाकारों के लिये भी अनुकूल रहा।

भारत के आर्थिक विकास और राज्य हस्तक्षेप पर प्रभाव

- राज्य के नेतृत्व वाला औद्योगीकरण: स्वतंत्र भारत के औद्योगिक नीति प्रस्तावों (1948, 1956) ने NEP के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित किया, जिसके तहत भारी उद्योग, बुनियादी ढाँचा और रक्षा उत्पादन को राज्य के नियंत्रण में रखा गया।
- 'commanding heights of the economy', वाक्यांश, जो मार्क्सवादी-लेनिनवादी संदर्भ से लिया गया था, भारत के विकास दृष्टिकोण का केंद्र बन गया।
- भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम औद्योगिक क्षमता निर्माण में राज्य के नेतृत्व का प्रतीक हैं।
- केंद्रीकृत नियोजन: भारत का योजना आयोग (1950) सोवियत गॉसप्लान (Gosplan) के काफी समान था, जिसने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को निर्देशित करने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के ढाँचे को संस्थागत रूप दिया।
- पी.सी. महालनोबिस द्वारा निर्देशित द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) ने भारी औद्योगीकरण और

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



पूँजीगत वस्तुओं पर बल दिया, जो आत्मनिर्भर आर्थिक क्षमता के निर्माण के लिये राज्य-निर्देशित औद्योगिक विकास पर लेनिन के जोर को प्रतिबिंबित करती थी।

- ❖ **मिश्रित अर्थव्यवस्था और व्यावहारिकता:** लेनिन की NEP की तरह, भारत के योजनाकारों ने शुद्ध समाजवाद की सीमाओं को पहचाना। इसलिये, उन्होंने एक **मिश्रित अर्थव्यवस्था** को अपनाया, जिसने राज्य के विनियमन (regulation) के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी।

🌀 सार्वजनिक और निजी उद्यम का सह-अस्तित्व तथा विदेशी पूँजी की सावधानीपूर्वक स्वीकृति, भारतीय वास्तविकताओं के अनुकूल **लेनिनवादी व्यावहारिकता** को प्रतिबिंबित करती है।

- ❖ **कृषि और सहकारिता:** भारत की ग्रामीण रणनीति ने भी NEP की लोचशीलता (flexibility) से प्रेरणा ली। बलपूर्वक सामूहिकीकरण (forced collectivisation) की बजाय, भारत ने निजी संपत्ति को संरक्षित रखते हुए, **सहकारिता आधारित खेती, भूमि सुधार और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों** को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य-समर्थित कृषि को मजबूती मिली।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

- ❖ यद्यपि भारत ने NEP की राज्य हस्तक्षेप की भावना को लचीलेपन के साथ अपनाया, फिर भी यह **लोकतांत्रिक और गैर-सत्तावादी** बना रहा।
- ❖ हालाँकि, समय के साथ अत्यधिक केंद्रीकरण ने **नौकरशाही अक्षमताएँ, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज और कम उत्पादकता** को जन्म दिया।
- ❖ वर्ष 1980 के दशक तक इस मॉडल की सीमाएँ स्पष्ट हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1991 में **आर्थिक उदारीकरण** हुआ, जिससे NEP-प्रेरित राज्य प्रभुत्व में धीरे-धीरे कमी आई।

निष्कर्ष

लेनिन की नई आर्थिक नीति (NEP) ने एक **नियोजित, राज्य के नेतृत्व वाले और मिश्रित आर्थिक मॉडल** को प्रेरित करके भारत के शुरुआती आर्थिक दर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। फिर भी, भारत ने इन सिद्धांतों को अपने **लोकतांत्रिक, बहुलवादी**

(pluralistic) और **कल्याणकारी** संदर्भ में ढाला। हालाँकि, इस दृष्टिकोण ने औद्योगिक आत्मनिर्भरता और आर्थिक संप्रभुता की नींव रखी, लेकिन इसकी कठोरताओं (rigidities) के कारण अंततः सुधारों की आवश्यकता पड़ी — यह इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि वैचारिक कठोरता की बजाय व्यावहारिक अनुकूलन (pragmatic adaptation) ही लेनिन की NEP और भारत के शुरुआती नियोजन अनुभव दोनों की सच्ची विरासत है।

प्रश्न : स्पष्ट कीजिये कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर किस प्रकार एक निर्णायक परिवर्तन को चिह्नित किया। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ 'भारत छोड़ो आंदोलन' का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत की जाये।
- ❖ तात्कालिक से लेकर पूर्ण स्वतंत्रता की माँग तक हुए राजनीतिक परिवर्तन पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ 'करो या मरो' की भावना के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पर प्रकाश डालिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अगस्त 1942 का **भारत छोड़ो आंदोलन** (Quit India Movement: QIM) भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसा अपरिवर्तनीय और निर्णायक मोड़ था जिसे बदला नहीं जा सकता था। इसने राजनीतिक दिशा के साथ-साथ भारतीय जनता तथा ब्रिटिश शासन के मध्य मनोवैज्ञानिक संबंधों को दोनों को मूलतः बदल दिया, जिससे तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की असंदिग्ध माँग को सुस्पष्ट रूप दिया।

मुख्य भाग

राजनीतिक परिवर्तन: तात्कालिक तथा पूर्ण स्वतंत्रता की माँग

यह आंदोलन पूर्ववर्ती गाँधीवादी संघर्षों की अपेक्षा एक **मूलभूत राजनीतिक परिवर्तन** को अभिव्यक्त करता था। जहाँ पूर्व के प्रयास संवैधानिक सुधारों या अधिशासित राज्य जैसी माँगों तक सीमित थे, वहीं '**भारत छोड़ो आंदोलन**' ने सीधे और बिना किसी शर्त के ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने की माँग की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **स्वतंत्रता का अंतिम आह्वान:** असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलनों के विपरीत, जो औपनिवेशिक शासन के भीतर सुधार या सशर्त सहयोग पर केंद्रित थे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 'भारत छोड़ो' ब्रिटिश सत्ता के मूल प्रश्न पर किसी भी प्रकार की वार्ता या समझौते की संभावना समाप्त कर देता था।
 - 🌀 इसने राष्ट्रीय आंदोलन के तात्कालिक कार्यक्रम में 'पूर्ण स्वराज' (संपूर्ण स्वाधीनता) को स्थान दिया।
- ❖ **विकेंद्रीकृत जन-आंदोलन:** पूरे शीर्ष नेतृत्व (गांधी, नेहरू आदि) की त्वरित गिरफ्तारी के कारण आंदोलन मुख्यतः नेतृत्व-विहीन, स्वतःस्फूर्त तथा विविकेंद्रित रूप में संचालित हुआ।
 - 🌀 इससे स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रवादी भावना ज़मीनी स्तर पर विद्यार्थियों, किसानों, श्रमिकों तथा महिलाओं तक गहराई से पहुँच चुकी थी तथा स्थानीय स्तर पर नेतृत्व संभालने की क्षमता विकसित हो चुकी थी।
 - 🌀 यह ब्रिटिश सत्ता के लिये एक स्पष्ट संकेत था कि केवल नेताओं को कारावास में डालकर शासन को स्थिर रखना अब संभव नहीं।
- ❖ **ब्रिटिश सत्ता में क्षरण:** हिंसा का पैमाना, सरकारी प्रतिष्ठानों (रेलवे, टेलीग्राफ) को नुकसान पहुँचाना और समानांतर सरकारों (जैसे: सतारा में प्रति सरकार, या तमलुक में जातीय सरकार) के उदय ने सीधे चुनौती दी और कई इलाकों में औपनिवेशिक प्रशासन को असमर्थ बना दिया।
 - 🌀 इससे औपनिवेशिक प्रशासन तथा पुलिस के निचले स्तर तक ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा में तेज गिरावट आयी और नियंत्रण कठिन हो गया।
- ❖ **युद्धोत्तर परिदृश्य में परिवर्तन:** यद्यपि वर्ष 1944 तक आंदोलन को कठोर दमन का सामना करना पड़ा, किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के दबावों के बीच इसकी व्यापकता ने ब्रिटिश नीति-निर्माताओं की सोच को मूलतः बदल दिया।
 - 🌀 अंग्रेजों ने महसूस किया कि प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शत्रुतापूर्ण नियंत्रण बनाए रखना लंबे समय तक व्यवहार्य नहीं रहा।
 - 🌀 युद्धोत्तर युग का मुद्दा इस बात से बदल गया कि सत्ता के हस्तांतरण की सुविधा कब और किस प्रकार प्रदान की जाए।

मनोवैज्ञानिक परिवर्तन: 'करो या मरो' की भावना

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय चेतना की एक गहन अभिव्यक्ति थी, जिसने पूर्ववर्ती झिझक और प्रतीक्षा के स्थान पर अंतिम निर्णायक संघर्ष की निर्भीक भावना को जन्म दिया।

- ❖ **'करो या मरो' का मन्त्र:** गाँधी के ऐतिहासिक आह्वान 'करो या मरो' ने जनता में तात्कालिकता और गैर-अभिव्यक्ति की तीव्र भावना जागृत की।
 - 🌀 यह पूर्ववर्ती अहिंसा के धैर्यपूर्ण, क्रमिक दृष्टिकोण से निर्णायक संघर्ष के लिये एक दृढ़ प्रयास की ओर एक सचेत परिवर्तन था, जो दर्शाता है कि लोग अंतिम बलिदान देने के लिये तैयार थे।
- ❖ **आत्मनिर्भरता तथा पहल की भावना:** देश के नेताओं की गिरफ्तारी ने ज़मीनी स्तर पर आत्मनिर्भर चेतना की एक बेमिसाल भावना को जन्म दिया।
 - 🌀 स्थानीय नेताओं, विशेषकर अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और उषा मेहता (जो अंडरग्राउंड कॉन्ग्रेस रेडियो का संचालन करती थीं) जैसे युवा तथा उग्र नेता स्वप्रेरणा से नेतृत्व के केंद्र बन गये।
 - 🌀 इससे आम जनता ने स्वयं को मात्र अनुयायी नहीं बल्कि स्वतंत्रता संघर्ष के सक्रिय नायक के रूप में देखना आरंभ किया।
- ❖ **राष्ट्रीय मनोबल में वृद्धि:** अभूतपूर्व वीरता, जन-अवज्ञा और दमन के बीच आंदोलन के जारी रहने से राष्ट्रीय मनोबल अत्यधिक सुदृढ़ होता गया।
 - 🌀 इसने समाज के विविध वर्गों को एक साझा संघर्ष, त्याग और अनुभव की राष्ट्रीय एकता में बाँधने का प्रयास किया।
- ❖ **संघर्ष की अंतिमता का बोध:** मनोवैज्ञानिक रूप से 'भारत छोड़ो आंदोलन' ने यह स्थापित कर दिया कि अब वापसी संभव नहीं।
 - 🌀 अब आज़ादी की मांग, देश के लिये एक अस्तित्व की मांग बन गई थी। यह दृढ़ संकल्प पूर्ववर्ती आंदोलनों के दौर की ज़्यादा लचीली, आंदोलनों के चरणों की विशेषता वाले संवाद की भावना से बिल्कुल अलग था।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 विफलता के भय को अंतिम संघर्ष की स्वीकृति से बदल दिया गया था।

निष्कर्ष:

‘भारत छोड़ो आंदोलन’ आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विभाजन-रेखा था क्योंकि इसने तत्काल स्वतंत्रता की माँग को अंतिम रूप दिया तथा यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश शासन का भारत में टिके रहना अब अव्यवहार्य हो चुका था। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस आंदोलन ने भारतीय जनता को ‘करो या मरो’ की भावना से सशक्त करते हुए स्वतंत्रता के संघर्ष को अभिजात्य नेतृत्व से आगे बढ़ाकर एक वास्तविक, व्यापक और जन-आधारित क्रांति में परिणत कर दिया। इस प्रकार यह आंदोलन स्वतंत्रता से केवल पाँच वर्ष पूर्व स्वतंत्रता-प्राप्ति की बुनियादी नींव का निर्माण करने वाला निर्णायक अंतिम चरण सिद्ध हुआ।

प्रश्न : 1920 का दशक एकात्मक राष्ट्रवादी संघर्ष से बहु-वैचारिक आंदोलन की ओर परिवर्तन का प्रतीक था। इस दशक के दौरान विविध वैचारिक धाराओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के चरित्र को किस प्रकार प्रभावित किया, इसका परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ 1920 के दशक को भारतीय राष्ट्रवाद के लिये एक परिवर्तनकारी दशक के रूप में प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ इस दशक के दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप को आकार देने वाली विविध वैचारिक धाराओं पर चर्चा कीजिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

1920 का दशक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक परिवर्तनकारी दौर था। जो आंदोलन मुख्य रूप से कॉन्ग्रेस के नेतृत्व में गांधीवादी जन आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे एक व्यापक, बहु-वैचारिक राष्ट्रवादी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। असहयोग आंदोलन की वापसी (वर्ष 1922) में वैश्विक वैचारिक प्रवृत्तियाँ ब्रिटिश दमनकारी नीतियाँ तथा बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असंतुष्टि ने विविध राजनीतिक दृष्टियों के उदय को गति प्रदान की। इन प्रवृत्तियों ने स्वतंत्रता संघर्ष की प्रकृति दिशा तथा गहराई को मूलतः पुनर्रचित किया।

मुख्य भाग:

गांधीवादी जन राजनीति: राष्ट्रवाद के आधार का विस्तार

- ❖ गांधी के नेतृत्व ने इस संघर्ष को जन-आधारित, सहभागी आंदोलन में बदल दिया।
- ❖ सत्याग्रह, अहिंसा, स्वदेशी, खादी और रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर ने किसानों, श्रमिकों, महिलाओं एवं मध्यम वर्ग को व्यापक रूप से संगठित किया।
- ❖ उदाहरण:
 - 🌀 असहयोग आंदोलन (1920-22) ने जाति और क्षेत्र के भेदभाव से परे भारतीयों को एकजुट किया।
 - 🌀 बारदोली सत्याग्रह (1928) ने अनुशासित अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को प्रदर्शित किया।
- ❖ गांधीवादी विचारधारा राष्ट्रीय संघर्ष की प्रमुख धुरी बनी रही, लेकिन अब यह एकमात्र धुरी नहीं रही।

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय: युवा उग्रता

- ❖ असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी के बाद उत्पन्न मोहभंग ने युवाओं को उग्र राष्ट्रवादी मार्ग की ओर प्रेरित किया।
- ❖ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) तथा बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) ने आयरिश और रूसी अनुभवों से प्रेरणा लेकर सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया।
- ❖ उदाहरण:
 - 🌀 काकोरी ट्रेन एक्शन (1925)
 - 🌀 भगत सिंह के नेतृत्व में HSRA का समाजवादी स्वरूप परिवर्तन (वर्ष 1928 का घोषणापत्र)
- ❖ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने औपनिवेशिक शासन के साथ-साथ सामाजिक असमानताओं को भी चुनौती देते हुए वैचारिक उग्रता का संचार किया।

समाजवादी और वामपंथी धाराओं का विकास

- ❖ वर्ष 1917 की रूसी क्रांति और आर्थिक संकटों से प्रेरित होकर समाजवादी विचारों का प्रसार हुआ।
- ❖ छात्रों श्रमिक संगठनों तथा बुद्धिजीवियों के बीच मार्क्सवादी विचारधाराएँ सशक्त हुईं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



उदाहरण:

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (AITUC) वर्ष 1920 ने बंबई और बंगाल में श्रमिक आंदोलनों का नेतृत्व किया।

जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने कांग्रेस के भीतर समाजवादी दृष्टि को सुदृढ़ किया जिससे साम्राज्यवाद-विरोधी विमर्श को बल मिला।

संवैधानिकवाद और उदारवादी राजनीति

- सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन (1923) संवैधानिक विचारधारा के उदय का प्रतीक था।
- इस धारा ने विधान परिषदों में प्रवेश के माध्यम से औपनिवेशिक नीतियों को भीतर से उजागर करने की रणनीति अपनाई।
- नकी बहसों, बजटीय अवरोध और प्रशासनिक आलोचनाओं ने राजनीतिक चेतना को समृद्ध किया तथा ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती दी।

सांप्रदायिक और पहचान-आधारित विचारधाराएँ

- इस दशक में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सांप्रदायिक आंदोलनों का उदय हुआ।
- पृथक निर्वाचिका एवं फूट डालो और राज करो की विभाजनकारी नीतियों जैसी ब्रिटिश रणनीतियों ने धार्मिक राजनीति को और गहरा किया।
- इन घटनाक्रमों ने राष्ट्रवादियों को अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय एकता के मुद्दों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये विवश कर दिया।

दलित अस्मिता और सामाजिक न्याय आंदोलन

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सुधार के प्रश्नों को केंद्र में रखा।
- बहिष्कृत हितकारिणी सभा (वर्ष 1924) और मंदिर-प्रवेश आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की परिभाषा में सामाजिक समानता को सम्मिलित किया।

किसान और श्रमिक आंदोलनों का प्रसार

- उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल और आंध्र जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट आंदोलनों ने राष्ट्रवाद को दैनिक सामाजिक-आर्थिक संघर्षों से जोड़ा।

इन आंदोलनों ने वर्गीय चेतना को सुदृढ़ किया और ज़मीनी स्तर पर जनभागीदारी को गहराई प्रदान की।

निष्कर्ष:

इस प्रकार 1920 का दशक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वैचारिक विविधता का काल सिद्ध हुआ। गाँधीवादी जन-राजनीति क्रांतिकारी उग्रवादी विचारधारा, समाजवादी उन्मुखता, संवैधानिक प्रयास, सांप्रदायिक प्रवृत्तियाँ और सामाजिक न्याय आंदोलनों ने मिलकर राष्ट्रवाद को अधिक व्यापक सामाजिक रूप से निहित एवं वैचारिक रूप से जीवंत बनाया। इसी बहुआयामी विरासत ने वर्ष 1930 के दशक और उसके बाद के निर्णायक जनांदोलनों की आधारशिला रखी।

भूगोल

प्रश्न : मानवजनित और जलवायु संबंधी कारकों के संयोजन से विश्व महासागरों में मृत क्षेत्रों (Dead Zones) का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। इनके कारणों का विश्लेषण कीजिये तथा समुद्री पारिस्थितिकी एवं तटीय अर्थव्यवस्थाओं पर इनके प्रभावों का मूल्यांकन कर नीतिगत स्तर पर व्यवहार्य समाधान प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मृत क्षेत्रों (हाइपोक्सिक जोन) की स्पष्ट परिभाषा देते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- मृत क्षेत्र के विस्तार के कारणों का परीक्षण कीजिये तथा समुद्री पारिस्थितिकी एवं तटीय अर्थव्यवस्थाओं पर उनके प्रभाव का आकलन कीजिये।
- नीतिगत स्तर के समाधान प्रस्तावित कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

हाल के दशकों में डेड जोन अर्थात् मृत क्षेत्रों (हाइपोक्सिक जोन— महासागरों या बड़े जल निकायों के ऐसे क्षेत्र जहाँ घुलित ऑक्सीजन का स्तर अधिकांश समुद्री जीवन को बनाए रखने के लिये आवश्यक सीमा से नीचे गिर जाता है) का तेज़ी से विस्तार हुआ है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ विश्व स्तर पर 415 से अधिक डेड ज़ोन चिह्नित किये जा चुके हैं, जिनमें मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर तथा बंगाल की खाड़ी जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- ❖ इनका विस्तार मानवजनित दबावों और जलवायु-प्रेरित महासागरीय परिवर्तनों के खतरनाक अंतःसंयोजन को दर्शाता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी, तटीय आजीविकाओं तथा वैश्विक पर्यावरणीय संधारणीयता के लिये एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।

मुख्य भाग:

डेड ज़ोन के विस्तार के कारण

❖ मानवजनित कारण:

- ④ पोषक तत्वों का अपवाह (यूट्रोफिकेशन): नाइट्रोजन और फॉस्फोरस उर्वरकों का अत्यधिक कृषि उपयोग, साथ ही सीवेज का निर्वहन एवं पशुधन अपशिष्ट, शैवाल प्रस्फुटन का कारण बनता है। जब शैवाल मरते और विघटित होते हैं, तो ऑक्सीजन का स्तर तेज़ी से गिर जाता है।
 - 🔍 उदाहरण: मिसिसिपी नदी से पोषक तत्वों का बहाव मैक्सिको की खाड़ी के मौसमी डेड ज़ोन का कारण बनता है।
- ④ अशोधित अपशिष्ट जल और औद्योगिक प्रदूषण: बढ़ते तटीय शहरों में अपर्याप्त सीवेज शोधन और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ कार्बनिक अपशिष्ट, भारी धातुएँ और जहरीले रसायन उत्पन्न करते हैं, जो ऑक्सीजन क्षय की प्रक्रिया को तीव्र करते हैं।
- ④ तटीय शहरीकरण और पर्यावास का नुकसान: भूमि पुनर्भरण, निर्माण गतिविधियाँ और ड्रेजिंग के कारण जल निकायों में अवसादन बढ़ता है तथा ज्वारीय प्रवाह बाधित होता है, परिणामस्वरूप प्रदूषक तत्व तटीय जल में फँस जाते हैं।
- ④ अत्यधिक मत्स्यन: परभक्षी प्रजातियों की संख्या में गिरावट समुद्री खाद्य जाल और पोषक तत्वों के चक्रण को प्रभावित करती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र ऑक्सीजन की कमी (हाइपोक्सिया) के प्रति अधिक सुभेद्य हो जाते हैं।

❖ जलवायु संबंधी कारण:

- ④ महासागरीय तापवृद्धि: भू-मंडलीय तापवृद्धि से महासागरों में ऑक्सीजन के क्षय की प्रक्रिया और भी तीव्र हो जाती है, विशेषकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में।
- ④ जल स्तंभ स्तरीकरण: सतही जल के गर्म होने से ऑक्सीजन-समृद्ध ऊपरी परतों और गहन जल के बीच मिश्रण घट जाता है, जिससे हाइपोक्सिक क्षेत्रों का विस्तार होता है।
- ④ समुद्री धाराओं में परिवर्तन और मौसम की चरम स्थितियाँ: मंद समुद्री परिसंचरण और बढ़ती बाढ़ तटीय जल में अधिक पोषक तत्वों का प्रवाह बढ़ाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सुपोषीकरण (यूट्रोफिकेशन) की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है।

समुद्री पारिस्थितिकी पर प्रभाव

- ❖ समुद्री जैव-विविधता की क्षति: कम ऑक्सीजन वाले पानी में मछलियाँ, क्रस्टेशियन और बैंथिक जीव दम घुटकर मर जाते हैं। मछलियाँ, क्रस्टेशियन और बैंथिक जीव ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने से मर जाते हैं।
- ④ उदाहरण: बाल्टिक सागर में मौजूद मृत क्षेत्र के कारण कॉड मछली की संख्या में भारी गिरावट आई है।
- ❖ खाद्य शृंखलाओं का विघटन: तल में रहने वाले जीवों की मृत्यु से पोषण शृंखलाएँ बाधित हो जाती हैं, जिससे हाइपोक्सिया-सहिष्णु (ऑक्सीजन की कमी को सहन करने वाले) आक्रामक प्रजातियों का प्रभुत्व बढ़ने लगता है।
- ❖ प्रवाल भित्ति और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का पतन: भू-मंडलीय तापवृद्धि एवं हाइपोक्सिया (ऑक्सीजन की कमी) का संयुक्त दबाव प्रवाल विरंजन और सी-ग्रास क्षरण को बढ़ाता है, जिससे आवश्यक प्रजनन आवास नष्ट हो जाते हैं।

तटीय अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव

- ❖ मत्स्यन और आजीविका में गिरावट: पारंपरिक मछुआरों की आय में कमी आई है, जबकि वाणिज्यिक मात्स्यिकी दीर्घकालिक अस्थिरता का सामना कर रहा है।
- ❖ पर्यटन पर प्रभाव: प्रवाल की मृत्यु, दुर्गन्धयुक्त जल और मछलियों की सामूहिक मृत्यु दक्षिण-पूर्व एशिया, कैरेबियन तथा

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भारत के कुछ भागों में पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्थाओं को क्षति पहुँचाती है।

- ❖ **आर्थिक नुकसान और खाद्य सुरक्षा जोखिम:** समुद्री प्रोटीन पर निर्भर तटवर्ती देशों को बढ़ती खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। सरकारों को पुनर्स्थापन और स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लिये अधिक लागत का वहन करना पड़ रहा है।

नीतिगत स्तर के समाधान

- ❖ **राष्ट्रीय नीतियाँ: पोषक तत्व प्रबंधन:** परिशुद्ध कृषि, उर्वरक सीमा निर्धारण, आर्द्रभूमि बफर और सीवेज व औद्योगिक अपशिष्ट पर सख्त नियंत्रण।
- ⌚ **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM):** मैंग्रोव पुनर्स्थापन, तटीय भूमि-उपयोग नियोजन और प्रदूषण क्षेत्र निर्धारण।
- ⌚ **अपशिष्ट जल शोधन को सुदृढ़ बनाना:** तटीय शहरों में तृतीयक स्तर पर शोधन अनिवार्य।
- ❖ **अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नीतियाँ:**
 - ⌚ **भू-मंडलीय तापवृद्धि को सीमित करने के लिये सुदृढ़ जलवायु प्रतिबद्धताएँ (NDC)।**
 - ⌚ **बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम** जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग।
 - ⌚ **UNCLOS के अंतर्गत समुद्री स्थानिक योजना और ब्लू इकॉनमी फ्रेमवर्क।**
 - ⌚ **UNEP और IOC-UNESCO के माध्यम से ग्लोबल हाइपोक्सिया मॉनिटरिंग।**
- ❖ **वैज्ञानिक और तकनीकी उपाय:**
 - ⌚ **उपग्रह आधारित शैवाल प्रस्फुटन का पता लगाना।**
 - ⌚ **स्वायत्त महासागरीय ऑक्सीजन सेंसर।**
 - ⌚ **आर्द्रभूमियों और सूक्ष्मजीवी संघों के माध्यम से जैव-उपचार।**

निष्कर्ष:

मृत क्षेत्र (डेड जोन) का विस्तार महासागरीय स्वास्थ्य, जलवायु अस्थिरता और अस्थिर तटीय विकास के गंभीर संकट को उजागर करता है। इस चुनौती से निपटने के लिये प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु कार्रवाई, सतत मत्स्य प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

को समेकित करने वाली बहु-स्तरीय रणनीति आवश्यक है। महासागरों में ऑक्सीजन स्तर की रक्षा जैव-विविधता, तटीय अर्थव्यवस्थाओं तथा **SDG 14** (जलीय जीवों की सुरक्षा) के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अनिवार्य है।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : मुगल काल में फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय कला परंपराओं का अभूतपूर्व समन्वय हुआ। मुगल संरक्षण ने भारत में दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया, परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ मुगल सांस्कृतिक संरक्षण के दौरान फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय तत्वों के सम्मिश्रण का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ परीक्षण कीजिये कि मुगल संरक्षण ने भारत में दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया।
- ❖ अंत में, इसकी विरासत और भारतीय कला एवं संस्कृति पर दीर्घकालिक प्रभाव की चर्चा कीजिये।

परिचय:

मुगल काल (वर्ष 1526–वर्ष 1857) भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक विशिष्ट चरण के रूप में उभरा, जिसे **फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय कला परंपराओं** के असाधारण संगम ने विशेष रूप दिया। दूरदर्शी संरक्षण के माध्यम से, मुगल सम्राटों ने भारत की दृश्य और मंचीय कलाओं को रूपांतरित किया, जिससे एक अनूठे इंडो-फारसी सौंदर्यशास्त्र की उत्पत्ति हुई, जिसने उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित किया।

मुख्य भाग:

दृश्य कला: शैलियों का मिश्रण

- ❖ **चित्रकला:** हुमायूँ और अकबर के समय में, फारसी कलाकारों जैसे **मीर सैयद अली** और **अब्दुस समद** ने मुगल लघुचित्रकला शैली की नींव रखी।
- ⌚ अकबर की शिल्पशाला में फारसी कलाकारों और भारतीय चित्रकारों, दोनों को नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने **हमजानामा** और **अकबरनामा** जैसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



किया, जिनमें फारसी परिशुद्धता को भारतीय प्रकृतिवाद के साथ मिश्रित किया गया था।

🌀 जहाँगीर के शासनकाल के दौरान चित्रकला में नई परिष्कृतता आई— चित्रों, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को सजीव यथार्थवाद के साथ चित्रित किया गया।

🌀 शाहजहाँ के अधीन, सुंदरता (Elegance) और समरूपता (Symmetry) का प्रभुत्व रहा, जो दरबारी परिष्कार को दर्शाता है।

❖ स्थापत्य कला: मुगल स्थापत्य कला सांस्कृतिक समन्वय की दृश्य अभिव्यक्ति बन गई।

🌀 हुमायूँ का मकबरा (दिल्ली) ने भारतीय परिवेश में फारसी चारबाग शैली की शुरुआत की।

🌀 अकबर का फतेहपुर सीकरी राजपूती और इस्लामी रूपांकनों का समन्वय प्रस्तुत करता है, जो शाही समावेशिता का प्रतीक है।

🌀 ताजमहल इंडो-इस्लामिक कला की पराकाष्ठा, फारसी ज्यामिति, मध्य एशियाई गुंबदों और भारतीय शिल्पकला का पूर्ण सामंजस्य के साथ संयोजन है।

🌀 इस संश्लेषण (fusion) ने बाद की वास्तुशिल्प शैलियों, राजपूत महलों से लेकर औपनिवेशिक इंडो-सारासेनिक इमारतों तक, सभी को प्रभावित किया।

❖ सजावटी कला: मुगल दरबारों ने विलासितापूर्ण शिल्पों के विकास को सशक्तीकरण प्रदान किया — जड़ाई कार्य (पिएत्रा ड्यूरा), वस्त्र, सुलेख तथा आभूषण निर्माण ने अत्यधिक प्रगति की।

🌀 फारसी सुलेख कला का भारतीय पुष्प डिजाइनों के साथ मिश्रण हुआ, जो ताजमहल और एतमाद-उद्-दौला के मकबरे के शिलालेखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

प्रदर्शन कलाएँ: ध्वनि और लय का सामंजस्य

❖ संगीत: मुगल संरक्षण ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया। बादशाह अकबर के दरबारी संगीतकार तानसेन ने फारसी और भारतीय रागों का समन्वय किया, जिससे ग्वालियर घराने का उदय हुआ।

🌀 बाद के शासकों ने ध्रुपद एवं खयाल को बढ़ावा दिया और इस अवधि के दौरान सितार एवं तबला जैसे वाद्ययंत्र विकसित हुए।

❖ नृत्य और रंगमंच: यद्यपि (कुछ हद तक) नियंत्रित, मुगल दरबारों ने कथक को प्रभावित किया, जिसने फारसी दरबारी नज़ाकत (grace) और कथात्मक तत्वों को समाहित किया।

🌀 महफिल और नक्काल परंपराएँ भारतीय-फारसी प्रदर्शन संस्कृति को प्रतिबिंबित करती हैं।

निष्कर्ष

मुगल काल भारत की साझी संस्कृति (गंगा-जमुनी तहज़ीब) का प्रतीक था, जहाँ विविध कलात्मक परंपराएँ एक साझा सौंदर्यबोध में समाहित थीं। अपने संरक्षण के माध्यम से, मुगलों ने न केवल कलाओं को समृद्ध किया, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत भी गढ़ी, जो आज भी भारतीय कला, वास्तुकला और संगीत को प्रेरित करती है।

प्रश्न : प्रारंभिक भारतीय अभिलेखों में शिव-तांडव के चित्रण तथा धार्मिक एवं कलात्मक परंपराओं में इसके प्रतीकात्मक महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ शिव के तांडव की संक्षिप्त परिभाषा के साथ उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- ❖ प्रारंभिक भारतीय शिलालेखों में शिव के तांडव के चित्रण पर चर्चा कीजिये।
- ❖ धार्मिक और कलात्मक परंपराओं में इसके प्रतीकात्मक अर्थ का वर्णन कीजिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

शिव-तांडव नृत्य, जो एक प्रबल, व्यापक और ब्रह्मांडीय नृत्य है, भारत की आध्यात्मिक तथा कलात्मक विरासत के सबसे स्थायी रूपकों में से एक है। प्रारंभिक ग्रंथों में इसे विस्मयकारी एवं रूपांतरणकारी बताया गया है, जो ब्रह्मांड को संचालित करने वाली गतिशील शक्तियों का प्रतीक है। प्राचीन शिलालेख इस नृत्य को ऐतिहासिक स्मृति में और भी गहराई से स्थापित करते हैं तथा यह दर्शाते हैं कि धार्मिक तत्त्वदर्शन और कला-अभिव्यक्ति का विकास इस रूपक के इर्द-गिर्द किस प्रकार हुआ।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य भाग:**प्रारंभिक भारतीय शिलालेखों में शिव का तांडव:**

- ❖ **प्रतिनिधित्व और प्रतीकात्मक अर्थ:** शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य, तांडव, भारत की धार्मिक कल्पना, कलात्मक शब्दावली और दार्शनिक चिंतन में एक केंद्रीय स्थान रखता है। प्राचीन भारतीय शिलालेख, मंदिर कला और पाट्य परंपराओं के साथ मिलकर, इस बात की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं कि किस प्रकार यह रूपांकन दिव्य शक्ति की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से एक परिष्कृत सौंदर्य एवं आध्यात्मिक अवधारणा में विकसित हुआ।
- ❖ गुप्त काल के शिलालेखों (चौथी-छठी शताब्दी ईस्वी) में **शिव को सृष्टि और विनाश का दिव्य नृत्य** करने वाले ईश्वर के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे अभिलेख प्रायः मंदिरों से जुड़े शिलालेखों में मिलते हैं, जो बताते हैं कि उस समय यह नृत्य धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता था।
- ❖ **कांचीपुरम के पल्लव-कालीन अभिलेख** (7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी) शिव के आनंद-तांडव अर्थात् आनंदमय नृत्य का उल्लेख करते हैं, जिससे एक स्थापित प्रतिमात्मक परंपरा का संकेत मिलता है। यह काल दक्षिण भारत में नटराज प्रतिमा के सुस्पष्ट रूप में विकसित होने का चरण माना जाता है।
- ❖ **चोल शिलालेख** (10वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी) इस परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए शिव को एक साथ ब्रह्माण्डीय नर्तक और चिदंबरम के संरक्षक देवता के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।
- 🌀 ताम्रपत्रों पर अंकित अनुदान और मंदिर के शिलालेख चिदंबरम रहस्य और नृत्य से जुड़े अनुष्ठानिक प्रदर्शनों पर जोर देते हैं, जो इस अवधारणा की धार्मिक परिपक्वता को दर्शाते हैं।

धार्मिक परंपराओं में प्रतीकात्मक अर्थ

- ❖ **ब्रह्मांडीय चक्र:** शिव का तांडव सृष्टि, संरक्षण, संहार, आवरण और अनुग्रह—इन पाँच क्रियाओं अर्थात् पंचकृत्य की निरंतर प्रक्रिया का प्रतीक है। यह ब्रह्माण्ड की लयबद्ध व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है।
- ❖ **अज्ञान पर ज्ञान की विजय:** नृत्य दिव्य ज्ञान के विजय का प्रतीक है। शिव के चरणों तले दबा हुआ दैत्य 'अपस्मार' अज्ञान का प्रतीक है। यह नृत्य दिव्य ज्ञान की विजय को निरूपित करता है।
- ❖ **गतिशील और स्थिर ऊर्जा का मिलन:** शिव (स्थिरता) और शक्ति (गति) के परस्पर संबंध को तांडव में निहित किया गया है,

जो उस आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है जिससे अस्तित्व का संरक्षण होता है।

- ❖ **आध्यात्मिक मुक्ति:** भक्तों के लिये यह नृत्य 'आनंद (परमानंद)' की अनुभूति और दिव्य कृपा द्वारा मोक्ष की संभावना का प्रतीक है।

कलात्मक और सौंदर्यपरक परंपराएँ

- ❖ **मूर्तिकला:** एलोरा से चिदंबरम तक, नटराज प्रतिमा शास्त्रीय भारतीय कला की पराकाष्ठा मानी जाती है। इसमें ज्यामिति, संतुलन और सांकेतिक मुद्राओं का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है।
- ❖ **शास्त्रीय नृत्य:** भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में तांडव तत्वों का समावेश है, जिससे शिव को नृत्य के दिव्य संरक्षक के रूप में स्थापित किया गया है।
- ❖ **मंदिर वास्तुकला:** मंडपों को प्रायः अनुष्ठानिक नृत्य के लिये उपयुक्त स्थान के रूप में रचा गया, जो गति के ब्रह्माण्डीय महत्त्व को प्रतिफलित करता है।

निष्कर्ष:

प्राचीन भारतीय अभिलेखों और कलात्मक परंपराओं में प्रतिबिंबित शिव का तांडव धर्मशास्त्र, दर्शन और सौंदर्यशास्त्र का एक समन्वित रूप प्रस्तुत करता है। यह उस भारतीय विश्वदृष्टि को अभिव्यक्त करता है, जहाँ दिव्य नृत्य ब्रह्माण्डीय सामंजस्य, नैतिक व्यवस्था और आध्यात्मिक उत्कर्ष का रूपक बन जाता है।

भारतीय समाज

प्रश्न : डिजिटल तकनीक भारत में शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के स्वरूप को किस प्रकार परिवर्तित कर रही है ? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ डिजिटल तकनीक को द्वि-आयामी साधन के रूप में परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- ❖ डिजिटल तकनीक शिक्षा एवं रोज़गार के क्षेत्र में किस प्रकार महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति को बदल रही है, चर्चा कीजिये।
- ❖ प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



परिचय:

डिजिटल तकनीक भारत में महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार में भागीदारी की प्रकृति को परिवर्तित करने वाली एक शक्तिशाली यद्यपि द्वि-आयामी साधन के रूप में उभर रही है। यह जहाँ पारंपरिक बाधाओं को तोड़ती है, वहीं डिजिटल विभाजन से उत्पन्न नई चुनौतियों को भी जन्म देती है।

मुख्य भाग:**शिक्षा में परिवर्तन:**

पहलू	डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तन	महत्व
पहुँच और गतिशीलता	MOOC और एड-टेक ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा से दैनिक आवागमन या भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।	दूरी, सुरक्षा और पितृसत्तात्मक प्रतिबंधों की बाधाओं को दूर करके, महिलाओं को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने या कौशल विकास करने में सक्षम बनाया गया है।
लचीलापन और गति	स्व-गति मॉड्यूल महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों या देखभाल का प्रबंधन करते हुए अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं।	'कॅरियर में वापसी' और आजीवन अधिगम की सुविधा प्रदान करता है तथा महिलाओं को कार्यबल में पुनः प्रवेश करने या बने रहने में सहायता करता है।
कौशल और प्रासंगिकता	AI, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में ऑनलाइन माइक्रो-क्रेडेंशियल्स, बूट कैंप एवं पाठ्यक्रम व्यापक रूप से उपलब्ध हैं।	बाज़ार-प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करके (उदाहरण के लिये, फ्यूचरस्किल्स प्राइम जैसी पहल के माध्यम से) कौशल अंतर को समाप्त करना, रोज़गार और आय क्षमता में सुधार करना।
सूचना तक अभिगम्यता	सरकारी और शैक्षणिक पोर्टल छात्रवृत्ति, कॅरियर मार्गदर्शन एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।	यह विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के बीच सूचित निर्णय लेने तथा वित्तीय योजना निर्माण को सशक्त बनाता है।

रोज़गार में परिवर्तन:

पहलू	डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तन	महत्व
दूरस्थ और हाइब्रिड कार्य	रिमोट और हाइब्रिड मॉडल के उदय से महिलाओं को घर या स्थानीय केंद्रों से काम करने की सुविधा मिलती है।	आवागमन, सुरक्षा जोखिम और बच्चों की देखभाल की लागत जैसी चुनौतियों को कम करके, कार्य-जीवन संतुलन का समर्थन करके महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) को बढ़ावा देता है।
गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था	ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं।	महिला उद्यमियों के लिये प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करता है (जैसे: SEWA द्वारा डिजिटल उपकरणों का उपयोग), जिससे उन्हें व्यापक बाजारों एवं फिनटेक सेवाओं तक अभिगम्यता प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
नए रोज़गार सृजन	IT, ITes और BPO क्षेत्रों में वृद्धि शारीरिक कार्य की अपेक्षा बौद्धिक कार्य को प्राथमिकता देती है।	यह उच्च कौशल, बेहतर वेतन वाली नौकरियाँ प्रदान करता है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी पारंपरिक क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।
डिजिटल फाइनेंस	UPI और जन धन खाते जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं को डिजिटल रूप से वित्त प्रबंधन करने में सशक्त बनाते हैं।	वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाता है और मध्यवर्तियों पर निर्भरता को कम करता है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता सुदृढ़ होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



डिजिटल परिवर्तन की व्यापक संभावनाओं के बावजूद, संरचनात्मक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण महिलाओं की भागीदारी असमान बनी हुई है, जो डिजिटल लैंगिक विभाजन को लगातार जन्म देती है।

🌀 **उपकरणों और इंटरनेट तक सीमित अभिगम्यता:** महिलाओं (विशेष रूप से ग्रामीण भारत में) के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की संभावना बहुत कम है।

🔍 यह अपवर्जन लाखों लोगों को ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों, दूरस्थ कार्य अवसरों और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने से रोकता है।

🌀 **डिजिटल साक्षरता अंतराल:** कोडिंग, AI या डेटा एनालिसिस जैसे उन्नत डिजिटल कौशल रखने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है।

🔍 इनमें से अधिकांश लोग डेटा एंट्री जैसी कम कौशल वाली डिजिटल नौकरियों तक ही सीमित हैं, जिसके कारण STEM और प्रौद्योगिकी जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व कम हो रहा है।

🌀 **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:** पितृसत्तात्मक मानदंड प्रायः सुरक्षा चिंताओं या नैतिक जाँच के कारण महिलाओं के डिजिटल उपकरणों के स्वतंत्र उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।

🔍 यहाँ तक कि जब अभिगम्यता उपलब्ध होती है, तो उसे प्रायः साझा किया जाता है, निगरानी की जाती है या समय-सीमित किया जाता है, जिससे डिजिटल शिक्षण या कार्य में निरंतर भागीदारी सीमित हो जाती है।

❖ **ऑनलाइन सुरक्षा और उत्पीड़न:** ऑनलाइन उत्पीड़न का डर महिलाओं को पेशेवर नेटवर्क, डिजिटल उद्यमिता या सामग्री निर्माण में स्वतंत्र रूप से शामिल होने से हतोत्साहित करता है।

महिला सशक्तीकरण के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिये, भारत को **बहुआयामी और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता** है।

❖ **अभिगम्यता के अंतराल को समाप्त करना:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी और BharatNet जैसे ग्रामीण कनेक्टिविटी कार्यक्रमों

के माध्यम से किफायती इंटरनेट और स्मार्टफोन तक अभिगम्यता का विस्तार किया जाना चाहिये।

🌀 **दूरसंचार प्रदाताओं को महिला-केंद्रित डिजिटल पैकेज और जागरूकता अभियान चलाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।**

❖ **डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ावा देना:** लैंगिक-संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में डिजिटल शिक्षा को एकीकृत किया जाना चाहिये।

🌀 **उभरती प्रौद्योगिकियों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिये PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और पयूचरस्किल्स प्राइम जैसी पहलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।**

❖ **ऑनलाइन सुरक्षा कार्यवाही को सुदृढ़ करना:** साइबर-स्टॉकिंग, ट्रोलिंग और छवि-आधारित दुर्व्यवहार के खिलाफ कड़े कानून लागू किये जाने चाहिये।

🌀 **जागरूकता अभियान और डिजिटल आत्मरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।**

❖ **तकनीक में महिला उद्यमिता और नेतृत्व को प्रोत्साहित करना:** महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमों के लिये वित्तीय एवं मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी चाहिये।

🌀 **डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी को प्रेरित करने के लिये रोल मॉडल और सफलता की कहानियाँ प्रदर्शित की जानी चाहिये।**

निष्कर्ष:

भारत में डिजिटल लैंगिक अंतराल को समाप्त करना केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनिवार्यता भी है। और जब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाता है, तो वे न केवल भागीदार बनती हैं, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की निर्माता भी बनती हैं— नवाचार, समावेशन और विकास को गति प्रदान करती हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्रश्न : भारत में जनजातीय समुदायों पर विस्थापन और पुनर्वास के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये तथा समावेशी एवं सतत विकास के उपाय प्रस्तावित कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत में जनजातीय समुदायों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ भारत में जनजातीय समुदायों पर विस्थापन और पुनर्वास के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।
- ❖ समावेशी और सतत विकास के लिये उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जनजातीय समुदाय भारत के सर्वाधिक सुभेद्य सामाजिक-सांस्कृतिक समूहों में से एक हैं, जिनका जीवन भूमि, वनों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। बड़े पैमाने की विकास परियोजनाएँ—जैसे बाँध, खनन, उद्योग तथा वन्यजीव अभयारण्य प्रायः इनके विस्थापन का कारण बनी हैं, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक संरचना में गहरा विघटन हुआ है। यद्यपि समय के साथ पुनर्वास नीतियों में सुधार हुआ है, फिर भी उन नीतियों के कार्यान्वयन में अनेक खामियाँ बनी हुई हैं। समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिये अधिकार-आधारित एवं सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है।

मुख्य भाग:

जनजातीय समुदायों पर विस्थापन का प्रभाव

- ❖ भूमि, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान की हानि: जनजातीय समुदायों के लिये भूमि केवल एक आर्थिक संपत्ति नहीं है, बल्कि पहचान, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक निरंतरता का मूल आधार है।
- 🌀 उदाहरण: नर्मदा बांध परियोजना के कारण हुए विस्थापन ने दिखाया कि किस प्रकार वन-आधारित आजीविका के नुकसान ने मात्स्यिकी, झूम कृषि और वनोपज संग्रह जैसे पारंपरिक व्यवसायों को बाधित किया।
- 🌀 विस्थापन/पुनर्वास के बाद समुदायों को प्रायः अपरिचित भौगोलिक-सांस्कृतिक परिवेश में जाने के लिये विवश होना

पड़ता है, जिससे भूमि और वनों पर उनके परंपरागत अधिकार कमजोर हो जाते हैं।

- ❖ सामाजिक संस्थाओं का विघटन: जनजातीय समाज सामूहिक निर्णय-निर्माण, संबंध-नेटवर्क, पर्व-त्योहारों और कबीलाई संरचनाओं पर आधारित होता है। विस्थापन के समय, ये संरचनाएँ खंडित हो जाती हैं, जिस सामुदायिक सहनशीलता कमजोर हो जाती है।
- 🌀 उदाहरण: झारखंड के कोयल-कारो क्षेत्र में खनन-जनित विस्थापन ने ग्राम परिषदों और उन अनुष्ठानिक स्थलों को बाधित किया, जो जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में थे।
- ❖ आर्थिक रूप से उपेक्षित होना: अधिकांश पुनर्वास स्थलों पर पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना, सिंचाई, बाजार या रोजगार के अवसरों की कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता और निर्धनता बढ़ती है।
- 🌀 उदाहरण: ओडिशा के कोरापुट में बॉक्साइट खनन के कारण विस्थापित कोंध जनजातीय समुदाय वनोपज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण खोकर मजदूरी पर निर्भर हो गये।
- ❖ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात: जबरन विस्थापन प्रायः अलगाव की भावना, गरिमा की हानि एवं मानसिक पीड़ा का कारण बनता है, क्योंकि समुदाय अपने पैतृक भूदृश्यों को खो देते हैं जिनका गहन आध्यात्मिक और धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व होता है।
- ❖ पारंपरिक ज्ञान और पारिस्थितिकी का क्षरण: औषधीय पादप, कृषि पद्धतियों और वन प्रबंधन से जुड़ा जनजातीय पारिस्थितिक ज्ञान तब क्षीण हो जाता है, जब समुदाय परिचित पारिस्थितिक तंत्रों से दूर हो जाते हैं।
- ❖ उदाहरण: कान्हा और सिमलीपाल में स्थित बाघ अभयारण्यों से विस्थापन के कारण वन जैवविविधता तक अभिगम्यता सीमित हो गई, जिससे पारंपरिक प्रथाएँ प्रभावित हुईं।

वर्तमान पुनर्वास प्रक्रियाओं की चुनौतियाँ

- ❖ भूमि-के-बदले-भूमि मुआवजे की अपर्याप्त व्यवस्था।
- ❖ सरकारी विभागों के बीच समन्वय का अभाव।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों की सीमित भागीदारी।
- ❖ मुआवजे में विलंब और कानूनी जागरूकता की कमी।
- ❖ लैंगिक भेदभाव से जुड़े ऐसे प्रभाव जहाँ महिलाओं को वन उत्पादों और सामुदायिक स्थानों तक अभिगम्यता से वंचित होना पड़ता है।

समावेशी और सतत विकास के उपाय

- ❖ कानूनी और भूमि अधिकारों को सुदृढ़ बनाना: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 और PESA अधिनियम, 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन करते हुए, ग्राम सभाओं के माध्यम से सामुदायिक सहमति सुनिश्चित की जानी चाहिये।
 - ⌚ दंपतियों के नाम पर सुरक्षित स्वामित्व के साथ भूमि-के-बदले-भूमि मुआवजा दिया जाना चाहिये।
- ❖ सहभागी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पुनर्वास: योजना निर्माण और निगरानी में जनजातीय संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिये।
 - ⌚ स्थानीय भाषाओं में सामाजिक प्रभाव आकलन तैयार किया जाना चाहिये।
 - ⌚ सांस्कृतिक स्थलों, पवित्र उपवनों और पारंपरिक शासन संरचनाओं का संरक्षण किया जाना चाहिये।
- ❖ आजीविका पुनर्स्थापन और कौशल विकास: लघु वनोपज-आधारित उद्यमों, इको-टूरिज्म, पारंपरिक शिल्पकला और कृषि-वानिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
 - ⌚ स्थानीय क्षमता के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे: बाँस के शिल्प, हर्बल औषधि, शहद संग्रह और लौह शिल्प कला के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने चाहिये।

⌚ LMP (वृहत आकार की जनजातीय बहुउद्देशीय समितियाँ) जैसे सहकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से बाजार से संपर्क सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- ❖ स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसरचना में सुधार: मोबाइल स्वास्थ्य काइयों, बहुभाषी शिक्षा और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) जैसे आवासीय विद्यालयों की तैनाती।
 - ⌚ MGNREGS के तहत सड़कों, पेयजल, बिजली और स्थानीय रोजगार को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- ❖ पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय:
 - ⌚ परियोजनाओं में पारिस्थितिक रूप से सतत डिजाइन अपनाये जाने चाहिये।
 - ⌚ स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिये।
 - ⌚ समुदाय के नेतृत्व वाली संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

यदि विस्थापन का प्रबंधन सही ढंग से न किया जाये, तो यह जनजातीय समुदायों के लिये आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर बहुआयामी अभाव का कारण बनता है। समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है, जब राष्ट्रीय विकास एवं जनजातीय अधिकारों, पहचान तथा पारिस्थितिक विवेक के बीच संतुलन स्थापित किया जाये। अधिकार-आधारित, भागीदारीपूर्ण एवं सांस्कृतिक रूप से सुसंगत पुनर्वास कार्यवाही यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रगति जनजातीय समुदायों की कीमत पर नहीं बल्कि उनके सशक्तीकरण और सक्रिय सहभागिता के साथ हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नियम-आधारित प्रणाली से भूमिका-आधारित प्रणाली में रूपांतरित करने में मिशन कर्मयोगी की क्षमता का मूल्यांकन कीजिये। कौन-सी संस्थागत चुनौतियाँ इसकी सफलता में बाधा बन सकती हैं ? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ भूमिका-आधारित प्रणाली में परिवर्तन की संभावनाओं पर गहन विचार कीजिये।
- ❖ सफलता में बाधक संस्थागत चुनौतियों और बेहतर सफलता व चुनौतियों को कम करने के उपायों पर प्रकाश डालिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मिशन कर्मयोगी (राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम - NPCSCB), जिसे वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक सुधार है। इसकी मुख्य क्षमता सिविल सेवाओं को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन (HRM) प्रणाली में परिवर्तित करने में निहित है।

मुख्य भाग:

भूमिका-आधारित प्रणाली में परिवर्तन की संभावनाएँ

‘नियम-आधारित’ प्रणाली (वरिष्ठता, सामान्यज्ञ ज्ञान और कठोर प्रक्रियाओं के पालन पर केंद्रित) से भूमिका-आधारित प्रणाली (नौकरी की आवश्यकताओं के अनुरूप योग्यताओं पर केंद्रित) में परिवर्तन अपार संभावनाएँ प्रदान करता है:

विशेषताएँ	नियम-आधारित प्रणाली (पुरानी)	भूमिका-आधारित प्रणाली (लक्ष्य)
मानव संसाधन का केंद्रबिंदु	वरिष्ठता, सामान्यज्ञ कौशल और प्रक्रियात्मक अनुपालन।	विशिष्ट भूमिका के लिये योग्यता (दृष्टिकोण, कौशल, ज्ञान- ASK)
प्रशिक्षण	अनियमित, आपूर्ति-आधारित, सभी के लिये एक जैसा प्रशिक्षण।	माँग-आधारित, निरंतर, ऑन-साइट और अनुकूल डिजिटल अधिगम (iGOT-कर्मयोगी)।
कार्य आवंटन	कैडर/संवर्ग और विभाग के नियमों के आधार पर।	भूमिकाओं, गतिविधियों और योग्यताओं के कार्यढाँचे (FRAC) पर आधारित।
परिणाम	प्रशासनिक व्यवस्था जड़ता, अनावश्यक प्रक्रियाएँ और ‘अलगाववादी’ मानसिकता।	नागरिक-केंद्रित शासन, विशेषज्ञता और उत्तम सेवा-प्रदाय।
कैरियर प्रगति	मुख्यतः कार्यकाल/वरिष्ठता पर आधारित।	क्षमता-वृद्धि तथा सतत् आत्म-विकास से संबद्ध

सफलता में बाधक संस्थागत चुनौतियाँ

❖ प्रशासनिक व्यवस्था जड़ता और परिवर्तन का प्रतिरोध:

- 🌀 यथास्थिति की मानसिकता: परिणामों के स्थान पर नियमों के अनुपालन को प्राथमिकता देने वाली गहरी जड़ें जमा चुकी प्रशासनिक संस्कृति परिवर्तन का विरोध करती है तथा अनेक बार अल्प-प्रदर्शनकारी कर्मियों को भी संरक्षण प्रदान करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



⦿ **वरिष्ठता बनाम योग्यता:** पदोन्नति और पदस्थापन में वरिष्ठता से योग्यता-आधारित मॉडल की ओर बढ़ना कठिन है क्योंकि यह वर्तमान कर्मियों की पारंपरिक कैरियर संरचना को चुनौती देता है।

❖ **डिजिटल डिवाइड और उपलब्धता की समस्या:**

⦿ **iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म** जैसे डिजिटल मंच पर निर्भरता उन क्षेत्रों में चुनौती उत्पन्न करती है जहाँ इंटरनेट उपलब्धता सीमित है या जहाँ वरिष्ठ आयु के अधिकारियों में डिजिटल अधिगम की सहजता कम है। इससे क्षमता-निर्माण की प्रक्रिया असमान हो सकती है।

❖ **एकीकरण और कार्यान्वयन में कमियाँ:**

⦿ **क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समन्वय:** भारत की संघीय संरचना और प्रशासनिक विविधता को देखते हुए सभी मंत्रालयों, विभागों तथा राज्यों (ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज समन्वय) में एक समान रूप से इस कार्यवाही को अपना अत्यंत जटिल कार्य है।

⦿ **सामग्री की गुणवत्ता:** 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिये विशाल मात्रा में प्रशिक्षक-सामग्री की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और सहभागिता सुनिश्चित करना एक परिचालनात्मक चुनौती है ताकि यह केवल औपचारिकता न बन जाये।

❖ **राजनीतिक हस्तक्षेप और मानव संसाधन निर्णय:**

⦿ **बार-बार और मनमाने स्थानांतरण:** भूमिका-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन में मूलभूत बदलाव बार-बार और मनमाने राजनीतिक स्थानांतरण जैसे मुद्दों के कारण कमजोर होता है, जो अधिकारियों को एक ही भूमिका में डोमेन विशेषज्ञता हासिल करने से रोकते हैं।

⦿ जब राजनीतिक विवेक कई बार योग्यता और स्थिरता पर हावी होता है, तब FRAC आधारित वैज्ञानिक पदस्थापन और प्रदर्शन-मूल्यांकन ढाँचा प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाता।

बेहतर सफलता और चुनौतियों को कम करने के उपाय

❖ **प्रशासनिक प्रतिरोध का समाधान (संस्थागत संस्कृति में परिवर्तन)**

⦿ **प्रोत्साहन और मान्यता:** iGOT मॉड्यूलों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने तथा नयी दक्षताओं के अर्जन को वार्षिक कार्य

निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR), पदोन्नतियों तथा लाभकारी विदेशी तैनातियों से सीधे जोड़ना चाहिये।

⦿ **शीर्ष नेतृत्व का समर्थन:** उच्चतम राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व (कैबिनेट सचिव, सचिवों) की सक्रिय व दृश्य प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये ताकि वे इस सुधार को सार्वजनिक रूप से समर्थन तथा अनिवार्य कर सकें।

⦿ **हितधारक परामर्श:** नागरिक सेवा संघों तथा सेवानिवृत्त, आदर्श माने गये अधिकारियों को iGOT पाठ्यक्रमों के डिजाइन और प्रतिक्रिया तंत्र में सम्मिलित कर स्वामित्व की भावना विकसित की जानी चाहिये।

❖ **डिजिटल डिवाइड को पाटना**

⦿ **बुनियादी अवसंरचना निवेश:** दूरस्थ क्षेत्रीय स्थलों तथा जनपद मुख्यालयों में इंटरनेट एवं डिजिटल एक्सेस में सुधार हेतु निवेश किया जाना चाहिये।

⦿ **मिश्रित अधिगम मॉडल:** जहाँ कनेक्टिविटी कमजोर है अथवा अधिकारी डिजिटल रूप से कम सक्षम हैं वहाँ iGOT प्लेटफॉर्म के साथ भौतिक कार्यशालाओं तथा व्यक्तिगत मार्गदर्शन को जोड़ा जाना चाहिये।

❖ **संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ बनाना**

⦿ **FRAC का अनिवार्य क्रियान्वयन:** सभी मंत्रालयों/विभागों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर FRAC (भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं का ढाँचा) अभ्यास पूरा करने तथा सभी भर्ती एवं नियुक्ति निर्णयों को इन कार्यवाहियों से जोड़ने का आदेश दिया जाना चाहिये।

⦿ **CBC को स्वायत्तता:** क्षमता निर्माण आयोग (CBC) को अनुपालन लागू करने, मंत्रालयों की क्षमता निर्माण योजनाओं का लेखा-परीक्षण करने और बाध्यकारी नीतिगत अनुशंसा प्रदान करने के लिये अधिक स्वायत्तता एवं अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये।

⦿ **अंतर-संवर्ग और अंतर-विभागीय गतिशीलता:** विशेष रूप से मध्य-कैरियर स्तरों पर विशेषज्ञता के संवर्द्धन तथा अंतर-क्षेत्रीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिये एक संरचित, दक्षताधारित तंत्र विकसित किया जाना चाहिये जो

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



लैटरल एंट्री तथा ऊर्ध्व-गतिशीलता को सुलभ बनाये और 'साइलो' प्रवृत्ति को घटाये।

❖ मनमाने मानव संसाधन निर्णयों में कमी

🌀 **न्यूनतम निश्चित कार्यकाल:** सभी महत्वपूर्ण दायित्वों तथा क्षेत्र-विशिष्ट भूमिकाओं में न्यूनतम निश्चित कार्यकाल को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये, जैसा कि होटा समिति द्वारा अनुशंसित तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एस.आर. सुब्रमण्यनमामले में प्रतिपादित किया गया है।

🌀 **दक्षता-आधारित पदस्थापना:** विशेषज्ञ भूमिकाओं हेतु स्थानांतरण तथा पोस्टिंग का निर्धारण केंद्रीय असाइनमेंट बोर्ड द्वारा अधिकारी की सत्यापित दक्षताओं और iGOT पर उपलब्ध प्रशिक्षण आकलनों के आधार पर किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

मिशन कर्मयोगी एक साहसिक और अत्यंत आवश्यक पहल है जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) द्वारा अनुशंसित प्रशासनिक सुधारों की भावना को समाहित करती है। नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रतिमान परिवर्तन को प्राप्त करने की इसकी क्षमता FRAC दृष्टिकोण के सफल कार्यान्वयन और iGOT प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करती है।

प्रश्न : “संविधानवाद केवल शक्ति को सीमित करने के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह सुशासन को सक्षम बनाने के भी संदर्भ में है।” विश्लेषण कीजिये कि भारतीय संविधान किस प्रकार राज्य की शक्ति पर संयम तथा उसके सशक्तीकरण के बीच संतुलन स्थापित करता है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ संविधानवाद के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- ❖ भारतीय संविधान में राज्य की शक्ति पर संयम का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ भारतीय संविधान में राज्य को सशक्त बनाने वाले प्रावधानों पर प्रकाश डालिये।
- ❖ संयम और सशक्तीकरण के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन का अन्वेषण कीजिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय संविधान संविधानवाद के सिद्धांत को मूर्त रूप देता है, जो मूलतः दोहरी उपयोगिता का सिद्धांत है: यह अत्याचार को रोकने के लिये राज्य की शक्ति (संयम) को सीमित करता है, साथ ही राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय एवं सुशासन प्राप्त करने के लिये आवश्यक अधिकार (सशक्तीकरण) प्रदान करता है।

मुख्य भाग:

राज्य की शक्ति पर संयम: संविधानवाद की सीमाएँ

❖ **मूल अधिकार (भाग III):** ये अधिकार विधायी और कार्यकारी कार्यवाई पर प्रत्यक्ष सीमाएँ हैं

🌀 **न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 13, 32, 226):** न्यायपालिका को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह मूल अधिकारों या संविधान की 'मूल संरचना' का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधिक प्रावधान या कार्यकारी आदेश को निरस्त कर सके। केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित यह सिद्धांत राज्य की किसी भी प्रकार की मनमानी तथा असंवैधानिकता पर अंतिम संस्थागत नियंत्रण के रूप में कार्य करता है।

🌀 **विधि का शासन (अनुच्छेद 14):** विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है, भेदभावपूर्ण राज्य कार्यवाई को रोकता है तथा प्रक्रियात्मक निष्पक्षता (जैसा कि मेनका गांधी मामले में व्याख्या की गई है) सुनिश्चित करता है।

❖ **शक्तियों का पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन:**

🌀 संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिये अलग-अलग कार्यों का वर्णन किया गया है (अनुच्छेद 50, 124-147, 74-75), जिससे सत्ता का एक ही अंग में संकेंद्रण रोका जा सके।

🌀 **कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण** (जैसे: प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव)।

🌀 **न्यायाधीशों की कार्यकारी नियुक्ति और विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **संघीय संरचना:** सातवीं अनुसूची के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, प्राधिकार का विकेंद्रीकरण करके केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करता है, जिससे प्रशासन की जनता से अधिक निकटता सुनिश्चित होती है।
- ❖ **स्वतंत्र संवैधानिक निकाय:** भारत निर्वाचन आयोग (ECI), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसी संस्थाएँ कार्यपालिका के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर कार्य करती हैं, जिससे शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

राज्य का सशक्तीकरण: सुशासन का प्रवर्तन

- ❖ **राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) (भाग IV):**
 - ⌚ यद्यपि ये सिद्धांत, न्यायोचित नहीं हैं, फिर भी देश की शासन-प्रक्रिया के लिये मूलभूत हैं (अनुच्छेद 37) और कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिये राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालते हैं।
 - ⌚ ये सिद्धांत राज्य को बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक सुधार करने में सक्षम बनाते हैं, जैसे कि जीवन निर्वाह योग्य पारिश्रमिक सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 43), समान कार्य हेतु समान वेतन (अनुच्छेद 39) और निशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39A) सुनिश्चित करना, जो सुशासन के लिये अत्यावश्यक हैं।
- ❖ **मूल अधिकारों के कल्याणकारी अपवाद:**
 - ⌚ संविधान राज्य को मूल अधिकारों पर 'उचित प्रतिबंध' लगाने की शक्ति प्रदान करता है।
 - 🔍 यह शक्ति सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा और आम जनता के हितों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिये महत्वपूर्ण है, जो स्थिर शासन के लिये पूर्वापेक्षाएँ हैं।
 - ⌚ उदाहरण के लिये, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करते हैं, जो समावेशी शासन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

❖ आपातकालीन प्रावधान (भाग XVIII):

- ⌚ **अनुच्छेद 352, 356 और 360** केंद्र सरकार को संकट के समय भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिये असाधारण शक्तियाँ प्रदान करते हैं।
 - 🔍 यह राज्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिये परम सशक्तीकरण है, जिसके बिना कोई भी शासन संभव नहीं है।
- ❖ **संविधान की संशोधन शक्ति (अनुच्छेद 368):**
 - ⌚ संविधान में संशोधन की शक्ति राज्य को परिवर्तित होती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने और राष्ट्रीय प्रगति के लिये आवश्यक सुधारों को लागू करने में आने वाली विधायी बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाती है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधिनिर्माण करने की क्षमता सुशासन का एक सशक्त साधन है।

सामंजसपूर्ण संतुलन: सशक्तीकरण के कार्यवाहक के रूप में संयम

संवैधानिक तंत्र	दोहरी भूमिका: संयम और सशक्तीकरण
मूल अधिकार बनाम DPSP	मूल संरचना सिद्धांत राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से रोकता है; जबकि DPSP राज्य को सामाजिक न्याय के लिये कानून बनाने का अधिकार देता है। मूल संरचना सिद्धांत 'यह सुनिश्चित करता है कि यह संतुलन नष्ट न हो।
न्यायिक समीक्षा	यह असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करके विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रित करता है, साथ ही यह राज्य को उसके संवैधानिक दायित्वों को स्पष्ट करते हुए सशक्त भी बनाता है, जिससे राज्य आवश्यक कार्यवाही हेतु बाध्य होता है (जैसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकारों को लागू करने में न्यायिक सक्रियता)।
उचित प्रतिबंध	अधिकारों पर प्रतिबंध (जैसे, अनुच्छेद 19) नागरिकों की पूर्ण स्वतंत्रता पर नियंत्रण है जो राज्य को लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये सशक्त करता है जो सुशासन की आधारशिला है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



निष्कर्ष:

भारतीय संविधान संविधानवाद की पारंपरिक तथा केवल नकारात्मक संवैधानिकता की अवधारणा से परे है। संयम और सशक्तीकरण दोनों को संस्थागत रूप देकर संविधान 'सकारात्मक संवैधानिकता' का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करता है। यह सूक्ष्म संतुलन भारत में सुशासन की आधारशिला है, जो सुनिश्चित करता है कि राज्यशक्ति उत्तरदायित्व, नैतिकता और संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त 'सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' की प्राप्ति की दिशा में प्रयुक्त हो।

प्रश्न : तीन 'F'— Funds (निधि), Functions (कार्य) और Functionaries (कार्मिक) का अपर्याप्त अंतरण पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सशक्तीकरण में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। इस चुनौती का विश्लेषण कीजिये तथा प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिये व्यावहारिक सुधारों की अनुशंसा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ से तीन 'F' की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- ❖ मुख्य भाग में निधि, कार्य तथा कार्यप्रणाली के अपर्याप्त अंतरण का पृथक विश्लेषण कीजिये।
- ❖ व्यावहारिक सुधारों जैसे: वित्तीय स्वायत्तता, स्पष्ट गतिविधि सर्वेक्षण तथा समर्पित पंचायत कैडर की अनुशंसा कीजिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संविधान के 73 वें संशोधन ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को शासन के तृतीय स्तर के रूप में संस्थागत रूप दिया। हालाँकि, निधि, कार्य और कार्मिक इन तीन मुख्य कारकों का अपर्याप्त और असमान अंतरण PRI की स्वायत्तता एवं प्रभावशीलता को बाधित करता रहता है। यह कमी ज़मीनी स्तर पर सशक्तीकरण में मुख्य बाधा बनी हुई है।

3F के अंतरण में चुनौतियाँ**❖ Funds (निधि):**

- ⦿ पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अभी भी राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भर है। पंचायत अंतरण

सूचकांक- 2024 के अनुसार, कुल अंतरण केवल 39.9% (2013-14) से बढ़कर 43.9% (2021-22) हो गया है।

- ⦿ राज्य वित्त आयोग (SFC) अनियमित होते हैं, प्रायः उनमें विलंब होता है और उनकी सिफारिशों का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाता है।
- ⦿ अप्रतिबंधित निधियों की कमी के कारण स्थानीय योजना निर्माण में लचीलापन सीमित रहता है।

❖ Functions (कार्य):

- ⦿ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के बावजूद, राज्यों ने निर्णय लेने की शक्तियों को पूरी तरह से अंतरित नहीं किया है।
- ⦿ वर्ष 2022 के एक अध्ययन से पता चलता है कि कार्यात्मक विकेंद्रीकरण 35.34% से घटकर 29.18% हो गया।
- ⦿ स्वास्थ्य, शिक्षा, जल तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में अब भी क्षेत्रीय प्रशासनिक विभागों का प्रभुत्व बना हुआ है।
- ⦿ समानांतर प्रशासनिक संरचनाएँ सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी संस्थानों को दरकिनार कर देती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति और कमज़ोर जवाबदेही उत्पन्न होती है।

❖ Functionaries (कार्मिक):

- ⦿ पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय कर्मचारियों की दीर्घकालिक कमी का सामना करना पड़ता है।
- ⦿ मौजूदा कर्मचारी प्रायः पंचायतों के बजाय संबंधित विभागों को रिपोर्ट करते हैं।
- ⦿ योजना, बजट, इंजीनियरिंग, लेखापरीक्षा और सेवा वितरण से संबंधित क्षमताएँ कमजोर बनी रहती हैं।
- ⦿ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत प्रशिक्षण असमान और अपर्याप्त है।

❖ संस्थागत और शासन संबंधी कमियाँ:

- ⦿ कमज़ोर ग्राम सभाएँ सामुदायिक भागीदारी को कम करती हैं।
- ⦿ अपर्याप्त लेखापरीक्षा प्रणालियाँ, सीमित पारदर्शिता तथा राजनीतिक हस्तक्षेप विकेंद्रीकरण को कमज़ोर करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- अंतर-राज्यीय असमानताएँ स्पष्ट हैं— केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु बेहतर प्रदर्शन करते हैं जबकि अनेक राज्य पीछे हैं।

प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिये सुधार

- राजकोषीय सशक्तीकरण को सुदृढ़ करना:
 - SFC की सिफारिशों को नियमित रूप से लागू किया जाना चाहिये।
 - OSR को बढ़ावा देने के लिये अप्रतिबंधित अनुदान बढ़ाया जाना चाहिये और स्थानीय कराधान में सुधार करना चाहिये।
 - वित्त आयोग की प्रक्रियाओं का उपयोग करके पूर्वानुमानित वित्तीय अंतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- स्पष्ट गतिविधि सर्वेक्षण:
 - सभी 29 कार्यों का पूर्ण अंतरण स्पष्ट उत्तरदायित्व रेखाओं के साथ किया जाना चाहिये।
 - समानांतर प्रशासनिक ढाँचों को समाप्त कर फील्ड-स्तरीय कर्मचारियों को पंचायती राज संस्थाओं के अधीन किया जाना चाहिये।
- कर्मिकों का पेशेवर विकास:
 - RGSA-आधारित प्रशिक्षण का विस्तार किया जाना चाहिये।
 - योजना, लेखा, इंजीनियरिंग और सामाजिक लामबंदी के लिये एक समर्पित पंचायत कैडर का गठन किया जाना चाहिये।
 - शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये ई-ग्रामस्वराज, जीआईएस मैपिंग और डिजिटल डैशबोर्ड का लाभ उठाया जाना चाहिये।
- ग्राम सभाओं तथा जवाबदेही को सशक्त बनाना:
 - ग्राम सभाओं की अनिवार्य और नियमित बैठकें सुनिश्चित की जानी चाहिये।
 - सामाजिक लेखापरीक्षाओं को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिये और पारदर्शिता बढ़ायी जानी चाहिये।
 - लेखापरीक्षा एवं निगरानी संस्थानों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

अंतर-राज्यीय असमानताओं को कम करना:

- केरल जैसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों से सहकर्मि-शिक्षण मॉडल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर संदर्भ-संवेदनशील विकेंद्रीकरण नीतियों का अंगीकरण किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

प्रभावी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिये तीन 'F'— Funds (निधि), Functions (कार्य) और Functionaries (कर्मिक) का अंतरण केवल शब्दों में नहीं बल्कि भावना में भी होना चाहिये। पर्याप्त वित्त, स्पष्ट कार्य-विभाजन तथा सक्षम कर्मिकों से युक्त पंचायती राज संस्थाएँ ही जमीनी स्तर पर लोकतंत्र तथा समावेशी स्थानीय विकास की वास्तविक संवाहक बन सकती हैं।

प्रश्न : ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत की भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की अवधारणा से तुलना कीजिये।

(150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ब्रिटिश और भारतीय संवैधानिक प्रणालियों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- दोनों प्रणालियों की प्रमुख आयामों के आधार पर तुलना और अंतर स्पष्ट कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ब्रिटिश और भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाएँ लोकतांत्रिक शासन के दो परस्पर भिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जहाँ यूनाइटेड किंगडम (UK) संसदीय सर्वोच्चता के पारंपरिक वेस्टमिंस्टर सिद्धांत का पालन करता है, जो शताब्दियों के संवैधानिक विकास पर आधारित है, वहीं भारत संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाता है, जिसमें लिखित संविधान सर्वोच्च प्राधिकरण होता है। ये भिन्नताएँ दोनों देशों में सत्ता के वितरण, न्यायपालिका की भूमिका, अधिकारों के संरक्षण तथा संघवाद की प्रकृति के स्वरूप को निर्धारित करती हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS कर्ंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य भाग:

प्रमुख आयामों में तुलना:

आयाम	संसदीय सर्वोच्चता (UK)	संवैधानिक सर्वोच्चता (भारत)
1. मूल दर्शन	पूर्ण संप्रभुता: संसद सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण है। यह किसी भी कानून को बना या रद्द कर सकती है। कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था को संसद के विधान को रद्द करने या निरस्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है।	सीमित सरकार: संविधान सर्वोच्च कानून है। राज्य के सभी अंग (विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका) अपनी शक्तियाँ इससे प्राप्त करते हैं तथा उन्हें इसकी सीमाओं में रहकर ही कार्य करना चाहिये।
2. संविधान की प्रकृति	अलिखित/लचीला: यह परंपराओं, कानूनों (जैसे: अधिकार विधेयक, 1689) और सामान्य कानून पर आधारित है। कोई एक 'पवित्र' दस्तावेज नहीं है।	लिखित/अटल: एक संहिताबद्ध दस्तावेज। यह सर्वोपरि अधिकार का स्रोत है। इसमें संशोधन के लिये प्रायः विशेष बहुमत (अनुच्छेद 368) की आवश्यकता होती है, जिससे इसे बदलना सामान्य कानून की तुलना में अधिक कठिन हो जाता है।
3. न्यायिक समीक्षा	कमज़ोर/प्रक्रियात्मक: न्यायालय विधि की व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन संसद के किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। वे केवल असंगतता की घोषणा (मानवाधिकार अधिनियम 1998 के तहत) जारी कर संसद से पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं।	सशक्त/सारगर्भित: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान (विशेषकर मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य घोषित करने का अधिकार है (अनुच्छेद 13)। न्यायपालिका ही अंतिम व्याख्याकार है।
4. संशोधन शक्ति पर सीमाएँ	कोई सीमा नहीं: संसद साधारण बहुमत से संविधान (जैसे: उत्तराधिकार नियम, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियाँ) में परिवर्तन कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सामान्य कानून पारित किया जाता है।	मूल संरचना सिद्धांत: संसद के पास व्यापक संशोधन शक्तियाँ हैं, लेकिन यह संविधान की 'मूल संरचना' (जैसे: पंथनिरपेक्षता, संघवाद, विधि का शासन आदि) को नष्ट नहीं कर सकती, जैसा कि केशवानंद भारती (1973) मामले में स्थापित किया गया है।
5. अधिकारों का स्रोत	अवशिष्ट अधिकार: परंपरागत रूप से नागरिकों को वह सब कार्य करने की स्वतंत्रता थी, जो विधि द्वारा निषिद्ध न हो। वर्तमान में अधिकार विधिक (मानवाधिकार अधिनियम) हैं। सैद्धांतिक रूप से संसद इन अधिकारों को निरस्त कर सकती है।	मौलिक अधिकार: अधिकार संविधान (भाग III) द्वारा प्रत्याभूत हैं। ये न्यायालयों में प्रवर्तनीय हैं और सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) तथा उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) द्वारा संरक्षित हैं।
6. संघीय बनाम एकात्मक संरचना	विकेंद्रीकरण सहित एकात्मक: शक्ति केंद्रीकृत है। स्कॉटिश या वेल्श संसदें UK संसद की अनुमति से अस्तित्व में हैं। सैद्धांतिक रूप से यह शक्ति वापस ली जा सकती है।	संघीय संरचना: राज्य केंद्र के प्रतिनिधि मात्र नहीं हैं। वे अपनी विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ सीधे संविधान (अनुसूची 7) से प्राप्त करते हैं, न कि संसद से।
7. कार्यकारी जवाबदेही	शक्तियों का संलयन: कार्यपालिका विधायिका के भीतर ही स्थित होती है। प्रधानमंत्री प्रभावी रूप से संसद को नियंत्रित करते हैं (यदि उनके पास बहुमत है), जिसके परिणामस्वरूप लॉर्ड हेल्शम द्वारा वर्णित चुनावी तानाशाही की स्थिति उत्पन्न होती है।	नियंत्रण के साथ पृथक्करण: यद्यपि भारत में भी शक्तियों का एकीकरण है (मंत्री और सांसद दोनों पद ग्रहण करते हैं), फिर भी संविधान विशिष्ट नियंत्रण स्थापित करता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ (अनुच्छेद 60) के माध्यम से प्रधानमंत्री से भिन्न भूमिका निभाते हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट
मांड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

निष्कर्ष:

ब्रिटेन (UK) में सदियों से चली आ रही पूर्ण संप्रभुता संसद में निहित है, जो दीर्घकालिक संवैधानिक विकास को प्रतिबिंबित करती है, वहीं भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, जो नियंत्रण एवं संतुलन, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दोनों मॉडल लोकतांत्रिक शासन को अभिव्यक्त करते हैं, परंतु वे मूलतः अंतिम अधिकार के स्रोत के रूप में भिन्न हैं— जहाँ ब्रिटेन में संसद में, और भारत में संविधान (और इस प्रकार जनता) में निहित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : “भारत का बहुपक्षवाद नैतिक नेतृत्व और रणनीतिक व्यावहारिकता, दोनों से प्रेरित है।” इस द्वैत को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) तथा BRICS (BRICS) में भारत की भूमिका के उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत के बहुपक्षीय दृष्टिकोण के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- ❖ भारत के बहुपक्षवाद में द्वैतवाद का गहन विश्लेषण प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ SCO और BRICS में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का बहुपक्षीय दृष्टिकोण दो मार्गदर्शक स्तंभों पर आधारित एक परिष्कृत संतुलनकारी कार्य को दर्शाता है: नैतिक नेतृत्व और रणनीतिक व्यावहारिकता। जहाँ नैतिक नेतृत्व भारत को एक न्यायसंगत, समतामूलक एवं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिये प्रेरित करता है, वहीं रणनीतिक व्यावहारिकता सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह द्वैतवाद शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और BRICS जैसे गैर-पश्चिमी समूहों के साथ भारत के जुड़ाव में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

मुख्य भाग:

भारत के बहुपक्षवाद में द्वैतवाद: नैतिक नेतृत्व और रणनीतिक व्यावहारिकता

आयाम	नैतिक नेतृत्व (मानक)	रणनीतिक व्यावहारिकता (वास्तविक राजनीति)
मुख्य लक्ष्य	वैश्विक समता और न्याय की अनुशंसा	राष्ट्रीय हितों और स्वायत्तता को आगे बढ़ाना
केंद्रबिंदु	ग्लोबल साउथ, जलवायु न्याय, आतंकवाद-रोधी सहयोग	ऊर्जा सुरक्षा, भू-राजनीतिक संतुलन, संपर्कता
उपकरण	कूटनीति, सर्वसम्मति-निर्माण, सॉफ्ट पावर	मुद्रा-आधारित सहयोग, कठोर वार्ताएँ, सामरिक संतुलनकारी नीति

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भारत की भूमिका**A. नैतिक नेतृत्व**

- ❖ **आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता:** भारत SCO विचार-विमर्श में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत का लगातार समर्थन करता है और इसकी सार्वभौमिक निंदा को कम करने के प्रयासों, विशेष रूप से पाकिस्तान या चीन द्वारा, का विरोध करता है।
- ❖ **‘सुरक्षित’ कार्यवाही:** अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत ने SCO के फोकस को सुरक्षा से आगे बढ़ाकर विकास, पर्यावरण संरक्षण और संप्रभुता के सम्मान को भी शामिल किया।
- ❖ **सभ्यतागत संवाद:** SCO साझा बौद्ध विरासत और वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में नामित करने जैसी पहल भारत की सौम्य शक्ति एवं सांस्कृतिक कूटनीति को दर्शाती हैं।

B. रणनीतिक व्यावहारिकता

- ❖ **शक्ति गतिशीलता को संतुलित करना:** भारत की भागीदारी SCO को चीन-पाकिस्तान धुरी के प्रभुत्व में आने से रोकती है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **आतंकवाद-रोधी सहयोग:** क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) के साथ जुड़ाव भारत को रूस और मध्य एशिया के साथ खुफिया और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में सहायता करता है।
- ❖ **कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा:** SCO 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को आगे बढ़ाने और स्थिर ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।

BRICS में भारत की भूमिका

A. नैतिक नेतृत्व

- ❖ **वॉइस ग्लोबल साउथ की आवाज:** भारत समावेशी विकास, समान जलवायु वित्त और निष्पक्ष प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की वकालत करता है।
- ❖ **वैश्विक शासन में सुधार:** भारत उभरती हुई शक्ति वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IMF और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण का समर्थन करता है।
- ❖ **विकासात्मक मॉडलों को बढ़ावा देना:** भारत UPI और आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में आगे बढ़ा रहा है।

B. रणनीतिक व्यावहारिकता

- ❖ **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):** NDB की स्थापना में भारत की भूमिका अवसंरचना वित्तपोषण के अनुकूल, गैर-पश्चिमी स्रोतों को सुरक्षित करने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम को दर्शाती है।
- ❖ **रणनीतिक स्वायत्तता:** BRICS अपनी पश्चिमी साझेदारियों (जैसे क्वाड) को गैर-पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग के साथ संतुलित करके भारत की बहु-संरक्षण रणनीति को सुदृढ़ करता है।
- ❖ **आर्थिक लचीलापन:** स्थानीय मुद्रा व्यापार और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था जैसे वित्तीय तंत्रों की अनुशंसा डॉलर पर निर्भरता एवं प्रतिबंधों के प्रति सुभेद्यता को कम करने में सहायता करती है।

निष्कर्ष

SCO और BRICS जैसे मंचों में भारत की भागीदारी इसकी द्वि-आयामी कूटनीति को रेखांकित करती है जिसमें नैतिक दृढ़ता का संयोजन व्यावहारिक राजनीति से होता है। भारत अपने लोकतांत्रिक लोकाचार की वैधता और ग्लोबल साउथ नेतृत्व का उपयोग संस्थागत सुधारों के लिये आवाज उठाने में करता है जबकि साथ ही आर्थिक तथा सुरक्षा-संबंधी उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ाता है। यह द्वैत किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं उत्पन्न करता बल्कि भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' का सार प्रस्तुत करता है जो एक विखंडित तथा बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के प्रति उसका परिपक्व और अनुकूलनीय प्रतिक्रिया है।

प्रश्न : भारत-अमेरिका साझेदारी एक लेन-देन आधारित संबंध से रूपांतरकारी चरण में प्रवेश कर चुकी है। उभरते वैश्विक शक्ति संतुलन के संदर्भ में इस विकास का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- ❖ विचलन से व्यापक वैश्विक साझेदारी तक संबंधों के विकास पर प्रकाश डालिये।
- ❖ परिवर्तनकारी प्रगति और वैश्विक शक्ति-संतुलन में आये परिवर्तन के पक्ष में तर्क दीजिये।
- ❖ समालोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत-अमेरिका साझेदारी शीत युद्ध काल की उस अवस्था से आगे बढ़कर विकसित हुई है, जब दोनों देशों के संबंधों में प्रायः वैचारिक भिन्नताएँ और व्यावहारिक, मुद्रा-आधारित सहयोग (जैसे सीमित व्यापार समझौते या विशिष्ट आतंकवाद-निरोधी प्रयास) ही प्रमुख थे। वर्तमान में यह संबंध एक परिवर्तनकारी चरण में पहुँच चुका है, जिसकी विशेषता गहन रणनीतिक, तकनीकी और संस्थागत सामंजस्य है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य भाग:

विचलन से व्यापक वैश्विक साझेदारी तक विकास

चरण	मुख्य विशेषता	संदर्भ और वैश्विक शक्ति परिवर्तन
लेन-देन आधारित संबंध (वर्ष 1947-199)	गुटनिरपेक्षता, प्रतिबंध और मतभेद	द्विध्रुवीय शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता; पाकिस्तान के साथ अमेरिका का गठबंधन, भारत के परमाणु परीक्षणों (1974, 1998) के कारण अमेरिकी प्रतिबंध लगे।
रणनीतिक धुरी (वर्ष 2000-2010)	रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी गई	शीत युद्ध के बाद भारत की आर्थिक और क्षेत्रीय क्षमता को मान्यता मिली। इसकी परिणति वर्ष 2005 के असैन्य परमाणु समझौते के रूप में हुई, जिसने 30 वर्ष के प्रतिबंध को समाप्त किया और भारत के रणनीतिक महत्त्व को सुदृढ़ किया।
परिवर्तनकारी (वर्ष 2020 के बाद से)	सह-विकास और समुत्थानशीलता पर केंद्रित व्यापक वैश्विक साझेदारी	चीन के उदय पर साझा चिंता; समुत्थानशील, लोकतांत्रिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की आवश्यकता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करना।

परिवर्तनकारी प्रगति और वैश्विक शक्ति परिवर्तन

- ❖ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संरक्षण: यह साझेदारी मुख्य रूप से चीन की बढ़ती आक्रामकता की पृष्ठभूमि में नियम-आधारित व्यवस्था को सुरक्षित करने की आवश्यकता से प्रेरित है।
- 🌀 सुरक्षा संरचना: अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार (वर्ष 2016) नामित किया, जिसके बाद आधारभूत समझौते (COMCASA, LEMOA) हुए जो सैन्य अंतर-संचालन को बढ़ाते हैं।
 - 🔍 चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (Quad) में भारत का शामिल होना भू-राजनीतिक शक्ति परिवर्तन के प्रति सबसे स्पष्ट संरचनात्मक प्रतिक्रिया है, जो क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- 🌀 रक्षा सह-उत्पादन: रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-विकास (जैसे: MQ-9B रीपर्स) पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे सुरक्षा संबंध दीर्घकालिक और अपरिवर्तनीय हो गए हैं।
- ❖ तकनीकी लचीलापन और वियोजन: महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (iCET) परिवर्तनकारी चरण की पहचान है, जिसका लक्ष्य भविष्य के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला और नेतृत्व को सुरक्षित करना है।
- 🌀 सेमीकंडक्टर और AI: सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग (उदाहरण के लिये 825 मिलियन डॉलर निवेश प्रतिबद्धता) तथा AI में साझेदारी आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने तथा प्रभावी रूप से ऐसे प्रमुख गैर-लोकतांत्रिक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करने के लिये अत्यंत आवश्यक है।
- 🌀 अंतरिक्ष सहयोग: NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) जैसे संयुक्त मिशन तथा आर्टेमिस समझौते में भारत की भागीदारी भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतरिक्ष शासन कार्यवाहों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करती है जो वैश्विक सामरिक प्रतिस्पर्धा का तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है।
- ❖ आर्थिक परस्पर निर्भरता: व्यापार की विशाल मात्रा शक्तिशाली पारस्परिक हितों का निर्माण करती है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका सत्र 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है, जो सैन्य चिंताओं से परे संबंधों को मजबूत करेगा और आर्थिक समुत्थानशीलता प्रदान करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

समालोचनात्मक मूल्यांकन: शेष लेन-देन संबंधी असंगतता

❖ **भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं पर मतभेद (रणनीतिक स्वायत्तता):** बहुध्रुवीय विश्व में भारत की विदेश नीति को सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जिससे प्रायः अमेरिका के साथ मतभेद उत्पन्न होता है:

⑨ **रूस संबंध:** रूस से भारत की निरंतर रक्षा खरीद (जैसे: S-400 मिसाइलें) से CAATSA के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा है। भारत ने एक विविध खरीद रणनीति अपनाया है, जो यह संकेत देता है कि उसकी रक्षा आवश्यकताएँ अमेरिकी हितों के साथ पूर्ण तालमेल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

⑨ **चीन नीति:** चीन के बारे में चिंताओं को साझा करते हुए, भारत अमेरिका-चीन मतभेद में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने से बचता है और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ भागीदारी को प्राथमिकता देता है। यह सतर्क दृष्टिकोण एक एकीकृत चीन-विरोधी मोर्चा बनाने के अमेरिकी प्रयासों को विफल करता है।

⑨ **ईरान संबंध:** अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत की ईरान के साथ रणनीतिक भागीदारी (जैसे: चाबहार बंदरगाह) जारी है, जो मध्य पूर्व में उसकी स्वतंत्र ऊर्जा और कनेक्टिविटी हितों को दर्शाता है।

❖ **आर्थिक और विनियामक अंतर-विरोध:** वृहत व्यापार के बावजूद, अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दे पूर्ण आर्थिक एकीकरण को बाधित करते हैं:

⑨ **व्यापार बाधाएँ:** अमेरिका प्रायः उच्च टैरिफ और बाजार अभिगम्यता संबंधी प्रतिबंधों के लिये भारत की आलोचना करता है।

🔍 वर्ष 2019 में सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalized System of Preferences – GSP) के तहत भारत की तरजीही व्यापार स्थिति को वापस लेना एक लेन-देन संबंधी कदम था।

🔍 हाल ही में, अमेरिका ने भारत पर लक्षित टैरिफ लगाया है।

⑨ **डिजिटल व्यापार और डेटा सॉवरेनिटी:** डेटा स्थानीयकरण और सख्त डेटा प्राइवेसी कानूनों (जैसे:

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम) के लिये भारत का प्रयास गूगल एवं अमेज़न जैसे अमेरिकी तकनीकी अग्रणियों के साथ तनाव उत्पन्न करता है।

⑨ **बौद्धिक संपदा विवाद:** भारत के पेटेंट कानून, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सस्ती जेनेरिक दवाओं को प्राथमिकता देते हैं, सुदृढ़ बौद्धिक संपदा संरक्षण की अमेरिकी मांग के साथ असंगतता उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत-अमेरिका साझेदारी अपने रणनीतिक तर्क में निस्संदेह परिवर्तनकारी है, जो विशेष रूप से उभरते वैश्विक शक्ति परिवर्तन की अनिवार्यताओं, तकनीकी नेतृत्व की सुरक्षा और एक स्थिर, लोकतांत्रिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने से प्रेरित है। हालाँकि, इसे लेन-देन संबंधी बाधाओं के साथ परिवर्तनकारी संरक्षण के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

प्रश्न: भारत-श्रीलंका संबंध ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक निकटता से विकसित होकर भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से प्रभावित सामरिक साझेदारी के रूप में परिवर्तित हुए हैं। संबंधों में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा पारस्परिक विश्वास को सुदृढ़ करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत-श्रीलंका संबंधों की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विकसित हो रहे रणनीतिक संदर्भ से उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- ❖ भारत-श्रीलंका संबंधों में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिये।
- ❖ दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करने के उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- ❖ उपयुक्त उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत और श्रीलंका के बीच संबंध गहरे ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। साझा बौद्ध विरासत, शताब्दियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क तथा विशेष रूप से तमिलनाडु

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



एवं उत्तरी श्रीलंका के बीच निकट भाषायी एवं जातीय संबंध इन संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं।

हालाँकि, हाल के दशकों में यह साझेदारी रणनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा-उन्मुख सहयोग में विकसित हुई है। यह परिवर्तन श्रीलंका की महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के समीप स्थित भौगोलिक स्थिति और हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में भारत की रुचि को प्रतिबिंबित करता है।

भारत-श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:

- ❖ **मत्स्यन विवाद:** कच्चाथीवू द्वीप विवाद अभी भी जारी है, जहाँ संप्रभुता श्रीलंका के पास होने के कारण भारतीय मछुआरों को केवल गैर-मत्स्यन की सीमित गतिविधियों की अनुमति है।
- 🌀 श्रीलंका के जलक्षेत्र में मत्स्यन के कथित उल्लंघन के आरोप में अकेले वर्ष 2024 में श्रीलंकाई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 500 से अधिक भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था।
- 🌀 श्रीलंका में वर्ष 2017 से प्रतिबंधित पाक खाड़ी में भारतीय यांत्रिक नौकाओं द्वारा की जाने वाली बॉटम ट्रॉलिंग प्रवाल भित्तियों तथा झींगा आवासों को क्षति पहुँचाती है।
- ❖ **चीनी रणनीतिक प्रभाव:** वर्ष 2017 से 99-वर्षीय पट्टे पर हंबनटोटा बंदरगाह पर चीन का नियंत्रण श्रीलंका के रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में उसकी गहन उपस्थिति का प्रतीक है। इससे चीन की संभावित सैन्य उद्देश्यों को लेकर भारत की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ रही हैं।
- ❖ **श्रीलंका में घरेलू राजनीतिक अस्थिरता:** वर्ष 2022 के आर्थिक संकट के बाद से श्रीलंकाई नेतृत्व में लगातार बदलाव से नीतिगत निरंतरता में अनिश्चितताएँ उत्पन्न हुई हैं, जो बंदरगाह विकास, कनेक्टिविटी पहल और ऊर्जा सहयोग जैसी द्विपक्षीय परियोजनाओं को प्रभावित करती हैं।
- ❖ **13वाँ संशोधन तथा तमिल जातीय प्रश्न:** गृहयुद्ध के बाद 13वें संशोधन का धीमा और आंशिक कार्यान्वयन तमिल-बहुसंख्यक उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों में सत्ता के सार्थक अंतरण को सीमित करता है।
- ❖ **व्यापार असंतुलन और आर्थिक सहयोग:** वित्तीय वर्ष 2023-24 में श्रीलंका को भारत का वस्तु निर्यात 4.11 अरब अमेरिकी

डॉलर रहा जबकि भारत को श्रीलंका का निर्यात 1.42 अरब अमेरिकी डॉलर था। इससे श्रीलंका में व्यापार घाटे को लेकर घरेलू आलोचना उत्पन्न होती है।

- ❖ **समुद्री सीमा सुरक्षा और तस्करी:** खुली समुद्री सीमाएँ मादक पदार्थों की तस्करी, अनधिकृत आप्रवासन और अवैध तस्करी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, जिससे सुरक्षा खतरे उत्पन्न होते हैं।

आपसी विश्वास सुदृढ़ करने के उपाय:

- ❖ **सतत मत्स्यन सहयोग को संस्थागत रूप देना:** भारत को श्रीलंका के साथ एक मजबूत द्विपक्षीय मत्स्यन प्रबंधन तंत्र स्थापित करना चाहिये, जिसमें संयुक्त गश्त, विनियमित साझा मत्स्यन के क्षेत्र और मछुआरों की आजीविका सहायता शामिल हो।
- ❖ **सामरिक रक्षा साझेदारी के माध्यम से बाह्य प्रभाव का प्रतिसंतुलन:** वर्ष 2025 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक 5-वर्षीय रक्षा समझौता ज्ञापन के आधार पर, भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिये श्रीलंका की नौसेना में संयुक्त समुद्री गश्ती, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षमता निर्माण को बढ़ाना चाहिये।
- ❖ **राजनीतिक और जातीय सुलह के लिये समर्थन में तीव्रता:** भारत को कूटनीतिक माध्यमों से श्रीलंका के 13वें संशोधन के पूर्ण और वास्तविक कार्यान्वयन का समर्थन करना चाहिये और बहु-हितधारक सुलह मंचों का समर्थन करना चाहिये।
- ❖ **व्यापार और निवेश ढाँचे का पुनर्जीवन:** भारत को श्रीलंका के साथ आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA) पर वार्ताओं को शीघ्र अंतिम रूप देना चाहिये। इसमें चरणबद्ध उदारीकरण तथा सुरक्षा प्रावधानों के माध्यम से श्रीलंकाई चिंताओं और व्यापार असंतुलन का समाधान किया जाना चाहिये।
- ❖ **श्रीलंका की आर्थिक पुनर्प्राप्ति और अवसररचना विकास में सहयोग:** भारत को भारतीय आवास परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों जैसी चल रही परियोजनाओं में रियायती ऋण, अनुदान एवं तकनीकी सहायता के साथ मजबूत विकास सहयोग जारी रखना चाहिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ क्षमता निर्माण और डिजिटल गवर्नेंस सहयोग का विस्तार: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत की उपलब्धियों का लाभ उठाते हुए श्रीलंका की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी (SLUDI) परियोजना और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्रियान्वयन में समर्थन को तीव्र किया जाना चाहिये।
- ❖ जन-से-जन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा: भारत को सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करना चाहिये। विरासत स्थलों के संरक्षण तथा पर्यटन संवर्धन को प्रोत्साहन देना चाहिये, क्योंकि भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा पर्यटक स्रोत है।

निष्कर्ष:

जैसा कि विद्वान जोसेफ नाई ने कहा है, “सॉफ्ट पावर का अर्थ बाध्यता नहीं बल्कि आकर्षण, प्रेरणा और प्रभाव है।”

श्रीलंका के साथ भारत की सहभागिता कूटनीति, विकास सहायता तथा सांस्कृतिक साझेदारी के समन्वय के माध्यम से इस सिद्धांत का उदाहरण प्रस्तुत करती है। आगे की राह में भारत को सतत मात्स्यिकी प्रबंधन, आर्थिक एकीकरण एवं क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना चाहिये तथा इसके साथ-साथ जातीय सुलह और जन-से-जन संपर्कों को भी प्रोत्साहित करना चाहिये।

प्रश्न : अफ्रीका के साथ भारत की सहभागिता अब एक विकास-केंद्रित और माँग-आधारित साझेदारी की ओर अग्रसर हुई है। इस विकसित हो रहे संबंध को आकार देने वाले प्रमुख कारकों तथा चुनौतियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत-अफ्रीका संबंधों की बदलती प्रकृति का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- ❖ इस विकसित होते रिश्ते को आकार देने वाले प्रमुख कारकों और चुनौतियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों में गहन रूपांतरण हुआ है। यह संबंध अब उपनिवेश-विरोधी राजनीतिक एकजुटता से आगे बढ़कर

अफ्रीका की विकसित होती प्राथमिकताओं से संचालित विकास-केंद्रित और माँग-आधारित साझेदारी में परिवर्तित हो चुका है। अफ्रीका के आर्थिक विकास, डिजिटल नवाचार एवं जनांकिकीय गतिशीलता के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने के साथ, भारत का सहयोग अब क्षमता निर्माण, बुनियादी अवसंरचना, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और पारस्परिक लाभकारी व्यापार पर केंद्रित है।

मुख्य भाग:

भारत और अफ्रीका के बीच विकसित हो रही साझेदारी को गति देने वाले प्रमुख कारक

- ❖ आर्थिक पूरकता और विस्तारित व्यापार: भारत और अफ्रीका उल्लेखनीय आर्थिक पूरकता साझा करते हैं।
- 🌀 अफ्रीका महत्वपूर्ण कच्चे माल उपलब्ध कराता है, जबकि भारत निर्मित वस्तुएँ, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद और डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदान करता है।
- 🌀 सत्र 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 56 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सत्र 2024-25 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जो मजबूत आर्थिक गति को दर्शाता है।
- 🔍 भारत का लक्ष्य किफायती वस्तुओं, दूरसंचार समाधानों और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के लिये अफ्रीका की बढ़ती माँग का लाभ उठाते हुए 2030 तक निर्यात को दोगुना करके 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है।
- ❖ औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास: अफ्रीका के औद्योगीकरण में भारत का बढ़ता निवेश साझा समृद्धि के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- 🌀 भारतीय कंपनियों ने केन्या, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं (विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और IT क्षेत्र में) जिससे रोजगार का सृजन हो रहा है तथा क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को समर्थन मिल रहा है।
- 🌀 भारत, लॉजिस्टिक्स साझेदारी, प्रधानमंत्री गति शक्ति से जुड़े परिवहन गलियारों एवं स्मार्ट-सिटी सहयोग के माध्यम से

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



अफ्रीका के बुनियादी अवसंरचना के विकास में भी योगदान देता है।

वर्ष 2025 में अनुमानित 4% GDP वृद्धि के साथ, अफ्रीका भारतीय व्यवसायों के लिये विस्तार का एक प्रमुख अवसर प्रस्तुत करता है।

सामरिक एवं रक्षा सहयोग: रक्षा कूटनीति, आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण और समुद्री सहयोग के माध्यम से अफ्रीका में भारत की रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार हो रहा है।

हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती, उग्रवाद और अस्थिरता को लेकर साझा चिंताओं के साथ, भारत संयुक्त अभ्यासों, हाइड्रोग्राफी, निगरानी और क्षमता-निर्माण में अफ्रीकी नौसेनाओं के साथ सहयोग करता है।

अफ्रीका में भारत की सामरिक उपस्थिति अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट (AIKEYME)- 2025 जैसे प्रयासों के माध्यम से भारत की रणनीतिक उपस्थिति और सुदृढ़ हुई है, जिसमें नौ अफ्रीकी नौसेनाओं के साथ मिलकर समुद्री डकैती-रोधी एवं मानवीय अभियानों की क्षमताओं को बढ़ाया गया है।

जन-जन संबंध, विकास सहयोग और मानव क्षमता निर्माण: 30 लाख की अफ्रीकी-भारतीय प्रवासी आबादी तथा बढ़ते शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान इस साझेदारी की भावनात्मक आधारशिला हैं।

भारत ने महाद्वीप भर में अवसंरचना, कृषि, ऊर्जा और शिक्षा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये 12 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के रियायती ऋण एवं 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान प्रदान किये हैं।

वर्ष 1964 में आरंभ हुए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC) ने अफ्रीकी पेशेवरों के कौशल-विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

साझा ग्लोबल साउथ पहचान और बहुपक्षीय पक्षधरता: भारत और अफ्रीका प्रायः विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिये वैश्विक मंचों पर सहयोग करते हैं।

दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन (WTO) और जलवायु वित्त ढाँचों में सुधार की मांग करते हैं तथा निष्पक्षता, प्रौद्योगिकी अंतरण एवं सतत विकास का समर्थन करते हैं।

भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया जाना, अधिक प्रतिनिधिक वैश्व शासन संरचना को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत-अफ्रीका साझेदारी के विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:

रणनीतिक निष्क्रियता और राजनयिक संलग्नता में अंतराल: एक महत्वपूर्ण बाधा अफ्रीका के साथ भारत की विलंबित राजनीतिक भागीदारी है।

पिछले भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के बाद लगभग एक दशक का लंबा अंतराल निरंतर रणनीतिक संवाद की कमी को दर्शाता है, जिससे महाद्वीप पर भारत की नेतृत्वकारी स्थिति कमजोर पड़ती है।

जटिल सुरक्षा परिदृश्य और कमजोर शासन व्यवस्था: अफ्रीका का सुरक्षा वातावरण अस्थिर है, जो इथियोपिया, सूडान एवं मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे देशों में कई सैन्य तख्तापलट और चल रहे सशस्त्र संघर्षों से चिह्नित है।

कमजोर शासन व्यवस्था, उग्रवाद और बढ़ते कट्टरपंथ से रक्षा सहयोग, शांति स्थापना एवं आतंकवाद-रोधी प्रयासों में प्रभावी ढंग से शामिल होने की भारत की क्षमता बाधित होती है।

संरचनात्मक आर्थिक और अवसंरचना संबंधी अड़चनें: अफ्रीका की अवसंरचना व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में एक बाधा बनी हुई है।

खंडित परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्रणालियाँ, जो मुख्य रूप से संसाधन निर्यात के लिये डिज़ाइन की गई औपनिवेशिक विरासत हैं, लेन-देन लागत को बढ़ाती हैं तथा क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं के निर्माण के लिये महत्वपूर्ण अंतर-अफ्रीकी व्यापार में बाधा डालती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ वित्तीय बाधाएँ और वैश्विक प्रणालीगत पूर्वाग्रह: अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएँ बिगड़ते ऋण संकट का सामना कर रही हैं, जहाँ एक दशक से भी कम समय में ऋण-से-GDP अनुपात 30% से बढ़कर 60% हो गया है।

🌀 वैश्विक वित्तीय संस्थानों में मौजूद प्रणालीगत पूर्वाग्रहों से और भी बढ़ जाने वाली यह वित्तीय अस्थिरता, अफ्रीकी देशों के विकास परियोजनाओं के लिये उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों को सीमित करती है।

- ❖ तीव्र बहुध्रुवीय भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: भारत चीन जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्द्धियों के साथ प्रभाव के लिये प्रतिस्पर्द्धा करता है, जिसने बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से भारी निवेश किया है तथा व्यापक सहायता एवं अवसंरचना परियोजनाओं के साथ-साथ जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया है।

अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के प्रमुख उपाय:

- ❖ एक सशक्त बहु-हितधारक रणनीतिक संवाद को संस्थागत रूप देना: भारत को सरकारों, निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्द्धियों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के हितधारकों को शामिल करते हुए एक वार्षिक भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी मंच की स्थापना करनी चाहिये ताकि निरंतर, अनुकूलनीय नीतिगत संवाद और संयुक्त एजेंडा निर्धारण को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- ❖ अफ्रीकी प्राथमिकताओं के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट रोडमैप तैयार करना: भारत को अफ्रीकी सरकारों और क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (REC) के साथ परामर्श करके विस्तृत क्षेत्रीय एवं देश-विशिष्ट रोडमैप सह-विकसित करने की आवश्यकता है।
- ❖ नवोन्मेषी तंत्रों के माध्यम से वित्तीय सहयोग का विस्तार: अफ्रीका की बढ़ती ऋण-संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारत को रियायती ऋण-रेखाओं का विस्तार करना चाहिये, मिश्रित वित्त साधनों का विकास करना चाहिये और बहुपक्षीय ऋण-राहत प्रयासों में भागीदारी बढ़ानी चाहिये।

- ❖ क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार: भारत को अफ्रीकी देशों में ITEC कार्यक्रमों, छात्रवृत्तियों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार करना चाहिये।
- ❖ व्यापार और भुगतान तंत्रों का आधुनिकीकरण: द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने और लेन-देन लागत को कम करने के लिये, भारत को पारंपरिक डॉलर-आधारित निपटान से आगे बढ़कर व्यापार लॉजिस्टिक्स को सरल बनाना चाहिये।
- ❖ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में सहयोग को गहन करना: भारत को अफ्रीका के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिये UPI, डिजिटल पहचान प्रणाली और ई-गवर्नेंस जैसी डिजिटल सार्वजनिक साधनों में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहिये।
- ❖ जन-से-जन और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना: शैक्षणिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कूटनीति और प्रवासी सहभागिता को बढ़ाने से मज़बूत सामाजिक पूंजी का निर्माण होगा।
- ❖ समुद्री सुरक्षा और रक्षा साझेदारियों को सशक्त करना: भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता, संयुक्त सैन्य अभ्यासों एवं समुद्री डकैती-रोधी अभियानों में सहयोग को और गहन किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत-अफ्रीका संबंध साझा मूल्यों और पारस्परिक आकांक्षाओं पर आधारित एक ऐतिहासिक साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जैसा कि डॉ. शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट शब्दों में कहा, “भारत और अफ्रीका ने समान पथ पर चलकर स्वतंत्रता एवं विकास के मूल्यों और सपनों को साझा किया है।” इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिये, भारत को रणनीतिक संवादों को संस्थागत रूप देना चाहिये, निवेश को अफ्रीकी प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालना चाहिये, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना चाहिये और स्थायी सांस्कृतिक एवं डिजिटल संबंधों को मज़बूत करना चाहिये। ऐसा बहुआयामी दृष्टिकोण एक सुदृढ़ और न्यायसंगत साझेदारी सुनिश्चित करेगा, जो सतत विकास एवं वैश्विक एकजुटता को आगे बढ़ाएगी।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : “पर्याप्त भंडार होने के बावजूद, भारत का दुर्लभ मृदा क्षेत्र अभी भी अविकसित है।” भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिये इन दुर्लभ मृदा खनिजों के सामरिक महत्त्व का विश्लेषण कीजिये तथा इनके समुचित उपयोग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ दुर्लभ मृदा खनिजों के सामरिक महत्त्व का विश्लेषण कीजिये।
- ❖ उनके इष्टतम उपयोग में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में अनुमानित 6.9 मिलियन टन दुर्लभ मृदा ऑक्साइड भंडार है, जो विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, फिर भी वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान 1% से भी कम है। भंडार और उत्पादन के इस असंतुलन से यह स्पष्ट होता है कि भारत को प्रौद्योगिकीय स्वायत्तता तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अपने रेयर अर्थ एलिमेंट पारितंत्र को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है।

मुख्य भाग:

दुर्लभ मृदा खनिजों का सामरिक महत्त्व

- ❖ भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु लक्ष्यों के लिये महत्त्वपूर्ण: दुर्लभ मृदा तत्व (REE) स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये अपरिहार्य हैं, जिनमें पवन टर्बाइनों में उपयोग किये जाने वाले स्थायी चुंबक, सौर कोशिकाओं में उत्प्रेरक और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बैटरी शामिल हैं।
- 🌀 पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में दुर्लभ मृदा चुंबकों की माँग वर्ष 2030 तक लगभग दोगुनी होने की

उम्मीद है, जो भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य (2070) के अनुरूप है।

- ❖ राष्ट्रीय रक्षा और सामरिक स्वायत्तता के लिये आवश्यक: दुर्लभ मृदा धातुएँ उन्नत रक्षा तकनीकों जैसे मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली, संचार उपकरण, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- 🌀 भारत वर्तमान में मुख्य रूप से चीन से आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे कमजोरियाँ उत्पन्न होती हैं।
- ❖ आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा: भारत के पास वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार (लगभग 6.9 मिलियन टन) है, जो मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों (केरल, तमिलनाडु, ओडिशा) में है।
- 🌀 भारतीय दुर्लभ मृदा बाजार का मूल्य 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2024) से अधिक है और इसके उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है, दुर्लभ मृदा खनन एवं प्रसंस्करण का विस्तार आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है।
- ❖ मूल्य शृंखला विकास के माध्यम से ‘मेक इन इंडिया’ विज़न का समर्थन: उच्च मूल्य वाले दुर्लभ मृदा उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिये विशाखापत्तनम में चुंबक निर्माण संयंत्रों तथा केरल एवं ओडिशा में एकीकृत शोधन सुविधाओं सहित पूर्ण मूल्य शृंखलाओं के निर्माण हेतु बड़े निवेश किये जा रहे हैं।
- ❖ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये रणनीतिक भंडार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत आपूर्ति संबंधी आघात को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण दुर्लभ मृदा खनिजों के रणनीतिक भंडार का सक्रिय रूप से विकास कर रहा है।
- 🌀 यह संसाधन संपन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है और स्रोतों में विविधता लाने के लिये क्वाड जैसे गठबंधन बना रहा है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



दुर्लभ मृदा तत्वों के इष्टतम उपयोग में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

❖ **सीमित घरेलू उत्पादन और पुरानी बुनियादी अवसंरचना:** हालाँकि भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा ऑक्साइड भंडार (लगभग 6.9 मिलियन टन) और वैश्विक समुद्र तटीय रेत खनिज भंडार का लगभग 35% हिस्सा है, फिर भी इसका वास्तविक उत्पादन मामूली है, खदान उत्पादन केवल लगभग 2,900 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (वैश्विक आपूर्ति का 1% से भी कम) है।

❖ **भू-राजनीतिक और आपूर्ति शृंखला की कमज़ोरियाँ:** भू-राजनीतिक रूप से सुभेद्य क्षेत्रों, विशेष रूप से चीन से आयात पर भारत की निर्भरता, इसके महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को आपूर्ति में व्यवधानों के प्रति सुभेद्य बनाती है।

🌀 **महत्वपूर्ण खनिजों के लिये चल रही वैश्विक प्रतिस्पर्धा** कीमतों में अस्थिरता और उपलब्धता के जोखिमों को बढ़ा देती है।

❖ **उच्च पूँजीगत लागत और लंबी समय सीमा:** एकीकृत खनन और प्रसंस्करण बुनियादी अवसंरचना की स्थापना के लिये पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।

❖ **अनुप्रवाह प्रसंस्करण और मूल्यवर्द्धन का अभाव:** भारत का दुर्लभ मृदा क्षेत्र मुख्य रूप से खनन और प्रारंभिक प्रसंस्करण (जैसे: पृथक्करण और ऑक्साइड उत्पादन) पर केंद्रित है।

🌀 हालाँकि, उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिये आवश्यक मिश्रधातु, स्थायी चुंबक और तैयार घटकों जैसे मध्यवर्ती उत्पादों के उत्पादन में इसकी क्षमताएँ सीमित हैं।

❖ **पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम:** दुर्लभ मृदा खनन में थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों से जुड़े खनिजों का निष्कर्षण शामिल है, जिससे पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं तथा कड़े नियामक निरीक्षण की आवश्यकता होती है।

भारत में दुर्लभ मृदा सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के उपाय

❖ **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) को गति प्रदान करना:** खनिज सर्वेक्षण को त्वरित किया जाना चाहिये, वर्ष

2030 तक 1,200 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों का अन्वेषण किया जाना चाहिये और घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जाना चाहिये।

❖ **एकीकृत REE विनिर्माण क्लस्टर विकसित करना:** ऑस्ट्रेलिया के क्लस्टर मॉडल से प्रेरणा लेते हुए, एक पूर्ण मूल्य शृंखला बनाने के लिये ओडिशा (LREE), आंध्र प्रदेश (HREE) और तमिलनाडु (चुंबक विनिर्माण) में विशेष केंद्र बनाए जाने चाहिये।

❖ **रणनीतिक भंडार का निर्माण:** दुर्लभ मृदा के सरकार समर्थित भंडार बनाए जाने चाहिये तथा आपूर्ति आघात और बाज़ार में अस्थिरता को कम करने के लिये मूल्य सीमा/न्यूनतम खरीद गारंटी जैसी व्यवस्थाएँ लागू की जानी चाहिये।

❖ **दुर्लभ मृदा चुंबकों के लिये PLI का विस्तार:** घरेलू चुंबक विनिर्माण को बढ़ाने और वर्ष 2030 तक वैश्विक मांग के 15% को पूरा करने के लिये धन बढ़ाएँ, इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय क्षेत्रों का समर्थन किया जाना चाहिये। घरेलू चुंबक विनिर्माण को बढ़ाने और वर्ष 2030 तक वैश्विक मांग के 15% को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता बढ़ाई जानी चाहिये जिससे EV तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को समर्थन मिले।

❖ **अनुसंधान एवं विकास तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** हरित खनन के लिये उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित किये जाने चाहिये तथा जापान और दक्षिण कोरिया की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए ई-अपशिष्ट से REE के बड़े पैमाने पर पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

❖ **सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ नियमों को सुव्यवस्थित करना:** मोनाज़ाइट-समृद्ध और विकिरण-संवेदनशील निक्षेपों के लिये सख्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हुए खनन/पर्यावरणीय मंजूरी को सरल बनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने उचित ही कहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये मुख्य प्रश्न केवल यह नहीं है कि “आज एक अर्थव्यवस्था क्या उत्पादन कर सकती है, बल्कि यह है कि वह क्या उत्पादन करना सीख सकती है !”

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



यही सिद्धांत भारत की दुर्लभ मृदा तत्वों के संबंध में सामरिक प्रगति का मार्गदर्शन कर सकता है। इस दृष्टि को साकार करने के लिये भारत को एक समग्र दुर्लभ धातु रणनीति अपनानी चाहिये जिसमें राष्ट्रीय खनिज पदार्थ केंद्र (NCMM) का शीघ्र संचालन, PLI प्रोत्साहनों का विस्तार, एकीकृत औद्योगिक क्लस्टरों का विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्थाओं के साथ विनियमों का सरलीकरण शामिल हो।

प्रश्न : “भारत का सड़क परिवहन क्षेत्र आर्थिक विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, किंतु यह अब भी कमज़ोर अवसंरचना और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से ग्रस्त है।” सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा एक अधिक सुरक्षित एवं सतत परिवहन तंत्र के निर्माण हेतु उपाय प्रस्तावित कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र के महत्त्व तथा आर्थिक विकास से इसके संबंध को रेखांकित करते हुये विषय की भूमिका प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये।
- ❖ एक सुरक्षित एवं संधारणीय (सस्टेनेबल) परिवहन तंत्र निर्माण हेतु उपाय प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सड़क परिवहन क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ के रूप में कार्य करता है, जो लगभग 60% वस्तु-परिवहन और 87% यात्री यातायात का वहन करता है। हालाँकि, यह क्षेत्र पुराने बुनियादी अवसंरचना की कमी और सड़क दुर्घटनाओं में खतरनाक वृद्धि से ग्रस्त है— वर्ष 2023 में 1.72 लाख से अधिक मृत्यु की घटनाएँ हुईं, जिसका आँकड़ा वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है। इस क्षेत्र के आर्थिक महत्त्व और इसकी प्रणालीगत कमियों के बीच इस विरोधाभास के लिये एक सुरक्षित एवं संधारणीय परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु गहन विश्लेषण की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

भारत में सड़क सुरक्षा में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

- ❖ **ओवरस्पीडिंग:** भारत में लगभग 70% यातायात मौतें ओवरस्पीडिंग के कारण होती हैं, जो प्रायः राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर होती हैं।

⑤ **शराब एवं मादक पदार्थों का सेवन:** मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत सख्त विधिक प्रतिबंधों के बावजूद, नशे में गाड़ी चलाना भारत में घातक सड़क दुर्घटनाओं का एक व्यापक कारण बना हुआ है।

🔍 उदाहरण के लिये, दिल्ली से प्राप्त हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि नशे में गाड़ी चलाने के मामलों में तीव्र वृद्धि हुई है, वर्ष 2024 में उल्लंघन के 22,703 मामले दर्ज किये गए— जो वर्ष 2023 की तुलना में 40% की वृद्धि है।

⑤ **लापरवाह ड्राइविंग (मोबाइल फोन का उपयोग):** लगभग 8% दुर्घटनाएँ लापरवाह ड्राइविंग, विशेष रूप से मोबाइल फोन के उपयोग जैसे ड्राइविंग करते समय टेक्स्टिंग के कारण होती हैं।

🔍 मोबाइल फोन के उपयोग से ध्यान और प्रतिक्रिया समय में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक गंभीर दुर्घटनाएँ होती हैं।

⑤ **अकुशल सड़क अवसंरचना और अनुरक्षण:** उचित अवसंरचना और विनियामक उन्नयन के बिना तीव्र मोटरीकरण से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

🔍 वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 3.7 लाख से बढ़कर वर्ष 2023 में 4.8 लाख हो गई, जो वाहन वृद्धि दर के समानांतर है।

⑤ **हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग न करना:** सड़क सुरक्षा जागरूकता और यातायात अनुशासनहीनता सामान्य बनी हुई है, विशेष रूप से हेलमेट के उपयोग, सीट प्रतिधारण और गति सीमा के पालन के संबंध में।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



MoRTH रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में केवल हेलमेट न पहनने के कारण 54,568 दोपहिया वाहन चालकों एवं सवारों की मृत्यु हुई, जो उस वर्ष सभी सड़क मृत्यु का 31.6 प्रतिशत था।

अपर्याप्त चालक प्रशिक्षण और लाइसेंस: कई चालक (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) वैध लाइसेंस या औपचारिक प्रशिक्षण के बिना वाहन चलाते हैं, जिससे लापरवाह ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।

प्रवर्तन में कमी और खंडित संस्थागत शासन: कई एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण यातायात कानूनों का प्रवर्तन अनियमित है।

AI-संचालित स्पीड कैमरे और CCTV जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन का परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह व्यापक नहीं हुआ है।

कई दुर्घटना पीड़ितों की मृत्यु इसलिये हो जाती है क्योंकि दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण 'गोल्डन ऑवर' के दौरान उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती।

भारत में सड़क सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के उपाय

कठोर सड़क सुरक्षा ऑडिट के साथ सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण को लागू करना: भारत को सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण को संस्थागत बनाना चाहिये, जो मानवीय त्रुटि को ध्यान में रखते हुए घातक परिणामों को न्यूनतम करने के लिये सड़कों एवं नीतियों को डिजाइन करता हो।

प्रौद्योगिकी का उपयोग और सख्त दंड लागू करके विधि प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण: ओवरस्पीडिंग, नशे में ड्राइविंग तथा हेलमेट/सीटबेल्ट कानूनों का पालन न करने पर अंकुश लगाने के लिये, भारत को AI-सक्षम कैमरों, गति पहचान प्रणालियों और ई-चालान एकीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन का विस्तार करना चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है।

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 को पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिये, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान, बार-बार उल्लंघन करने वालों की निगरानी तथा त्वरित न्याय के लिये वर्चुअल कोर्ट्स शामिल हों।

सुंदर समिति ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड के साथ-साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की अनुशंसा की थी, ताकि पूरे भारत में सड़क सुरक्षा पहलों के लिये समन्वित नीति कार्यान्वयन, प्रभावी विनियमन और सतत् वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके।

समावेशी डिजाइन के साथ सड़क अवसंरचना का आधुनिकीकरण और अनुरक्षण: भारत को सड़क निर्माण एवं रख-रखाव (ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना-बहुल स्थान) का उन्मूलन करना, सड़क संकेत, प्रकाश व्यवस्था, पैदल यात्री क्रॉसिंग और साइकिल लेन में सुधार करना) में निवेश बढ़ाना चाहिये।

चालक प्रशिक्षण, लाइसेंसिंग और प्रमाणन में वृद्धि: चालक क्षमता में अंतराल को दूर करने के लिये मजबूत सुधारों की आवश्यकता है।

जिला स्तरीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जाना चाहिये तथा उनमें व्यावहारिक मूल्यांकन और मनोवैज्ञानिक फिटनेस जाँच सहित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम होने चाहिये।

लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने तथा फर्जी लाइसेंसों पर सख्त नियंत्रण से ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं निगरानी क्षमता सुदृढ़ हो सकती है जिससे सड़क अनुशासन में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ट्रॉमा केयर और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं (EMS) में निवेश: EMS बुनियादी अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार करके भारत में सड़क दुर्घटनाओं के बाद होने वाली उच्च मृत्यु-दर को कम किया जा सकता है।

राजमार्गों के किनारे ट्रॉमा सेंटर्स का विस्तार, टोल प्लाज़ा पर प्रशिक्षित पैरामेडिक्स के साथ एम्बुलेंस (NHARSS के तहत) तथा कैशलेस उपचार योजनाओं को देश भर में तीव्रता से लागू किया जाना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार, दुर्घटना के बाद 'गोल्डन आवर' के लिये बेहतर एम्बुलेंस सेवा समय और अस्पताल समन्वय की आवश्यकता होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ सार्वजनिक जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियान को बढ़ावा: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में शामिल 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा' जैसे सतत् सार्वजनिक अभियानों के तहत हेलमेट के उपयोग, गति नियमों के पालन और संयमित ड्राइविंग पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

❖ एक मज़बूत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का विकास: e-DAR प्रणालियों के माध्यम से रियल टाइम रिपोर्टिंग के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय दुर्घटना डेटाबेस को लागू करना साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सक्षम बनाता है।

🌀 ब्रिटेन की STATS19 प्रणाली द्वारा क्रियान्वित सड़क दुर्घटना डेटाबेस तक सार्वजनिक अभिगम्यता पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और डेटा-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा देती है, जिससे नागरिकों एवं शोधकर्ताओं को रूझानों की निगरानी करने तथा नीति परिणामों का आकलन करने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष:

चूँकि सड़क दुर्घटनाएँ अपरिहार्य नहीं, बल्कि कारणवश होती हैं, इसलिये एक क्षण की भी लापरवाही जीवन को तबाह कर सकती है। केरल उच्च न्यायालय ने उचित ही इस बात पर जोर दिया कि सड़क सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक सामूहिक ज़िम्मेदारी भी है। सतत् विकास लक्ष्य 3.6 को प्राप्त करने के साथ ही वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को न्यूनतम करने के लिये, भारत को सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण अपनाने, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रवर्तन को सुदृढ़ करने, बुनियादी अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने, चालक प्रशिक्षण व आघात देखभाल में सुधार करने तथा जवाबदेही एवं सुरक्षित सड़कों के लिये निरंतर जन जागरूकता और न्यायिक निगरानी के माध्यम से डेटा-आधारित निगरानी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

प्रश्न : भारत वर्ष 2047 तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है। इस परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का परीक्षण कीजिये तथा उन्हें दूर करने हेतु आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ वर्ष 2047 तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- ❖ इस परिवर्तन में बाधा डालने वाली प्रमुख संरचनात्मक समस्याओं का विश्लेषण कीजिये।
- ❖ इन समस्याओं को दूर करने के लिये आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिये।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वर्ष 2047 तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की भारत की परिकल्पना, जो 'अमृत काल' का एक प्रमुख स्तंभ है, एक ऐसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, नवाचार-प्रेरित तथा समुत्थानशील अर्थव्यवस्था के निर्माण पर आधारित है। आत्मनिर्भरता का आशय अलगाव नहीं है, बल्कि वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ भारत की शर्तों पर एकीकृत होने की क्षमता तथा विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षमताओं को सुरक्षित करने की योग्यता है। हालाँकि भारत को अभी भी कई गहन संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो इस संक्रमण को बाधित करती हैं।

मुख्य भाग:

आर्थिक आत्मनिर्भरता में बाधा डालने वाली संरचनात्मक सीमाएँ

- ❖ अवरुद्ध संरचनात्मक रूपांतरण (कृषि बनाम उद्योग): श्रम का प्रवाह निम्न-उत्पादक कृषि से उच्च-उत्पादक उद्योग की ओर (लुईस मॉडल) होना चाहिये। भारत में यह परिवर्तन अवरुद्ध है।
- 🌀 कृषि का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान केवल लगभग 18% है जबकि यह लगभग 46% कार्यबल को रोजगार प्रदान करती है। यह व्यापक प्रच्छन्न बेरोजगारी और निम्न प्रति-व्यक्ति उत्पादकता को दर्शाता है।
- 🌀 एक निर्वाह-आधारित कृषि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्र का आधार नहीं बन सकती।
- ❖ विनिर्माण संबंधी बाधाएँ और कम उत्पादकता: भारत की विनिर्माण हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 17%

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



से कम है, जो चीन या दक्षिण कोरिया के औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर से काफी पीछे है। भूमि अधिग्रहण में कठिनाई, खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएँ और प्रौद्योगिकी के अपर्याप्त अंगीकरण से उत्पादन क्षमता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित हो जाती है।

परिणामस्वरूप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, सौर मॉड्यूल और महत्वपूर्ण खनिजों के लिये आयात पर निर्भर बना हुआ है।

श्रम बाज़ार की कठोरता और कौशल असंतुलन: युवा श्रम शक्ति होने के बावजूद, भारत कौशल की कमी का सामना कर रहा है, जहाँ लगभग 5% कार्यबल औपचारिक रूप से कुशल है, जो ब्रिटेन (68%) और जर्मनी (75%) जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।

कठोर श्रम अनुपालन, अत्यधिक अनौपचारिकीकरण (75% से अधिक रोज़गार) और निम्न महिला श्रमबल भागीदारी उत्पादकता को घटाती है तथा पूँजी-गहन विनिर्माण को हतोत्साहित करती है।

अवसंरचना अंतराल और उच्च लेन-देन लागत: गति शक्ति योजना के तहत सुधार होने के बावजूद, भारत अभी भी बंदरगाह दक्षता की कमी, लॉजिस्टिक्स अवरोधों, विद्युत आपूर्ति की अनियमितताओं और शहरी भीड़भाड़ जैसी समस्याओं से जूझ रहा है।

उच्च लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा लागत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती हैं।

प्रौद्योगिकीय निर्भरता और निम्न अनुसंधान एवं विकास व्यय: भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय GDP के लगभग 0.65% पर स्थिर बना हुआ है, जो वैश्विक नवप्रवर्तकों की तुलना में काफी कम है।

AI हार्डवेयर, दूरसंचार उपकरण, सेमीकंडक्टर, चिकित्सा उपकरण और रक्षा प्लेटफॉर्मों में आयात पर अत्यधिक निर्भरता तकनीकी संप्रभुता एवं रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित करती है।

वित्तीय क्षेत्र की कमज़ोरियाँ: वित्तीय क्षेत्र को उथले कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ारों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण संकेंद्रण और

जोखिम से बचने वाले ऋण देने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

रोज़गार के इंजन माने जाने वाले लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) उच्च संपार्श्विक आवश्यकताओं, विलंबित भुगतानों एवं अपर्याप्त औपचारिक ऋण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

प्रशासनिक और विनियामक अक्षमताएँ: जटिल अनुपालन प्रणालियाँ, कई स्वीकृतियाँ, नीति की अनिश्चितता और प्रशासनिक में विलंब से व्यावसायिक गतिविधियाँ धीमी हो जाती हैं।

भारत ने 'व्यापार सुगमता' के मामले में सुधार किया है, लेकिन प्रवर्तन, अनुबंध समाधान और कराधान की जटिलता अभी भी प्रमुख समस्याएँ बनी हुई हैं।

ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता: भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस के अधिकांश भाग आयात करता है, जिससे अर्थव्यवस्था मूल्य में उतार-चढ़ाव एवं भू-राजनीतिक आघात के प्रति सुभेद्य हो जाती है।

इससे भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ता है, ऊर्जा की लागत अधिक बनी रहती है और मुद्रास्फीति प्रभावित होती है। आयातित सोलर मॉड्यूल, महत्वपूर्ण खनिजों एवं बैटरी घटकों पर निर्भरता उभरते स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में रणनीतिक स्वायत्तता को भी सीमित करती है।

वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लिये आवश्यक सुधार

कारक बाज़ार सुधार:

भूमि: भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, पारदर्शी अधिग्रहण कार्यवाही।

श्रम: श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन, औपचारिकीकरण को बढ़ावा और महिला कार्यबल भागीदारी में वृद्धि।

पूँजी: कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ारों को मजबूत करना, MSME के लिये ऋण व्यवस्था में सुधार करना।

औद्योगिक नीति और प्रौद्योगिकीय उन्नयन:

उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों— इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, AI, बायोटेक, अंतरिक्ष, रक्षा पर केंद्रित 'मेक इन इंडिया 2.0' को बढ़ावा देना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



⦿ सार्वजनिक-निजी अनुसंधान एवं विकास साझेदारियों को सुदृढ़ करना और अनुसंधान एवं विकास व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक ले जाना।

⦿ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला निर्माण के लिये राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन का विकास।

❖ बुनियादी अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स परिवर्तन

⦿ गति शक्ति, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, बंदरगाह आधुनिकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार की गति को तीव्र करना।

⦿ वर्ष 2035 तक लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 8-9% तक घटाना।

❖ मानव पूंजी और कौशल क्रांति:

⦿ इंडस्ट्री 4.0 की आवश्यकताओं (रोबोटिक्स, AI, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन) के अनुरूप स्किल इंडिया 2.0 को लागू करना।

⦿ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) शिक्षा, अग्रेंटिसशिप और उद्योग-संलग्न प्रशिक्षण को सशक्त करना।

❖ शासन और संस्थागत सुधार:

⦿ सिंगल-विंडो सिस्टम, डिजिटाइज्ड अप्रूवल और समयबद्ध मंजूरी के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाना

⦿ अनुबंध प्रवर्तन, कर दक्षता और नियामक पारदर्शिता को मजबूत करना।

निष्कर्ष:

वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये भारत को विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, पूंजी और मानव विकास में समन्वित सुधारों के माध्यम से गहन संरचनात्मक सीमाओं को पार करने की आवश्यकता है। रणनीतिक नीतिगत दिशा, नवाचार-आधारित विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के साथ भारत अपने शताब्दी वर्ष तक एक समुत्थानशील, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो सकता है।

प्रश्न : भारत द्वारा हाल ही में लागू किये गये चार नये श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रम सुधारों के महत्त्व का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ भारत में हाल ही में हुए श्रम सुधारों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ इन सुधारों के महत्त्व और चुनौतियों की विवेचना कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का श्रम विनियामक कार्यढाँचा ऐतिहासिक रूप से 29 केंद्रीय कानूनों पर आधारित था, जो जटिल, परस्पर अतिव्याप्त तथा तीव्र रूप से रूपांतरित होती अर्थव्यवस्था के लिये अपर्याप्त थे। श्रम प्रशासन को आधुनिक बनाने और श्रमिक कल्याण तथा औद्योगिक उत्पादकता दोनों को बढ़ावा देने के लिये, सरकार ने इन कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित किया है— वेतन संहिता (वर्ष 2019), औद्योगिक संबंध संहिता (वर्ष 2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (वर्ष 2020) तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ (OSHC) संहिता (वर्ष 2020)।

मुख्य भाग:

भारत में हाल ही में लागू किये गए चार नए श्रम कानूनों के तहत श्रम सुधारों का महत्त्व

❖ **वेतन संहिता, 2019:** यह संहिता चार वेतन-संबंधी कानूनों को समेकित कर सभी श्रमिकों, जिनमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी सम्मिलित हैं, के लिये एक समान और एकीकृत वेतन प्रणाली स्थापित करती है।

⦿ यह एक वैधानिक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करती है, जिसे राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का समर्थन प्राप्त है, जिसके नीचे राज्य वेतन निर्धारित नहीं कर सकते।

⦿ यह संहिता लैंगिक-तटस्थ रोजगार को प्रोत्साहित करती है, समय पर वेतन भुगतान को अनिवार्य बनाती है और सामान्य दर से दोगुनी दर पर ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित करती है।

⦿ एक समान वेतन परिभाषा, मैत्रीपूर्ण निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता प्रणाली और छोटे अपराधों के लिये आपराधिक अभियोजन के स्थान पर मौद्रिक दंड के प्रावधानों के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाया गया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: यह संहिता ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक विवादों और स्थायी आदेशों से संबंधित कानूनों को सुव्यवस्थित करती है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक सामंजस्य, पूर्वानुमानशीलता और श्रम लचीलापन सुनिश्चित करना है।
- ⌚ यह निश्चित अवधि रोज़गार को औपचारिक मान्यता प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत संविदा श्रमिकों को पूर्ण वेतन समानता और एक वर्ष के बाद ग्रेजुटी का अधिकार प्राप्त होता है।
- ⌚ छूटनी, पुनर्नियोजन और स्थायी आदेशों के लिये सरकारी अनुमति की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दी गई है, जिससे उद्योगों के लिये विस्तार करना अपेक्षाकृत सरल हो गया है।
- ❖ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: यह संहिता नौ सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समेकित करती है तथा असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक सामाजिक संरक्षण का विस्तार करती है, जो भारत के कल्याणकारी ढाँचे में एक महत्वपूर्ण विस्तार है।
- ⌚ यह राष्ट्रव्यापी स्तर पर ESIC के दायरे को बढ़ाती है, खतरनाक व्यवसायों के लिये इसे अनिवार्य करती है तथा समयबद्ध जाँच और कम अपील जमा राशि के माध्यम से EPF प्रक्रियाओं को सरल बनाती है।
- ❖ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों (OSH) संहिता, 2020: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 13 कानूनों को समेकित कर कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिये एक एकीकृत और आधुनिक ढाँचा प्रदान करती है।
- ⌚ यह प्रतिष्ठानों के लिये एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक रिटर्न की व्यवस्था लागू करती है, जिससे कागज़ी कार्य और अनुपालन भार में उल्लेखनीय कमी आती है।
- ⌚ यह संहिता सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं के लिये नाईट शिफ्ट में कार्य का प्रावधान कर उनके रोज़गार को प्रोत्साहित करती है तथा सभी श्रमिकों के लिये वार्षिक स्वास्थ्य जाँच और औपचारिक नियुक्ति पत्र को अनिवार्य बनाती है।

- ⌚ कार्य समय को 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है तथा उल्लंघनों के लिये कारावास के स्थान पर मौद्रिक दंड का प्रावधान किया गया है।
- भारत में श्रम संबंधी मुद्दों के प्रबंधन में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ
- ❖ खंडित और जटिल नियामक परिवेश: समेकन से पहले, भारत में 29 केंद्रीय श्रम कानून थे, जिनमें से कई परस्पर विरोधी और विरोधाभासी थे।
- ⌚ नियमों की अत्यधिक संख्या ने अनुपालन को भारी बोझ बना दिया था; अध्ययनों के अनुसार, 1,536 कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कंपनियों को प्रतिवर्ष लगभग 69,000 से अधिक अनुपालनों का सामना करना पड़ता था।
- ❖ गिग वर्कर्स के लिये सामाजिक सुरक्षा की संरचना में कमियाँ: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 औपचारिक रूप से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित करती है, लेकिन उनके लाभों के लिये वित्तपोषण संरचना अभी भी अस्पष्ट है।
- ⌚ कानून में एग्रीगेटरों के योगदान का उल्लेख तो है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार कितनी हिस्सेदारी वहन करेगी अथवा लाभों का सतत वित्तपोषण कैसे होगा।
- ❖ OSH संहिता और महिलाओं का रोज़गार: OSH संहिता महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में काम करने की अनुमति देती है, लेकिन नियोक्ताओं को व्यापक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होते हैं। यद्यपि इसका उद्देश्य अवसरों का विस्तार है, किंतु अतिरिक्त अनुपालन भार छोटे प्रतिष्ठानों को महिलाओं की भर्ती से हतोत्साहित कर सकता है।
- ❖ औद्योगिक संबंध संहिता और मिसिंग मिडिल: औद्योगिक संबंध संहिता छूटनी के लिये सरकारी अनुमति की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर देती है।
- ⌚ आलोचकों का तर्क है कि इससे भर्ती और बर्खास्तगी की प्रथाओं का दायरा बढ़ जाता है तथा रोज़गार सृजन के बजाय नौकरी की असुरक्षा बढ़ सकती है।
- ❖ युवा बेरोज़गारी और कौशल असंगति: भारत के जनांकिकीय लाभांश के बावजूद, युवा बेरोज़गारी एक गंभीर चुनौती बनी

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



हुई है, जिसमें युवा बेरोजगारी दर (15-29 आयु वर्ग) लगभग 14.6% के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुना अधिक है।

- ◆ ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक विपक्ष का प्रतिरोध: श्रमिक सुधारों को ट्रेड यूनियनों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो श्रमिक सुरक्षा में कमी आने की आशंका जताते हुए छूटनी की सीमा और अनिश्चित माने जाने वाले निश्चित अवधि के अनुबंधों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

🌀 दस बड़े ट्रेड यूनियनों ने नवंबर 2025 में लागू किये गए चार नए श्रम कानूनों का कड़ा विरोध किया है, उन्हें श्रमिक विरोधी और धोखाधड़ी करार दिया है तथा श्रमिकों के अधिकारों में महत्वपूर्ण कमी का आरोप लगाया है।

- ◆ डेटा की कमी और नीतिगत खामियाँ: भारत का श्रम प्रशासन गंभीर आँकड़ों की कमी से ग्रस्त है, जिसमें पुराने, खंडित और अपूर्ण श्रम आँकड़े शामिल हैं।

🌀 एक एकीकृत श्रम बाजार सूचना प्रणाली (LMIS) के अभाव में वास्तविक समय पर आधारित, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण सीमित रह जाता है।

भारत में श्रम प्रशासन को मज़बूत करने के लिये भारत द्वारा अपनाए जा सकने वाले उपाय

- ◆ अनुपालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण और डिजिटलीकरण: भारत को अनुपालन के भारी बोझ को कम करने के लिये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, एकल पंजीकरण, लाइसेंसिंग और समेकित रिटर्न के कार्यान्वयन को तीव्र करना चाहिये।

🌀 सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से सीख लेते हुए, जहाँ एकीकृत डिजिटल श्रम पोर्टल नियोक्ताओं के लिये अनुपालन को आसान बनाते हैं, भारत कागज़ी कार्रवाई को कम कर सकता है तथा औपचारिकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।

- ◆ सूक्ष्म और असंगठित उद्यमों के लिये प्रोत्साहनों के माध्यम से औपचारिकरण को बढ़ावा: 90% से अधिक असंगठित श्रमिकों

को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिये कर राहत, ऋण तक अभिगम्यता और सरल प्रक्रियाओं जैसे वित्तीय एवं नियामक प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये, ताकि भारत की औद्योगिक संरचना में 'मिसिंग लिंक्स' की समस्या को दूर किया जा सके।

- ◆ अवसंरचना और सामाजिक समर्थन के माध्यम से महिलाओं की श्रम भागीदारी को बढ़ावा: श्रम संहिताओं में कानूनी प्रावधानों से आगे बढ़ते हुए, भारत को सुरक्षित एवं किफायती परिवहन, लैंगिक-पृथक् कार्यस्थल सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण बाल-देखभाल सेवाओं में निवेश करना चाहिये, जैसा कि राष्ट्रीय जेंडर संसाधन केंद्र ढाँचे में प्राथमिकता दी गई है।

- ◆ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिये सामाजिक सुरक्षा कार्यवाही में नवाचार: गिग इकॉनमी की गतिशीलता को देखते हुए, न्यूनतम प्रशासनिक जटिलताओं के साथ पोर्टेबल और प्रौद्योगिकी-आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का डिज़ाइन आवश्यक है।

- ◆ प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रवर्तन क्षमता को सुदृढ़ करना: प्रवर्तन संबंधी कमियों को दूर करने के लिये राज्य श्रम विभागों की क्षमता निर्माण में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

- ◆ ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ संवाद और सहमति निर्माण: राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संघों, नियोक्ताओं एवं सरकार को शामिल करने वाले निरंतर संवाद मंच श्रमिकों की सुरक्षा तथा व्यावसायिक लचीलेपन के बीच संतुलन बना सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत की नई श्रम संहिताएँ श्रम प्रशासन के आधुनिकीकरण, औपचारिकीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं समावेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. हंगबो के अनुसार, सरकार, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के बीच सामाजिक संवाद यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि सुधारों से श्रमिकों और व्यवसायों दोनों को लाभ मिले। आगे बढ़ते हुए, भारत को सहकारी संघवाद, डिजिटल

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



अनुपालन और समावेशी कौशल विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये, ताकि नीति और व्यवहार के बीच के अंतराल को न्यूनतम करते हुए एक ऐसा सक्षम श्रमबल विकसित किया जा सके जो समतामूलक आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करे।

जैव विविधता और पर्यावरण

प्रश्न : “क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) धुंध से अस्थायी राहत प्रदान करती है, लेकिन दीर्घकालिक उत्सर्जन नियंत्रण का विकल्प नहीं हो सकती।” भारत की वायु प्रदूषण न्यूनीकरण रणनीति में एक उपकरण के रूप में क्लाउड सीडिंग की व्यवहार्यता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:


- ❖ क्लाउड सीडिंग को संक्षेप में परिभाषित कीजिये।
- ❖ भारत की वायु प्रदूषण न्यूनीकरण रणनीति में एक उपकरण के रूप में क्लाउड सीडिंग की व्यवहार्यता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
- ❖ भारत में वायु प्रदूषण को कम करने के लिये व्यापक उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- ❖ एक उपयुक्त मार्ग के साथ निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे की वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट, ‘क्लाउड सीडिंग’ को एक ऐसी मौसम-परिवर्तन तकनीक के रूप में परिभाषित करती है जिसमें उपयुक्त बादलों में ‘सीड (Seed)’ कणों को प्रविष्ट कराकर वर्षा में वृद्धि की जाती है।

- ❖ कृत्रिम वर्षा को उत्प्रेरित करने के लिये, उपयुक्त बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, या सोडियम क्लोराइड जैसे लवण डाले जाते हैं, जो ‘संबीज’ के रूप में धनन एवं बूंदों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये ‘ कार्य करते हैं।

How cloud seeding works



मुख्य भाग:

क्लाउड सीडिंग की व्यवहार्यता

❖ क्लाउड सीडिंग की अंतर्राष्ट्रीय सफलता और अनुप्रयोग:

- ⌚ यह PM2.5/PM10 को नष्ट करने वाली वर्षा को उत्प्रेरित करके अस्थायी रूप से कणिकीय पदार्थों में कमी लाने में सहायता कर सकता है।
 - ⌚ जब अन्य उपाय विफल हो जाते हैं, तो यह गंभीर वायु-गुणवत्ता की घटनाओं में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण के रूप में काम कर सकता है।
 - ⌚ 1940 के दशक से इसका उपयोग मुख्यतः सूखाग्रस्त या जल-कमी वाले क्षेत्रों (जैसे: अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात) में वर्षा को उत्प्रेरित करने के लिये किया जाता रहा है।
 - ⌚ यह सूखे के दौरान अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकता है, कृषि को सहायता प्रदान कर सकता है और वायु-गुणवत्ता में आपातकालीन हस्तक्षेप के रूप में कार्य कर सकता है।
 - ⌚ पाकिस्तान के लाहौर में 2023 के कृत्रिम वर्षा प्रयोग में न्यूनतम वर्षा हुई, लेकिन इससे AQI को अस्थायी रूप से कम करने में सहायता मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रदूषण फिर से बढ़ गया।
- ❖ क्लाउड सीडिंग की सीमाएँ:
- ⌚ उपयुक्त बादलों और पर्याप्त नमी के बिना वर्षा नहीं हो सकती।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- इसके प्रभाव अस्थायी होते हैं और वर्षा कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहती है।
- प्राकृतिक वायुमंडलीय परिवर्तनशीलता के कारण क्लाउड सीडिंग की सटीक प्रभावशीलता का आकलन करना मुश्किल है।
- क्लाउड सीडिंग में प्रयुक्त रसायन मृदा और जल प्रदूषण जैसे संभावित पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न करते हैं; इस हेतु दीर्घकालिक प्रभावों की निगरानी आवश्यक है।
- वर्ष 2025 में, दिल्ली सरकार और IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा कराने के लिये क्लाउड सीडिंग प्रयोग किये, लेकिन कम वायुमंडलीय नमी के कारण इस प्रयास में सीमित सफलता मिली।

भारत में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के व्यापक उपाय

- सभी शहरों में BS-VI मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।
- वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन (RDE) परीक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिये और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों के प्रयोग को बंद करने के लिये एक प्रभावी वाहन-स्कैपेज नीति लागू की जानी चाहिये।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, स्मार्ट ग्रिड्स तथा AI-आधारित भार प्रबंधन में निवेश किया जाना चाहिये।
- पूसा डीकंपोजर, बायोचार और अवशेष-आधारित जैव-ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार किया जाना चाहिये।
- अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये MSP-संबद्ध प्रोत्साहन और मशीनरी सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
- धूल नियंत्रण मानदंडों को (स्मॉग गन, वाटर स्प्रीनक्लिंग और निर्माण स्थलों का आच्छादन) लागू किया जाना चाहिये।
- पारगम्य फुटपाथ, हरित अवरोध और सड़क किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की शक्तियों और संसाधनों में वृद्धि की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

हमारी हर एक साँस इस ग्रह की ओर से एक उपहार है— वायु गुणवत्ता की सुरक्षा स्वयं जीवन की सुरक्षा है। इसलिये, भारत को उत्सर्जन मानदंडों को सुदृढ़ करके, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर, अपशिष्ट का स्थायी प्रबंधन करके तथा समावेशी, विज्ञान-आधारित शासन को बढ़ावा देकर अपने प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को SDG 3 (उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली), SDG 7 (सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा), SDG 11 (सतत शहर एवं संतुलित समुदाय) और SDG 13 (जलवायु परिवर्तन कार्रवाई) के साथ संरेखित करना चाहिये ताकि भावी पीढ़ियों के लिये स्वच्छ वायु, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

प्रश्न : भारत की विकसित होती वन संरक्षण रणनीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा पारिस्थितिक एवं विकासात्मक चुनौतियों के संदर्भ में इसे सशक्त बनाने के उपाय प्रस्तावित कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के वन संरक्षण कार्यवाहों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत की वन संरक्षण रणनीति के विकास की व्याख्या कीजिये।
- वन संरक्षण प्रयासों की प्रमुख चिंताओं का उल्लेख किया जाये।
- संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु उपाय प्रस्तावित कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का वन संरक्षण कार्यवाहों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है क्योंकि देश अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को पारिस्थितिक संधारणीयता के साथ संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। भारत की रणनीति अब केवल वनरोपण के संकुचित दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन, जलवायु लक्ष्यों, जन भागीदारी तथा प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी की व्यापक दिशा में विकसित हुई है। इसके बावजूद कुछ स्थायी कमियाँ दीर्घकालिक संधारणीयता में बाधा उत्पन्न करती हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य भाग:**भारत की विकसित होती वन संरक्षण रणनीति**

- ❖ वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाने पर अधिक ध्यान: भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR), 2023 के अनुसार, भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 827,357 वर्ग किमी. है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है।
- 🌀 उल्लेखनीय रूप से, वर्ष 2021 से 2023 तक वन आवरण में 156 वर्ग किमी और वृक्ष आवरण में 1,289 वर्ग किमी की वृद्धि हुई।
- ❖ कार्बन अवशोषण और जलवायु लक्ष्य: भारत के वन महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और वर्तमान में लगभग 30.43 बिलियन टन CO₂ समतुल्य अवशोषित करते हैं, जो वर्ष 2005 से 2.29 बिलियन टन की वृद्धि को दर्शाता है।
- 🌀 यह बढ़ती कार्बन अवशोषण क्षमता पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- ❖ सरकार समर्थित वनरोपण और पुनर्स्थापन:
 - 🌀 ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना है।
 - 🌀 राष्ट्रीय वन नीति में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम एक तिहाई भूमि को वन/वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है।
 - 🌀 राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP) और “एक पेड़ माँ के नाम” जैसे जन अभियानों ने 1.4 अरब से अधिक पौधे रोपकर नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है।
 - 🌀 मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम (MISHTI) योजना के अंतर्गत मैंग्रोव पुनर्स्थापन और वन्यजीव गलियारा पुनर्वनीकरण (काजीरंगा-कार्बी आंगलोग, राजाजी-कॉर्बेट) पारिस्थितिक पुनर्स्थापन को रेखांकित करते हैं।
 - 🌀 मध्य प्रदेश में वन सीमाओं का डिजिटलीकरण, उपग्रह आधारित वनाग्नि चेतावनी और AI आधारित वनाग्नि

पायलट तकनीक-सक्षम शासन की ओर बदलाव को दर्शाते हैं।

- 🌀 संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) और प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY) जैसे समुदाय-केंद्रित कार्यक्रम लघु वन उपज (MFP) मूल्य शृंखलाओं के माध्यम से जनजातीय आजीविका को सुदृढ़ करते हैं।

गंभीर चिंताएँ:

- ❖ वन भूमि परिवर्तन: सत्र 2014-15 से सत्र 2023-24 तक 1,73,984 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति दी गई। अकेले वर्ष 2021 और 2025 के दौरान 78,135 हेक्टेयर वन भूमि का सफाया किया गया।
- 🌀 यह विशाल स्थानांतरण पारिस्थितिकीय अखंडता, आवासिक संपर्कता तथा जलवायु अनुकूलन को कमजोर करता है।
- ❖ वन अधिकार अधिनियम (FRA) का अपर्याप्त क्रियान्वयन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं है; केवल कुछ राज्यों ने सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों को मान्यता देने में पर्याप्त प्रगति की है।
- 🌀 ओडिशा के बुडागुड़ा ग्राम पंचायत जैसे मामलों में संघर्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं कि सामुदायिक प्रबंधन को अपेक्षित सुदृढ़ता नहीं मिल सकी है।
- ❖ एकल-कृषि वृक्षारोपण: वन आवरण में हुई वृद्धि का अधिकांश हिस्सा वृक्षारोपण से आया है, न कि प्राकृतिक वनों से।
- 🌀 यूकेलिप्टस और सागौन जैसी एकल-फसलें जैवविविधता को कम करती हैं, मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं तथा कीटों एवं अग्नि के प्रति सुभेद्यता को बढ़ाती हैं।
- ❖ आक्रामक प्रजातियों का बढ़ता प्रसार: लैंटाना कैमरा (जो कुछ व्याघ्र अभयारण्यों के लगभग 40% क्षेत्र में फैली हुई हैं) और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी बाह्य प्रजातियों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे पुनर्जनन में बाधा आ रही है तथा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है।
- ❖ वनाग्नि और जलवायु परिवर्तन: बढ़ते भूमंडलीय ताप, अनियमित मानसून और वनाग्नि के कारण के कारण 44% वृक्ष-

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



आवरण का ह्रास हुआ है। हालाँकि वनाग्नि की घटनाएँ 223,000 (वर्ष 2021-22) से घटकर 203,500 (वर्ष 2023-24) हो गई हैं, लेकिन अपर्याप्त धन और सामुदायिक भागीदारी प्रभावी अग्नि प्रबंधन को सीमित करती है।

- ❖ **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** प्राकृतिक आवासों के विखंडन और ह्रास के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हुई है और वर्ष 2019-24 के दौरान केवल हाथियों के हमलों में 2,800 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। यद्यपि AI आधारित चेतावनी प्रणालियाँ सहायक हैं किंतु भू-दृश्य-स्तरीय की समन्वित योजना अभी भी अपर्याप्त है।

भारत की वन संरक्षण रणनीति को सुदृढ़ करने के उपाय

- ❖ वन भूमि स्थानांतरण की सख्त जाँच की जानी चाहिये तथा वन संरक्षण नियमों में पारिस्थितिक गलियारों एवं संवेदनशील आवासों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- ❖ वन अधिकार अधिनियम का पूर्ण कार्यान्वयन, CFR अधिकारों की मान्यता और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- ❖ मूल प्रजातियों द्वारा पुनर्वनीकरण की ओर संक्रमण, एकल-कृषि पद्धति को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना तथा आक्रामक प्रजातियों का वैज्ञानिक रूप प्रबंधन करना चाहिये।
- ❖ कृषि वानिकी का विस्तार करना चाहिये तथा इसे जलवायु-अनुकूलन, कार्बन बाजार और ग्रामीण आजीविका से जोड़ना चाहिये।
- ❖ सामुदायिक दलों, जलवायु-जोखिम मानचित्रण और उन्नत उपग्रह खुफिया जानकारी के माध्यम से वनाग्नि प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- ❖ वन संरक्षण को ज़िला नियोजन में एकीकृत किया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विकास परियोजनाओं में वन्यजीव मार्ग, सुरंगें एवं पारिस्थितिक बफर शामिल हों।
- ❖ सामुदायिक अभियानों और पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से नागरिक नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

‘द रिलिजन ऑफ द फॉरेस्ट’ में रवींद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है कि “वन हमें संतुलन का सिद्धांत सिखाते हैं— ऐसा जीवन जहाँ बिना दोहन या संचय के प्रकृति के उपहारों का आनंद लिया जाये।”

इस आदर्श को मूर्त रूप देने के लिये भारत को पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, स्थानीय एवं जनजातीय समुदायों का सशक्तीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग तथा वन संरक्षण हेतु विधिक कार्यवाही को और सुदृढ़ करना आवश्यक है।

प्रश्न : COP30 बहुपक्षीय जलवायु सहयोग की संभावनाओं तथा उसकी सीमाओं दोनों को प्रतिबिंबित करता है। वर्तमान वैश्विक जलवायु शासन संरचना की प्रमुख शक्तियों तथा संरचनात्मक कमजोरियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ COP30 का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- ❖ वर्तमान वैश्विक जलवायु शासन की प्रमुख शक्तियों और संरचनात्मक कमजोरियों पर चर्चा कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 वैश्विक जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद इस सम्मेलन ने बहुपक्षीय सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित किया। सम्मेलन में ऐतिहासिक वित्तीय प्रतिबद्धताएँ की गईं, वर्ष 2035 तक अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने का संकल्प लिया गया तथा न्यायसंगत संक्रमण एवं वनों की कटाई को रोकने के लिये नवाचारी पहलों की शुरुआत की गई। हालाँकि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के चरणबद्ध उन्मूलन पर स्पष्ट भाषा का अभाव रहा, फिर भी COP30 ने सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों को समन्वित करते हुए सहयोगात्मक वैश्विक ढाँचे में समानता-आधारित और अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु रणनीतियों की तात्कालिक आवश्यकता को सुदृढ़ किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य भाग:

वैश्विक जलवायु शासन की सशक्तियों को प्रदर्शित करने वाले COP30 के प्रमुख परिणाम

- ❖ **बेलेम पैकेज का अंगीकरण:** COP30 में बेलेम पैकेज को अपनाया गया, जिसमें पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को तीव्र करने के उद्देश्य से 29 निर्णय शामिल हैं। ये निर्णय जलवायु वित्त, एडैप्टेशन ट्रैकिंग, लैंगिक समावेशन और वैश्विक सहयोग को मज़बूत करने पर केंद्रित हैं।
- 🌀 यह पैकेज केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।
- ❖ **जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धताएँ और अनुकूलन निधि:** बेलेम पैकेज के माध्यम से, पक्षकारों ने वर्ष 2035 तक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिये प्रतिवर्ष कम-से-कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर संग्रहण के मार्ग पर सहमति व्यक्त की। इसमें कमज़ोर देशों के लिये अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने और पिछली व्यवस्थाओं के तहत देखे गए लगातार जलवायु वित्त अंतर को कम करने पर विशेष ज़ोर दिया गया।
- ❖ **ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलेरेटर और बेलेम मिशन टू 1.5°C:** जलवायु लक्ष्यों की दिशा में राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिये इन पहलों की शुरुआत की गई। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों की मापनीय निगरानी के माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा उत्सर्जन अंतर को कम करना है।
- ❖ **जीवाश्म ईंधन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के लिये न्यायसंगत संक्रमण तंत्र:** इसे बेलेम एक्शन मैकेनिज़्म के नाम से भी जाना जाता है, यह तंत्र जीवाश्म ईंधनों से सतत अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण कर रहे श्रमिकों और देशों को सहयोग प्रदान करता है।
- ❖ **निर्वनीकरण और जीवाश्म ईंधन संक्रमण के लिये रोडमैप:** ब्राज़ील ने दो प्रमुख रोडमैप पेश किये: एक वनों की कटाई को रोकने एवं वनों के पुनर्भरण के लिये तथा दूसरा न्यायसंगत और समतामूलक जीवाश्म ईंधन संक्रमण को आगे बढ़ाने के

लिये, जो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है।

- ❖ **बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान:** यह जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोड़ने वाली पहली वैश्विक योजना है, जो जलवायु-प्रेरित स्वास्थ्य जोखिमों का निवारण करती है तथा जलवायु न्याय पर बल देते हुए विश्वभर में लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।
- ❖ **ट्रापिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी:** एक प्रदर्शन-आधारित, दीर्घकालिक निधि जो वन संरक्षण के लिये देशों को प्रोत्साहित करती है। इसमें कम-से-कम 20 प्रतिशत निधि जनजातीय समुदायों और स्थानीय समुदायों को आवंटित की जाती है, जिससे जैव विविधता, आजीविका एवं जलवायु लक्ष्यों के बीच समन्वय स्थापित होता है।
- ❖ **समानता और समावेशी शासन का सुदृढ़ीकरण:** COP30 ने लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों एवं स्वदेशी नेतृत्व को समेकित करते हुए समानता, जलवायु न्याय, पारदर्शिता और अंतरपीढ़ीगत अधिकारों का सुदृढ़ीकरण किया।
- ❖ **क्लाइमेट-ट्रेड संवाद:** यह पहल जलवायु उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है, जिससे कार्बन सीमा समायोजन जैसे अंतर्विरोध कम हों तथा सतत एवं न्यायसंगत संक्रमण को बढ़ावा मिले।
- ❖ **ग्लोबल मुतिराओ अग्रीमेंट:** यह समझौता सामूहिक कार्रवाई की भावना को प्रोत्साहित करता है तथा भू-राजनीतिक विभाजनों के बीच बहुपक्षीयता एवं साझा उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है।

वे प्रमुख बाधाएँ जो देशों को वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से रोकती हैं

- ❖ **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रतिबद्धताओं और आवश्यक मार्ग के बीच अंतर:** कई देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) अभी भी वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिये आवश्यक स्तर से कम हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 UNEP एमिशन गैप रिपोर्ट - 2025 के अनुसार वर्तमान NDCs वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2035 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में केवल लगभग 15 प्रतिशत की कमी ला पाएँगे, जबकि 1.5°C लक्ष्य के लिये 45-60 प्रतिशत की कमी आवश्यक है।

❖ क्रियान्वयन अंतर: जहाँ लक्ष्य निर्धारित भी किये गए हैं, वहाँ उनका क्रियान्वयन धीमा है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अनुसार वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन आवश्यक कटौती से 29-32 गीगाटन CO₂e अधिक रहने की संभावना है, जो गंभीर क्रियान्वयन अंतर को दर्शाता है।

❖ जलवायु परिवर्तन के लिये अपर्याप्त वित्त पोषण: विकासशील देशों को शमन और अनुकूलन के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता है, परंतु उन्हें निरंतर वित्तीय अभाव का सामना करना पड़ता है।

🌀 हालाँकि COP30 में वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया, वर्तमान में विकसित देशों द्वारा केवल लगभग 115 अरब डॉलर प्रतिवर्ष ही जलवायु वित्त के रूप में प्रवाहित हो रहा है, जो वर्ष 2020 के लिये निर्धारित 300 अरब डॉलर के लक्ष्य और भविष्य की आवश्यकताओं से बहुत कम है।

❖ भू-राजनीतिक तनाव और उत्तरदायित्व विवाद: वैश्विक राजनीतिक विभाजन जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और न्यायसंगत वित्त बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति में बाधा डालते हैं। वैश्विक राजनीतिक विभाजन जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के चरणबद्ध उन्मूलन और न्यायसंगत वित्तीय साझेदारी जैसे मुद्दों पर सहमति में बाधा उत्पन्न करते हैं।

🌀 COP30 में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग का चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन करने के लिये किसी बाध्यकारी समझौते के अभाव ने इस बात को उजागर किया।

❖ प्रौद्योगिकीय सीमाएँ और क्षमता अंतर: उन्नत स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तक अभिगम्यता असमान है।

🌀 कई विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रभावी ढंग से लागू करने या कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के

लिये आवश्यक अवसंरचना और विशेषज्ञता का अभाव है, जिससे उनकी महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सीमित हो जाती है।

❖ डेटा ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग में कमियाँ: उत्सर्जन और जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई पर सटीक एवं समयोचित डेटा वैश्विक जवाबदेही के लिये अनिवार्य है।

🌀 कई देशों को व्यापक ग्रीनहाउस गैस इन्वेंट्री और पारदर्शी रिपोर्टिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे विश्वास कमजोर होता है तथा नीतिगत समायोजन में बाधा आती है।

🌀 एकसमान रिपोर्टिंग मानकों की कमी प्रगति की निगरानी में असंगतता का कारण बनती है।

🌀 वर्ष 1997 से 2019 के दौरान 133 विकासशील देशों पर किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि आधे से अधिक देशों ने GHG इन्वेंट्री क्षमताओं में बहुत कम या कोई प्रगति नहीं की और कई ने आवश्यक होने पर भी इन्वेंट्री प्रस्तुत नहीं की।

❖ सामाजिक-आर्थिक और न्यायसंगत संक्रमण की चुनौतियाँ: जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण कोयला, तेल और गैस उद्योगों से जुड़े लाखों श्रमिकों को प्रभावित करता है।

🌀 पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और पुनः-कौशल कार्यक्रमों के अभाव में प्रतिरोध बढ़ता है, जिससे नीतिगत निर्णयों में विलंब होता है।

न्यायसंगत और प्रभावी वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम

❖ मज़बूत राष्ट्रीय विकास दिशानिर्देशों (NDC) के साथ महत्वाकांक्षा के अंतराल को दूर करना: अधिकांश वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लिये अपर्याप्त हैं।

🌀 भारत सहित अन्य देशों को अधिक महत्वाकांक्षी, विज्ञान-आधारित लक्ष्य अपनाने की आवश्यकता है और उन्हें नियमित रूप से संशोधित करते हुए उनमें अंतर्निहित जवाबदेही शामिल करनी चाहिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- सशक्त शासन और निगरानी के माध्यम से क्रियान्वयन अंतर को समाप्त करना: देशों को प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट समयसीमा और अनुपालन प्रोत्साहन के साथ लागू करने योग्य नीतियों में बदलना होगा। देशों को प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट समय-सीमा और अनुपालन प्रोत्साहनों के साथ प्रवर्तनीय नीतियों में रूपांतरित करने की आवश्यकता है।

डोमिनिकन रिपब्लिक की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन परिषद विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय का सफल उदाहरण प्रस्तुत करती है।

- पारदर्शिता और नवाचार के साथ जलवायु वित्त का विस्तार: वित्त की कमी को दूर करने के लिये ग्रीन बॉण्ड, मिश्रित वित्त और जलवायु कोष जैसे विविध साधनों की आवश्यकता होती है। ज़ाम्बिया के ग्रीन बॉण्ड और दक्षिण अफ्रीका के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड प्रभावी विस्तार रणनीतियों के उदाहरण हैं।
- बहुपक्षीय सहयोग और न्यायसंगत उत्तरदायित्व साझेदारी को सुदृढ़ करना: भू-राजनीतिक विभाजनों को समाप्त करने में पेरिस समझौते के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही कार्यवाही को मजबूत करना, साथ ही सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR) को क्रियान्वित करना शामिल है।
- प्रौद्योगिकी अंतरण और क्षमता निर्माण में निवेश: प्रौद्योगिकी संबंधी अंतर को दूर करने के लिये सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता योजनाओं की आवश्यकता है।
- डेटा ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग की सटीकता बढ़ाना: एकसमान और विश्वसनीय डेटा ही जवाबदेही की आधारशिला है।
- सामाजिक सुरक्षा के साथ न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करना: सामाजिक सुरक्षा संजाल और पुनः-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण को सहज बनाया जा सकता है तथा व्यापक समर्थन प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

1.5°C के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई में तात्कालिक और परिवर्तनकारी बदलाव की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की-मून के अनुसार “हम वह

पहली पीढ़ी हैं जो गरीबी समाप्त कर सकती हैं और वही अंतिम पीढ़ी हैं, जो अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन को रोक सकती हैं।”

राष्ट्रीय विकास घोषणापत्र (NDC) की महत्वाकांक्षा को सुदृढ़ करना, पारदर्शी वित्त व्यवस्था का विस्तार, प्रौद्योगिकी अंतरण को आगे बढ़ाना, न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करना तथा डेटा जवाबदेही में सुधार करना अनिवार्य है। ये सभी उपाय मिलकर सतत विकास लक्ष्यों—SDG7 (सस्ती और प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा), SDG13 (जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई) और SDG17 (लक्ष्य हेतु भागीदारी) को आगे बढ़ाते हैं तथा विश्वभर में न्यायसंगत जलवायु अनुकूलन सुदृढ़ करते हैं।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : भारत में आतंकवाद पारंपरिक सीमा-पार घुसपैठ से विकसित होकर शहरी प्रतीकात्मक हमलों, साइबर आतंकवाद तथा सफेदपोश (White Collar) आतंकवाद का रूप ले रहा है। इन उभरते रुझानों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये तथा भारत के लिये बहुआयामी आतंकवाद-रोधी रणनीति का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में आतंकवाद के बदलते स्वरूप का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- इन उभरते रुझानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
- भारत के लिये एक बहुआयामी आतंकवाद-विरोधी रणनीति प्रस्तावित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में आतंकवाद, जो ऐतिहासिक रूप से सीमा पार विद्रोह और परोक्ष युद्धों से प्रभुत्व में रहा है, अब एक नए रूप में सामने आ रहा है। हाल की घटनाओं से पता चलता है कि दी गतिविधियाँ अब शहरी प्रतीकात्मक हमलों, साइबर आतंकवाद और सफेदपोश/ वित्तीय नेटवर्क आधारित आतंकवाद की ओर बढ़ रही हैं। इस बदलते खतरे के परिदृश्य के लिये एक बहुआयामी आतंकवाद-

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



विरोधी रणनीति की आवश्यकता है, जो पारंपरिक प्रत्यक्ष कार्रवाई और सीमा सुरक्षा उपायों से कहीं आगे जाती हो।

मुख्य भाग:

आतंकवाद के पारंपरिक और उभरते रुझान

- ❖ सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद: पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाला सीमा-पार आतंकवाद भारत की एक दीर्घकालिक चुनौती बना हुआ है।
- ⦿ लश्कर-ए-तैबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे समूह जम्मू-कश्मीर और उससे बाहर भी हमले करते रहते हैं।
- ⦿ अप्रैल 2025 में पहलगाम पर हुए हमले सहित हाल की घटनाओं से सीमा सुरक्षा में वृद्धि के बावजूद घुसपैठ के लगातार खतरे का पता चलता है।
- ❖ शहरी आतंकवाद और प्रतीकात्मक हमले: वर्ष 2025 में लाल किले में हुआ कार विस्फोट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रतीकात्मक राष्ट्रीय स्थलों को निशाना बनाने वाले शहरी आतंकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- ⦿ उमर नबी जैसे शिक्षित पेशेवरों से जुड़े पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से संबंधित सफेदपोश आतंकवाद जैसे उभरते रूप इस बात को उजागर करते हैं कि तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय अभिगम्यता और डिजिटल नेटवर्क का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है।
- ❖ घरेलू कट्टरपंथ और वैचारिक ध्रुवीकरण: स्थानीय शिकायतों और ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से पनपने वाले स्वदेशी आतंकवादियों का उदय एक कम दिखाई देने वाला, किंतु उतने ही घातक खतरे प्रस्तुत करते हैं।
- ⦿ हालिया आकलन से पता चला है कि केरल, महाराष्ट्र और झारखंड सहित कई भारतीय राज्यों में घरेलू कट्टरपंथ से जुड़े मामलों में गिरफ्तारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो स्वदेशी उग्रवाद के बढ़ते खतरे को दर्शाती है।
- ❖ समुद्री सुरक्षा खतरे: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और रणनीतिक बंदरगाह बढ़ते समुद्री आतंकवाद के खतरों का सामना कर रहे हैं। गैर-सरकारी संगठन हथियारों,

विस्फोटकों और आतंकवादियों की तस्करी के लिये इन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं।

- ⦿ भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी (वर्ष 2024) से पता चला है कि आतंकवादी संगठन अरब सागर में अवैध शिपमेंट के माध्यम से समुद्री अभिगम्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे।
 - ❖ साइबर आतंकवाद और उभरती प्रौद्योगिकियाँ: आतंकवादी समूह तेजी से साइबर टूल्स का उपयोग कर रहे हैं - जिनमें एन्क्रिप्टेड संचार, डेटा चोरी और सोशल मीडिया प्रचार शामिल हैं, जिससे साइबर आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है।
 - ⦿ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक की वर्ष 2025 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आतंकी समूह बुनियादी अवसंरचना को बाधित करने और ऑनलाइन भर्ती करने के लिये रैसमवेयर एवं फिशिंग अभियान चला रहे हैं।
 - ❖ हाइब्रिड युद्ध और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स: भारत को हाइब्रिड युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें राज्य और गैर-राज्य तत्व गुप्त, प्रॉक्सी और साइबर रणनीतियों के माध्यम से अराजकता फैलाते हैं।
 - ⦿ विद्रोहों को प्रोत्साहित करने में चीन-पाकिस्तान गठजोड़ इस नई पीढ़ी के हाइब्रिड खतरे का उदाहरण है।
 - ⦿ सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना के अभियान अनुकूलन, खुफिया आधुनिकीकरण और रणनीतिक तत्परता की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- भारत में बहुआयामी आतंकवाद-रोधी नीति सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय
- ❖ अंतर-एजेंसी समन्वय और खुफिया जानकारी साझाकरण को सुदृढ़ करना: भारत को विस्तारित संलयन केंद्रों और रियल टाइम डेटा एकीकरण के माध्यम से एक सुदृढ़, केंद्रीकृत खुफिया जानकारी साझाकरण पारिस्थितिकी तंत्र को संस्थागत रूप देना चाहिये।
 - ⦿ मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) भारत की आतंकवाद-रोधी संरचना का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है, जो वास्तविक समय में खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और समन्वित बहु-एजेंसी अभियानों को सुगम बनाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ④ इस आधार को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय फ्यूजन केंद्रों की स्थापना और राज्य-स्तरीय इकाइयों को सशक्त करना प्रशासनिक विलंब को कम करेगा तथा त्वरित, एकीकृत प्रतिक्रिया को संभव बनाएगा।
- ❖ उन्नत प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा का उपयोग: आतंकी रणनीतियों के विकास के अनुरूप भारत को निगरानी और खतरा-आकलन हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के उपयोग का विस्तार करना चाहिये।
- ④ वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के नेतृत्व में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ काउंटर-ड्रोन प्रशिक्षण उन्नत प्रौद्योगिकी के सफल उपयोग का उदाहरण है।
- ④ CERT-In की सक्रिय साइबर-रक्षा को सुदृढ़ करते हुए महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा करनी चाहिये, साथ ही ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण और भर्ती को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिये।
- ❖ कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करना और त्वरित न्यायिक प्रक्रियाएँ: विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 जैसे कानूनों में संशोधन करना उभरते खतरों और आधुनिक आतंकवाद की जटिलताओं से निपटने के लिये महत्वपूर्ण है, साथ ही दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
- ④ विशेष आतंकवाद-रोधी न्यायालयों की स्थापना से मुकदमों का शीघ्र निपटारा संभव होगा, जिससे दोषसिद्धि दर एवं निवारक प्रभाव में वृद्धि होगी, जैसा कि पुलवामा और पठानकोट हमलों के बाद त्वरित सुनवाईयों में देखा गया।
- ❖ सीमा और समुद्री सुरक्षा का उन्नयन: भारत की सुरक्षा संरचना में स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल इमेजिंग और तटीय रडार प्रणालियों जैसी बहु-स्तरीय अवसंरचना को शामिल किया जाना चाहिये, जिसे उन्नत नौसेना और अर्धसैनिक गश्ती दल द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये।

- ④ समुद्री निगरानी, तस्करी विरोधी उपायों और व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिये BIMSTEC और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को गहन बनाना: दक्षिण अफ्रीका परिषद, G20 और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी मंच में सक्रिय भागीदारी खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त अभियानों एवं नीति सामंजस्य को सुगम बनाती है।
- ④ भारत-मिस्र संयुक्त कार्य समूह जैसी द्विपक्षीय पहलें अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क और आतंकी वित्तपोषण से निपटने में रणनीतिक साझेदारी के महत्त्व को दर्शाती हैं।
- ❖ सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना और कट्टरपंथ का मुकाबला करना: सिंगापुर और नॉर्वे के मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए, भारत को सामाजिक-आर्थिक शिकायतों एवं वैचारिक कमजोरियों को दूर करने के लिये समुदाय-केंद्रित कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिये।
- ④ जोखिमग्रस्त आबादी के लिये शैक्षणिक अभिगम्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास पहल से सामाजिक समुत्थानशीलता सुदृढ़ होगी तथा चरमपंथी भर्ती पर अंकुश लगेगा।

निष्कर्ष:

जैसा कि विद्वान ब्रूस हॉफमैन कहते हैं, “आतंकवाद राजनीतिक परिवर्तन की प्राप्ति के लिये हिंसा या हिंसा की धमकी के माध्यम से भय का जानबूझकर सृजन और शोषण है।”

ऐसे खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिये भारत को अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करना, तकनीकी क्षमताओं का विस्तार करना और न्यायिक प्रक्रियाओं को त्वरित बनाना चाहिये, साथ ही समावेशी कट्टरपंथ-रोधी कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक समुत्थानशीलता भी विकसित करनी चाहिये।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : तेज़ी से शहरीकृत होते एक महानगर के नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अरुण मेहता शहर में प्रदूषित वायु के कारण हो रही मृत्यु दर और श्वसन संबंधी बीमारियों की बढ़ती घटनाओं से बहुत चिंतित हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एक प्रतिष्ठित चिकित्सीय संस्थान की हालिया रिपोर्टों से यह तथ्य सामने आया है कि वायु में सूक्ष्म कणिका पदार्थों (PM2.5) की मात्रा अनुमेय सीमा से 4-5 गुना अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों और वृद्ध जनों में फेफड़ों की बीमारियों में तेज़ी से वृद्धि हुई है।

इन चेतावनियों के बावजूद कई प्रभावशाली निर्माण कंपनियाँ और परिवहन संघ धूल नियंत्रण, उत्सर्जन और अपशिष्ट निपटान मानदंडों का उल्लंघन करते रहते हैं। जब अरुण नियमों का सख्त पालन करने और प्रदूषणकारी निर्माण स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रस्ताव रखते हैं, तो उन्हें स्थानीय राजनेताओं एवं व्यावसायिक समूहों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है, जिनका तर्क है कि ऐसे कदम “विकास और रोज़गार को नुकसान पहुँचाएँगे।” कुछ मीडिया संस्थान भी उनकी पहलों को “विकास-रोधी” कहकर आलोचना करते हैं।

इसी बीच, नागरिक समूह और पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन (NGOs) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वस्थ पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग करते हैं। दूसरी ओर, नगर निगम के कर्मचारी अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और विभागों के बीच समन्वय की कमी की शिकायत करते हैं। जनक्रोश की आशंका से राज्य सरकार, ठोस कार्रवाई करने के बजाय ‘मामले का अध्ययन’ करने के लिये एक समिति का गठन करती है, जिससे ठोस कार्रवाई में विलंब होता है।

अब अरुण को यह तय करना है कि उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाए, या निहित स्वार्थों और राजनीतिक प्रतिक्रिया से संघर्ष से बचने के लिये क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। उनका यह निर्णय उनके प्रशासनिक साहस, नैतिक दृढ़ता और जन कल्याण के प्रति कर्तव्य-निष्ठा की वास्तविक परीक्षा होगा।

प्रश्न:

1. इस परिस्थिति में अरुण मेहता को किन प्रमुख नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?
2. इस मामले में शामिल परस्पर विरोधी मूल्यों और सिद्धांतों की का अभिनिर्धारण कर उनका विश्लेषण कीजिये।
3. अरुण के समक्ष उपलब्ध संभावित कार्यवाही की समीक्षा कीजिये तथा उनके संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।
4. पर्यावरण संरक्षण और विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सबसे नैतिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त कार्यवाही प्रस्तावित कीजिये।

परिचय:

यह मामला शहरी शासन और पर्यावरण प्रबंधन में बढ़ती नैतिक चुनौतियों को दर्शाता है। भारत में तीव्र शहरीकरण ने पर्यावरणीय दबाव को अत्यधिक बढ़ा दिया है और वायु प्रदूषण एक गंभीर जनस्वास्थ्य आपात स्थिति के रूप में उभरा है। आज नगर प्रशासनिक अधिकारियों को विकास, राजनीतिक दबाव और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के जटिल अंतर्संबंधों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

इस पृष्ठभूमि में, अरुण मेहता की स्थिति एक विशिष्ट नैतिक संघर्ष को दर्शाती है जहाँ एक अधिकारी को संवैधानिक कर्तव्यों,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



लोक कल्याण और हितधारकों के प्रतिरोध के बीच संतुलन बनाते हुए ईमानदारी एवं प्रशासनिक साहस को बनाए रखना होगा।

मुख्य भाग:

A. अरुण मेहता के समक्ष प्रमुख नैतिक दुविधाएँ

- ❖ **सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम विकासात्मक हित:** अरुण को नागरिकों के स्वच्छ वायु के अधिकार की रक्षा तथा रोजगार एवं राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने वाली निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के बीच चयन करने की आवश्यकता है।
- ❖ **प्रशासनिक ईमानदारी बनाम राजनीतिक दबाव:** उन्हें राजनेताओं और व्यावसायिक लॉबी के दबाव का सामना करना पड़ता है जो सख्त प्रवर्तन का विरोध करते हैं, जिससे कानून को बनाए रखने तथा राजनीतिक सद्भाव बनाए रखने के बीच दुविधा उत्पन्न होती है।
- ❖ **दीर्घकालिक पर्यावरणीय संधारणीयता बनाम अल्पकालिक आर्थिक लागत:** तात्कालिक प्रतिबंध विकास को धीमा कर सकते हैं, लेकिन निष्क्रियता स्वास्थ्य संकट को बढ़ा सकती है तथा भावी पीढ़ियों को नुकसान पहुँचा सकती है।
- ❖ **पेशेवर कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत सुरक्षा और प्रतिष्ठा:** मीडिया की आलोचना और प्रतिक्रिया उनके कैरियर की संभावनाओं को खतरे में डाल सकती है तथा उनके प्रशासनिक साहस की परीक्षा ले सकती है।
- ❖ **नगरपालिका कर्मचारियों का कल्याण बनाम बजटीय बाधाएँ:** कर्मचारियों के पास सुरक्षात्मक उपकरणों का अभाव है, जिससे व्यावसायिक नैतिकता और देखभाल के कर्तव्य पर प्रश्न उठते हैं।

B. परस्पर विरोधी मूल्य और सिद्धांत

- ❖ **संवैधानिक नैतिकता बनाम राजनीतिक सुविधावाद:** अनुच्छेद 21 स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन राजनेता चुनावी लाभ और आर्थिक आख्याओं को प्राथमिकता देते हैं।
- ❖ **विधि का शासन बनाम विवेक:** प्रदूषण नियंत्रण मानदंड अनुपालन अनिवार्य करते हैं, फिर भी निहित स्वार्थी समूह उदारता की माँग करते हैं, जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है।

- ❖ **ईमानदारी और साहस बनाम अनुरूपता और अनुपालन:** अरुण के नैतिक विश्वास अंतर्विरोध से बचने के दबाव के साथ असंगत होते हैं।
- ❖ **उपयोगितावादी कल्याण बनाम व्यक्तिगत/उद्योग हित:** सख्त कार्रवाई से अधिकतम नागरिकों को लाभ होता है, जबकि व्यवसाय आर्थिक नुकसान पर बल देते हैं।
- ❖ **व्यावसायिक नैतिकता बनाम प्रतिक्रियात्मक शासन:** इस मुद्दे का 'अध्ययन' करने के लिये एक समिति का गठन कार्रवाई में विलंब करता है, जो सक्रिय सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के साथ अंतर्विरोध उत्पन्न करता है।

C. अरुण के लिये उपलब्ध संभावित कार्यवाही के तरीके और उनके संभावित परिणाम

❖ विकल्प 1 - सख्त और तत्काल प्रवर्तन

🌀 पक्ष:

- 🔍 प्रमुख निर्माण और परिवहन उल्लंघनकर्त्यों से होने वाले प्रदूषण में त्वरित कमी।
- 🔍 यह एक कड़ा संदेश देता है कि जन स्वास्थ्य, पर्यावरणीय मानदंडों और विधि के शासन से समझौता नहीं किया जा सकता।
- 🔍 यह अरुण की ईमानदारी को स्थापित करता है और संस्थागत विश्वसनीयता को मजबूत करता है।

🌀 विपक्ष:

- 🔍 राजनीतिक प्रतिक्रिया, प्रशासनिक प्रतिरोध और मीडिया आलोचना को जन्म दे सकता है।
- 🔍 निर्माण गतिविधियों में अस्थायी मंदी आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
- 🔍 इसके लिये सुदृढ़ प्रवर्तन क्षमता और विधिक समर्थन की आवश्यकता है।

- 🌀 **नैतिक मूल्यांकन:** नैतिक रूप से सुदृढ़ क्योंकि यह जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) और दीर्घकालिक कल्याण को अल्पकालिक दबावों पर प्राथमिकता देता है। हालाँकि, इसके लिये महत्वपूर्ण नैतिक साहस की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
माँड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



समग्र मूल्यांकन: अत्यधिक प्रभावी लेकिन राजनीतिक रूप से जोखिम भरा; सुदृढ़ दस्तावेजीकरण और पारदर्शी संचार द्वारा समर्थित होना चाहिये।

❖ विकल्प 2 - क्रमिक, परामर्शात्मक और वार्ता आधारित दृष्टिकोण

🌀 पक्ष:

- ❑ राजनीतिक नेतृत्व, व्यवसाय समूह और यूनियनों के साथ असंगतता में कमी।
- ❑ भागीदारी आधारित समाधान और स्वैच्छिक अनुपालन की संभावना।
- ❑ तात्कालिक आर्थिक विघटन से श्रमिक वर्ग की रक्षा।

🌀 विपक्ष:

- ❑ विलंब, कमजोर प्रवर्तन और हितसमूहों द्वारा प्रक्रिया के दुरुपयोग की आशंका।
- ❑ बच्चों और बुजुर्गों सहित नागरिकों के लिये प्रदूषण जोखिम जारी।
- ❑ अधिकारी की छवि निर्णयहीन या सार्वजनिक हित से समझौता करने वाली बन सकती है।

❖ विकल्प 3 - संतुलित मिश्रित रणनीति (लक्षित कार्रवाई + सहायक उपाय)

🌀 पक्ष:

- ❑ उच्च-प्रभाव वाले प्रदूषकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई से जन स्वास्थ्य की शीघ्र रक्षा होती है।
- ❑ क्षमता की कमी वाली छोटी फर्मों के लिये चरणबद्ध अनुपालन समय प्रदान करता है।
- ❑ निष्पक्षता, पारदर्शिता और समानुपातिकता के माध्यम से विश्वास बढ़ाता है।
- ❑ पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखते हुए सामाजिक-आर्थिक व्यवधान को कम करता है।

🌀 विपक्ष:

- ❑ नगरपालिका विभागों, प्रदूषण बोर्डों और पुलिस के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है।
- ❑ निरंतर निगरानी के लिये तकनीकी और मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है।

❖ विकल्प 4 - निष्क्रिय स्थगन या समिति द्वारा विलंब

🌀 पक्ष:

- ❑ अस्थायी रूप से विरोध और राजनीतिक तनाव कम होता है।
- ❑ सरकार को व्यापक विचार-विमर्श के लिये समय मिल जाता है।

🌀 विपक्ष:

- ❑ प्रदूषण के बिगड़ते स्तर के कारण नागरिकों को लगातार कष्ट सहना पड़ रहा है।
- ❑ विधि के शासन को कमजोर करता है और उल्लंघनकर्ताओं को बढ़ावा देता है।
- ❑ जनता के विश्वास को ठेस पहुँचाता है तथा न्यायिक हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है।
- ❑ नैतिक त्याग एवं प्रशासनिक कर्तव्य की विफलता को दर्शाता है।

D. अनुशासित नैतिक और प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ कार्रवाई

❖ एक संतुलित, विधिक रूप से दृढ़ और कल्याण-उन्मुख रणनीति सबसे उपयुक्त कार्रवाई है:

- 🌀 विशेष रूप से उच्च प्रदूषणकारी निर्माण स्थलों पर, PM2.5 के स्तर को प्रभावित करने वाले गंभीर उल्लंघनों का तत्काल प्रवर्तन किया जाना चाहिये।
- 🌀 नगर निगम तथा पर्यावरणीय कानूनों के तहत स्पष्ट दण्ड प्रावधानों के साथ समय-सीमा आधारित अनुपालन-नोटिस जारी किये जाने चाहिये।
- 🌀 सहभागी दृष्टिकोण— निर्माण कंपनियाँ, परिवहन संघों तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित करते हुए धूल नियंत्रण, स्प्रिंकलर, डस्ट नेट, C&D वेस्ट प्रोसेसिंग जैसी शमन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
- 🌀 सुरक्षात्मक गियर और बेहतर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिये।
- 🌀 'विकास-विरोधी' जैसी धारणाओं का मुकाबला करने के लिये वैज्ञानिक आँकड़ों के साथ जन जागरूकता अभियान शुरू किये जाने चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- वास्तविक काल वायु गुणवत्ता डैशबोर्ड, ड्रोन निगरानी, ई-चालान प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये।
- संवैधानिक कर्तव्य, स्वास्थ्य जोखिमों और निष्क्रियता की आर्थिक लागत पर बल देते हुए राज्य सरकार को एक औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिये।

❖ नैतिक औचित्य

- यह कार्रवाई लोक-कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए अनुच्छेद 21 के संवैधानिक अधिकार और जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लोक सेवक के दायित्व का सम्मान करती है।
- यह दृष्टिकोण निष्पक्षता, न्याय और नैतिक दृढ़ता का परिचायक है क्योंकि यह प्रमुख उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए वास्तविक हितधारकों को चरणबद्ध अनुपालन के माध्यम से सहायता भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

अरुण के निर्णय में लोक सेवा के सर्वोच्च आदर्शों— साहस, निष्पक्षता और दीर्घकालिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित होना चाहिये।

यदि वह पर्यावरणीय मानकों को दृढ़ता तथा निष्पक्षता से लागू करें, हितधारकों को साथ लेकर चलें तथा अपने निर्णयों को वैज्ञानिक प्रमाणों एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित रखें, तो वह नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए जिम्मेदार विकास को भी सुनिश्चित कर सकेंगे।

पर्यावरणीय मानदंडों को दृढ़तापूर्वक तथा निष्पक्ष रूप से लागू करके, हितधारकों के साथ संवाद करके और निर्णयों को साक्ष्यों एवं संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लेते हुए, वह उत्तरदायी विकास को सक्षम बनाते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा करके, वह इस नैतिक कर्तव्य की पुष्टि करते हैं कि “नेतृत्व का वास्तविक मापदंड कमजोर लोगों की रक्षा करने की क्षमता है” और यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन मानवीय, वैध एवं भविष्योन्मुखी हो।

प्रश्न : उप पुलिस आयुक्त (साइबर एवं आंतरिक सुरक्षा) के पद पर कार्यरत IPS अधिकारी अनन्या राव अत्यधिक शिक्षित युवाओं के कट्टरपंथीकरण से प्रेरित 'व्हाइट-कॉलर

टेररिज्म (सफेदपोश आतंकवाद)' में तीव्र वृद्धि के संकेत देने वाली खुफिया सूचनाओं से बेहद चिंतित हैं। हाल की कई घटनाएँ इस प्रवृत्ति को उजागर करती हैं— इंजीनियरिंग स्नातकों द्वारा प्रतिबंधित उग्रवादी नेटवर्क के लिये एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण विकसित करना, एक वित्त-विशेषज्ञ द्वारा क्रिप्टोकॉर्सी के माध्यम से विदेशी आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध कराना तथा विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बौद्धिक बहस के नाम पर उग्रवादी साहित्य का प्रसार करना।

हालाँकि ठोस डिजिटल प्रमाण कुछ तकनीकी उद्यमियों, शिक्षाविदों एवं ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को इन गतिविधियों में संलिप्तता का दोषी ठहराते हैं, परंतु लक्षित निगरानी, भर्ती करने वालों को प्लेटफॉर्म से हटाने और UAPA-आधारित कार्रवाई शुरू करने के अनन्या के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना हो रही है। नागरिक समाज समूह उन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने और निजता मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं। प्रभावशाली शैक्षणिक संस्थान राजनीतिक नेतृत्व पर 'अनावश्यक विवाद' से बचने हेतु दबाव डालते हैं। मीडिया विमर्श इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता के बजाय 'विचारधारा-आधारित पुलिसिंग' के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। आरोपी युवाओं के माता-पिता इसे अपरिपक्वता का परिणाम मानते हुए नरमी बरतने की माँग करते हैं।

इसी दौरान, केंद्रीय खुफिया एजेंसियाँ चेतावनी देती हैं कि निष्क्रियता एक गुप्त आतंकवादी तंत्र के विकास को बढ़ावा दे सकती है, जो साइबर अटैक, वित्तीय अपराध तथा परिसरों में विचारधारात्मक पैठ जैसे खतरों को जन्म दे सकता है। अनन्या नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और एक तात्कालिक सुरक्षा संकट के समाधान के बीच उलझी हुई हैं। उसके निर्णय से सार्वजनिक विवाद, राजनीतिक प्रतिघात एवं संभावित विधिक चुनौतियों का खतरा है, किंतु कार्रवाई में विलंब से जन-सुरक्षा से समझौता हो सकता है और उग्रवादी नेटवर्कों का मनोबल बढ़ सकता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्रश्न:

1. इस परिस्थिति में अनन्या राव के समक्ष कौन-कौन से प्रमुख नैतिक दुविधाएँ उपस्थित हैं ?
2. इस केस में अंतर्निहित परस्पर-विरोधी मूल्यों एवं नैतिक सिद्धांतों का अभिनिर्धारण कर उनका विश्लेषण कीजिये।
3. अनन्या के लिये उपलब्ध संभावित कार्रवाई का मूल्यांकन कीजिये तथा उनके संभावित परिणामों का आकलन कीजिये।
4. सबसे नैतिक और प्रशासनिक रूप से विवेकपूर्ण कार्रवाई का सुझाव दीजिये जो नागरिक स्वतंत्रता तथा बढ़ते कट्टरपंथ एवं सफेदपोश आतंकवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखे।

परिचय:

उच्च शिक्षित युवाओं के कट्टरपंथीकरण के परिणामस्वरूप सफेदपोश आतंकवाद का उदय, पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिये नई चुनौतियाँ खड़ी करता है। साइबर एवं आंतरिक सुरक्षा की उप पुलिस आयुक्त अनन्या राव एक जटिल नैतिक दुविधा का सामना करती हैं जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं का नागरिक स्वतंत्रताओं, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अंतर्विरोध होता है। उनके निर्णय वैधता, नीतिशास्त्र और सार्वजनिक जवाबदेही, इन तीनों के बीच संतुलन पर निर्भर करते हैं।

मुख्य भाग:

A. अनन्या के समक्ष आने वाली प्रमुख नैतिक दुविधाएँ

- ❖ निजता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा: तकनीकी पेशेवरों और छात्रों पर लक्षित निगरानी से निजता के अधिकार का उल्लंघन होने का खतरा है, फिर भी कार्रवाई करने में विफलता से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- ❖ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम उग्रवाद की रोकथाम: हालाँकि अकादमिक बहस वैध है, लेकिन इसकी आड़ में उग्रवादी विचारधाराओं का प्रसार असहमति और कट्टरपंथी प्रचार के बीच अंतर करने की दुविधा को जन्म देता है।

- ❖ विधि का शासन बनाम सार्वजनिक व राजनीतिक दबाव: नागरिक समाज समूह कड़ी कार्रवाई का विरोध करते हैं, और शैक्षणिक संस्थान घोटाले के खिलाफ लॉबी करते हैं तथा अनन्या पर कानूनी एवं नैतिक कर्तव्यों से समझौता करने का दबाव डालते हैं।
- ❖ निवारक पुलिसिंग बनाम निर्दोषता की धारणा: उभरते प्रमाणों के आधार पर UAPA जैसी कार्रवाई समाज की रक्षा कर सकती है, लेकिन इसे अतिशय या जल्दबाजी माना जा सकता है।
- ❖ व्यावसायिक निष्ठा बनाम प्रशासनिक विवेक: सख्त प्रवर्तन से राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जबकि निष्क्रियता नुकसान को रोकने के उसके नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन करती है।

B. परस्पर विरोधी मूल्य और नैतिक तत्त्व

- ❖ उपयोगितावादी नैतिकता बनाम अधिकार-आधारित नैतिकता: एक ओर ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यापक जन-सुरक्षा और बड़े नुकसान की रोकथाम को प्राथमिकता देता है, वहीं दूसरी ओर वह दृष्टिकोण है जो संदेह के घेरे में आये लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा को भी समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है।
- ❖ जवाबदेही बनाम विवेक: अनन्या को कानूनी सीमाओं के भीतर जिम्मेदारीपूर्वक विवेक का प्रयोग करते हुए कार्रवाई और निष्क्रियता दोनों के लिये जवाबदेह होना चाहिये।
- ❖ दृढ़ विश्वास का साहस बनाम भावनात्मक बुद्धिमत्ता: उनकी निष्ठा उनसे स्पष्ट दृढ़ कार्रवाई की अपेक्षा करती है, जबकि सामाजिक आशंकाओं को समझने, हितधारकों से संवाद बनाने के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि युवा उन्हें कठोर, असंवेदनशील या दमनकारी समझकर उनसे दूरी न बना लें।
- ❖ न्याय बनाम करुणा: कठोर दण्डात्मक उपाय अपराध को रोक सकते हैं, परंतु ऐसे प्रसंगों में करुणा भी आवश्यक हो सकती है जहाँ युवा गुमराह या किसी के द्वारा प्रभावित किये गये हों।

C. संभावित कार्य-प्रविधियों का मूल्यांकन

- ❖ विकल्प 1: त्वरित सख्त कार्रवाई (निगरानी + UAPA प्रवर्तन)

🌀 लाभ: आतंक नेटवर्क को प्रारंभिक चरण में बाधित करती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता के अनुरूप है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 **हानि:** व्यापक सार्वजनिक विरोध, संभावित विधिक चुनौतियाँ और अधिकार-उल्लंघन का जोखिम।

❖ **विकल्प 2: संतुलित, साक्ष्य-आधारित कार्रवाई**

🌀 **लाभ:** स्वतंत्रता और सुरक्षा का संतुलन; विधिक रूप से सुदृढ़; केवल उच्च-जोखिम व्यक्तियों को लक्षित करती है।

🌀 **हानि:** धीमी तथा संसाधन-गहन; खतरे विकसित हो सकते हैं।

❖ **विकल्प 3: सार्वजनिक दबाव के कारण कार्रवाई से बचना**

🌀 **लाभ:** अस्थायी रूप से विवाद से बचाव।

🌀 **हानि:** नैतिक रूप से दुर्बल; खतरे को बढ़ाता है; नागरिकों की सुरक्षा के कर्तव्य का उल्लंघन होता है।

❖ **विकल्प 4: निवारक + सहयोगात्मक दृष्टिकोण**

🌀 शैक्षणिक संस्थानों, अभिभावकों, मनोवैज्ञानिकों तथा साइबर विशेषज्ञों को शामिल करना; पुनर्प्रशिक्षण एवं डि-रैडिकलाइजेशन कार्यक्रम; लक्षित प्रवर्तन के साथ नरम हस्तक्षेप।

🌀 **लाभ:** वैधता निर्मित करता है, उग्रपंथीकरण को घटाता है, दीर्घकालीन सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

🌀 **हानि:** निरंतर समन्वय तथा समय की आवश्यकता।

D. सबसे नैतिक तथा प्रशासनिक रूप से विवेकपूर्ण कार्य-मार्ग

❖ **सबसे संतुलित दृष्टिकोण एक विधिक, प्रमाण-आधारित और पारदर्शी रणनीति है जिसमें शामिल है—**

🌀 केवल उच्च-जोखिम व्यक्तियों पर न्यायिक अनुमति प्राप्त लक्षित निगरानी।

🌀 मजबूत डिजिटल तथा वित्तीय साक्ष्य होने पर ही UAPA की कठोर कार्रवाई।

🌀 सीमावर्ती/संभावित युवाओं के लिये डि-रैडिकलाइजेशन तथा परामर्श कार्यक्रम।

🌀 शैक्षणिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर वैचारिक घुसपैठ को रोकना।

🌀 उग्रवादी आख्यानों का प्रतिकार करने हेतु सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम।

🌀 दस्तावेजीकरण, विधिक पारदर्शिता और संवैधानिक सुरक्षा-उपबंधों का पालन ताकि किसी भी स्तर पर जाँच-परख का सामना किया जा सके।

❖ यह दृष्टिकोण अनुपातिकता, विधि-शासन, निष्पक्षता तथा सार्वजनिक हित के मानकों का पालन करता है, साथ ही लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की रक्षा भी करता है।

निष्कर्ष:

अनन्या की दुविधा यह रेखांकित करती है कि उन्नत, विचारधारा-आधारित साइबर आतंकवाद के युग में नागरिक अधिकारों एवं सामूहिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कितना अनिवार्य है। प्रमाण-आधारित तथा नैतिक रूप से दृढ़ निर्णय-प्रक्रिया के माध्यम से वह राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रख सकती हैं। यही दृष्टि जिम्मेदार पुलिसिंग, मानवीय गरिमा और नैतिक शासन के मूल तत्वों के अनुरूप है।

प्रश्न : एक तेज़ी से विकसित हो रहे ज़िले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रितिका शर्मा को छात्रों और युवा पेशेवरों में मादक द्रव्य के बढ़ते उपयोग में लगातार वृद्धि की चिंताजनक रिपोर्ट्स मिली हैं। पिछले कुछ हफ्तों में, कई घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है: एक बर्थडे पार्टी के दौरान सिंथेटिक ड्रग्स का सेवन करने के बाद पाँच कॉलेज छात्रों को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया; पुलिस ने हेल्थ सप्लीमेंट्स के नाम पर रखे गए मादक पदार्थों से भरे एक कूरियर पार्सल को पकड़ा, साथ ही कई स्कूल काउंसलरों ने छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन तथा कक्षा में अनुपस्थित रहने के मामलों की सूचना दी जो संभवतः नशे की लत से जुड़े प्रतीत होते हैं।

प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि मादक पदार्थों का वितरण एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और एनॉनिमस डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से किया जा रहा है। गुप्त सूचनाओं से संकेत मिलता है कि इस नेटवर्क में एक स्थानीय नाइटक्लब मालिक, कुछ प्रभावशाली बिज़नेसमैन तथा कुछ कॉलेज स्टाफ शामिल हैं जो कथित तौर पर कैपस इवेंट्स के दौरान तथ्यों पर 'ध्यान न देने' का रवैया अपनाते हैं। रीतिका एक कार्ययोजना प्रस्तावित करती हैं जिसमें NDPS अधिनियम के लक्षित प्रवर्तन, औचक निरीक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य परामर्श सत्र और अभिभावकों व सामुदायिक समूहों के साथ सहयोग शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



हालाँकि जैसे ही यह प्रस्ताव सार्वजनिक होता है, विरोध शुरू हो जाता है। अभिभावक संघ प्रशासन पर 'युवाओं के प्रयोगात्मक चरण को अपराधीकरण' करने का आरोप लगाते हैं और तर्क देते हैं कि सख्त कार्रवाई से छात्रों पर कलंक लग सकता है। नाइटक्लब तथा हॉस्पिटैलिटी लॉबी चेतावनी देती है कि छापेमारी और सख्त पुलिसिंग से ज़िले के व्यावसायिक वातावरण को नुकसान पहुँचेगा। कुछ गैर-सरकारी संगठन प्रशासन की कार्यशैली को हस्तक्षेपकारी बताते हैं और बल देते हैं कि नशे की समस्या को मुख्यतः स्वास्थ्य और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये। स्थानीय मीडिया चैनल इस कार्रवाई को सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकता के बजाय मोरल पुलिसिंग के तौर पर दिखाते हुए डिबेट चलाते हैं। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति रीतिका पर दबाव डालने लगते हैं कि आगामी स्थानीय चुनावों से पहले ऐसे निर्णय लेने से बचने की सलाह देते हैं जिनसे विवाद हो सकता है।

इसी बीच ज़िला एंटी-नारकोटिक्स यूनिट चेतावनी देती है कि विलंब से उभरते हुए ड्रग नेटवर्क को और मज़बूती मिल सकती है। चिकित्सा विशेषज्ञ मादक द्रव्य संबंधी आपात मामलों में तीव्र वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हैं और आगाह करते हैं कि उपचार न होने पर नशे की प्रारंभिक अवस्था शीघ्र ही गंभीर रूप ले सकती है। रीतिका स्वयं को कठिन दुविधा के बीच पाती हैं, जहाँ उनके समक्ष युवाओं की भलाई की रक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का सम्मान करने तथा कठोर विधिक प्रवर्तन एवं संवेदनशील, पुनर्वास-उन्मुख दृष्टिकोण के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती है। उन्हें पता है कि उनके इस निर्णय का सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रशासनिक विश्वसनीयता तथा युवाओं एवं राज्य के बीच भरोसे पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्न:

1. इस परिस्थिति में रीतिका किन प्रमुख नैतिक दुविधाओं का सामना कर रही हैं ?

2. इस प्रकरण में परस्पर-विरोधी मूल्यों और सिद्धांतों का अभिनिर्धारण कर उनका विश्लेषण कीजिये।
3. रीतिका के पास उपलब्ध संभावित कार्रवाइयों का मूल्यांकन कीजिये तथा उनके संभावित परिणाम स्पष्ट कीजिये।
4. रीतिका द्वारा अपनायी जाने वाली सबसे नैतिक और प्रशासनिक दृष्टि से उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिये जिससे मादक पदार्थ के सेवन की बढ़ती समस्या का समाधान हो सके ?

परिचय:

रितिका शर्मा के ज़िले में बढ़ते मादक पदार्थों के उपयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों, संगठित अपराध, युवा कल्याण और सामाजिक-राजनीतिक दबावों से जुड़ी एक जटिल शासन चुनौती सामने आती है। ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में रितिका को विधि प्रवर्तन और करुणा के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, साथ ही दीर्घकालिक सामाजिक विश्वास एवं प्रशासनिक विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करनी होगी।

मुख्य भाग:

1. नैतिक दुविधाएँ

- ♦ सार्वजनिक सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता: युवाओं की सुरक्षा के लिये NDPS कानून का सख्त प्रवर्तन आवश्यक है, किंतु अत्यधिक सख्ती को प्रयोगात्मक व्यवहार का अपराधीकरण मानकर स्वायत्तता और निजता के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।
- ♦ दंडात्मक कार्रवाई बनाम पुनर्वास: चिकित्सीय विशेषज्ञ शीघ्र उपचार पर बल देते हैं, जबकि दंडात्मक उपाय छात्रों को सहायता मांगने से हतोत्साहित कर सकते हैं। रितिका को प्रतिशोधात्मक और सुधारात्मक दृष्टिकोण में से किसी एक का चयन करना होगा।
- ♦ प्रशासनिक निष्पक्षता बनाम राजनीतिक दबाव: राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति चुनावों से पहले संयम बरतने की सलाह देते हैं, जिससे रितिका की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ **आर्थिक हित बनाम सामाजिक उत्तरदायित्व:** नाइटक्लब और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र छापेमारी के कारण राजस्व हानि की आशंका जताते हैं, जबकि मादक पदार्थों का अनियंत्रित दुरुपयोग दीर्घकालिक मानव पूंजी के लिये खतरा है।

❖ **अल्पकालिक लोकप्रियता बनाम दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण:** मीडिया की आलोचना और गैर-सरकारी संगठनों का विरोध निर्णायक कार्रवाई को रोक सकता है, जिससे ड्रग नेटवर्क (मादक पदार्थों का नेटवर्क) को अपनी जड़ें मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।

2. परस्पर विरोधी मूल्य और सिद्धांत

❖ **विधि का शासन:** NDPS अधिनियम मादक पदार्थों की तस्करी और उसे सक्षम बनाने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई अनिवार्य करता है।

❖ **जन स्वास्थ्य एवं उपकारिता:** संवेदनशील युवाओं को बढ़ती लत से बचना।

❖ **न्याय और उत्तरदायित्व:** आपूर्तिकर्ताओं, सहायक तत्वों और संलिप्त कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराना।

❖ **स्वायत्तता और निजता:** विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करना और उन्हें अनावश्यक कलंक से बचना।

❖ **अहिंसा सिद्धांत:** अत्यधिक पुलिसिंग, नैतिक भय या आर्थिक व्यवधान से होने वाली क्षति से बचना।

❖ **प्रशासनिक सत्यनिष्ठा:** राजनीतिक दबाव का प्रतिरोध और निष्पक्षता का पालन करना।

❖ **विश्वास और सामाजिक सामंजस्य:** राज्य की कार्रवाई पर समुदाय का भरोसा बनाये रखना।

3. संभावित कार्य-विकल्पों का मूल्यांकन

❖ **विकल्प 1: NDPS के विरुद्ध कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई**

🌀 **लाभ:** मादक पदार्थों के नेटवर्क का तेजी से विघटन करता है; भविष्य में अपराध करने वालों को रोकता है।

🌀 **नकारात्मक पक्ष:** युवाओं पर कलंक, सामाजिक प्रतिरोध, व्यवसायों की साख को क्षति और नैतिक पुलिसिंग का आरोप।

❖ **विकल्प 2: पूरी तरह से स्वास्थ्य-उन्मुख, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण**

🌀 **लाभ:** स्वैच्छिक उपचार को प्रोत्साहित करता है; युवाओं की गरिमा की रक्षा करता है; आधुनिक नशा मुक्ति देखभाल मॉडलों के अनुरूप है।

🌀 **नकारात्मक पक्ष:** तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये अपर्याप्त; संगठित नेटवर्क को विस्तार करने की अनुमति देता है।

❖ **विकल्प 3: सामाजिक/राजनीतिक के कारण कार्रवाई में विलंब या न्यूनतम कार्रवाई**

🌀 **लाभ:** अल्पकालिक विवादों से बचा जा सकता है।

🌀 **नकारात्मक पक्ष:** नैतिक रूप से अस्वीकार्य; नेटवर्क मजबूत हो जाता है; जनता का विश्वास कम हो जाता है; मादक पदार्थों का दुरुपयोग बढ़ जाता है।

❖ **विकल्प 4: संतुलित, बहुआयामी कार्रवाई**

🌀 **लाभ:** कानून प्रवर्तन का पुनर्वास के साथ समन्वय; आपूर्तिकर्ताओं को लक्षित करता है, छात्रों की रक्षा करता है; सामुदायिक समर्थन प्राप्त करता है; प्रशासनिक वैधता बनाए रखता है।

🌀 **नकारात्मक पक्ष:** इसके लिये समन्वय, संप्रेषण और हितधारक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

4. अनुशंसित नैतिक और प्रशासनिक रूप से उपयुक्त कार्रवाई

❖ **NDPS के तहत लक्षित प्रवर्तन:**

🌀 तस्करो, नाइट क्लब मालिकों, भ्रष्ट व्यापारियों और मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

🌀 नैतिक पुलिसिंग के आरोपों से बचने के लिये पारदर्शी, मानक परिचालन प्रक्रियाओं (SOP) पर आधारित निरीक्षण करना चाहिये।

❖ **युवा-अनुकूल पुनर्वास कार्यवाही:**

🌀 अनिवार्य परामर्श, कैम्पस हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नशामुक्ति केंद्रों में रेफरल सुनिश्चित करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



🌀 पहली बार मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को अपराधी बनाने के बजाय उनकी देखभाल और उपचार सुनिश्चित करनी चाहिये।

❖ डिजिटल निगरानी और खुफिया समन्वय:

🌀 साइबर यूनिटों की सहायता से एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग नेटवर्क, गुमनाम वॉलेट और कूरियर चैनलों पर नज़र रखना चाहिये।

❖ सामुदायिक सहभागिता और संप्रेषण:

🌀 जागरूकता अभियानों में अभिभावकों, स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और छात्रों को शामिल करना चाहिये।

🌀 मीडिया ब्रीफिंग का उपयोग यह समझाने के लिये करना चाहिये कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं की रक्षा करना है, न कि उन्हें दंडित करना।

❖ सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करना:

🌀 निर्णयों का दस्तावेजीकरण और राजनीतिक दबाव का विरोध करना चाहिये तथा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखना चाहिये।

निष्कर्ष

सबसे नैतिक दृष्टिकोण वही है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान करे। मादक पदार्थों के नेटवर्क के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और युवाओं के लिये करुणामय, समुदाय-आधारित पुनर्वास को एकीकृत करके रितिका विधि के शासन को सुदृढ़ कर सकती हैं, जिले के भविष्य की रक्षा कर सकती हैं और नागरिकों का विश्वास बनाये रख सकती हैं।

प्रश्न : एक विकसित हो रहे औद्योगिक जिले की ज़िला मजिस्ट्रेट मीरा राव बढ़ती भाषा-आधारित हिंसा की घटनाओं का सामना कर रही हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से आये प्रवासी मज़दूरों को लक्षित कर रही है। हाल के सप्ताहों में कई चिंताजनक घटनाओं ने भय का माहौल उत्पन्न कर दिया है। स्थानीय भाषा न बोल पाने के कारण एक समूह को स्थानीय युवाओं द्वारा पीटा गया। दो डिलीवरी कर्मचारियों को उनकी मातृभाषा प्रयोग करने पर अपमानित किया गया तथा माफ़ी मांगते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिये विवश किया गया। एक फैक्ट्री

सुपरवाइज़र पर आरोप है कि उसने स्थानीय भाषा न जानने वाले श्रमिकों को कार्य-शिफ्ट देने से मना कर दिया।

अस्पतालों में प्रवासी श्रमिकों के साथ हमले के मामलों में स्पष्ट बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पुलिस के अनुसार डराने-धमकाने की गतिविधियाँ सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से संगठित रूप से संचालित हो रही हैं, जो भाषायी शुचिता का समर्थन करते हैं और स्थानीय लोगों से नौकरियाँ वापस लेने का आग्रह करते हैं। जाँचकर्ताओं को संदेह है कि कुछ सांस्कृतिक संगठन, जिनका राजनीतिक प्रभाव है, सार्वजनिक सभाओं में विभाजनकारी कथाएँ बढ़ाकर तनाव को परोक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। मीरा एक बहु-स्तरीय योजना तैयार करती हैं जिसमें प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई, बहुभाषी शिकायत हेल्पलाइन, औद्योगिक क्षेत्रों में संवेदनशीलता कार्यक्रम, फैक्ट्रियों के लिये अनिवार्य भेदभाव-रोधी दिशा-निर्देश तथा मज़दूर संघों एवं सामुदायिक समूहों के साथ भागीदारी शामिल है।

उनकी योजना का विरोध तुरंत सामने आता है। स्थानीय व्यापार संगठनों को आशंका है कि सख्त पुलिसिंग से भर्ती प्रणालियाँ बाधित होंगी तथा आर्थिक दबाव झेल रहे छोटे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सांस्कृतिक समूह प्रशासन पर क्षेत्रीय पहचान को कमज़ोर करने का आरोप लगाते हैं और तर्क देते हैं कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या स्थानीय संस्कृति को क्षीण कर रही है। कुछ मीडिया चैनल मीरा के प्रयासों को बाहरी लोगों का पक्ष लेने का प्रयास बताते हैं जिससे ध्रुवीकरण और बढ़ता है। कुछ राजनीतिक नेता आगामी चुनावों की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए उन्हें गति धीमी करने की सलाह देते हैं। उसी समय श्रमिक कल्याण संगठनों, अधिकार-आधारित NGO और कई उद्योगपतियों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि विलंब से की गयी कार्रवाई उग्रवादी व्यवहार को बढ़ावा देगी तथा बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर ज़िले से पलायन कर सकते हैं इससे आवश्यक

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सेवाओं, सप्लाई चेन और औद्योगिक उत्पादन में भारी व्यवधान उत्पन्न होगा। मीरा असुरक्षित मजदूरों की सुरक्षा के कर्तव्य और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता, कानून को दृढ़ता से लागू करने व सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करने तथा प्रशासनिक तटस्थता और राजनीतिक दबाव के बीच फँसी हुई महसूस करती हैं।

प्रश्न:

1. इस परिस्थिति में मीरा के समक्ष उपस्थित प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?
2. इस मामले में सम्मिलित परस्पर-विरोधी मूल्यों तथा सिद्धांतों की पहचान कर उनका विश्लेषण कीजिये।
3. मीरा के समक्ष उपलब्ध संभावित कार्य-प्रणालियों का मूल्यांकन तथा उनके संभावित परिणामों पर चर्चा कीजिये।
4. प्रवासी श्रमिकों के विरुद्ध भाषा-आधारित हिंसा से निपटने के लिये मीरा का सबसे नैतिक तथा प्रशासनिक रूप से उचित कार्य-मार्ग क्या होना चाहिये ? (250 शब्द)

परिचय:

हाल की एक घटना में केवल अपनी मातृभाषा बोलने के कारण प्रवासी मजदूरों पर हमला किया गया, जो भारत के शहरीकरण कर रहे जिलों में बढ़ती भाषाई असहिष्णुता के बढ़ते संकट को उजागर करता है। ऐसी शत्रुता पहचान को एक दरार में बदल देती है और सामाजिक सद्भाव एवं संवैधानिक मूल्यों दोनों के लिये खतरा उत्पन्न करती है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में मीरा राव के समक्ष सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कमज़ोर प्रवासियों की रक्षा करने, कानून को दृढ़ता से लेकिन संवेदनशीलता से लागू करने के कठिन कार्य का दायित्व है, जो शासन, पहचान और मानव गरिमा के संतुलन पर स्थित एक अपरिहार्य नैतिक दुविधा है।

मुख्य भाग:

1. इस परिस्थिति में मीरा के समक्ष उपस्थित प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?

❖ कानूनी दायित्व बनाम सामाजिक सद्भाव: मीरा को प्रवासी मजदूरों की रक्षा के लिये कानून लागू करना चाहिये, लेकिन सख्त

कार्रवाई से तनाव बढ़ सकता है, स्थानीय व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं और स्थानीय समूहों की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है।

- ❖ प्रशासनिक निष्पक्षता बनाम राजनीतिक दबाव: उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बिना पक्षपात के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें, फिर भी राजनीतिक नेता चुनावी संवेदनशीलताओं के कारण कार्रवाई को धीमा करने का दबाव डाल रहे हैं।
- ❖ सांस्कृतिक पहचान बनाम संवैधानिक नैतिकता: जहाँ सांस्कृतिक समूह भाषाई पहचान की रक्षा के लिये तर्क देते हैं, वहीं मीरा को यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्रीय गौरव हिंसा या बहिष्करण का औचित्य न बने।
- ❖ आर्थिक हित बनाम मानवाधिकार: व्यापार संघ सख्त पुलिस कार्रवाई से आर्थिक दुष्परिणामों की आशंका व्यक्त करते हैं, जबकि श्रमिक संगठन मानव अधिकारों के उल्लंघन और सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करते हैं।
- ❖ तात्कालिक स्थिरता बनाम दीर्घकालिक न्याय: हिंसा की अनदेखी से अल्पकालिक शांति तो मिल सकती है, परंतु भेदभाव बना रहेगा; वहीं दृढ़ कार्रवाई से अल्पकालिक विरोध हो सकता है, किंतु दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित होगी।

2. इस मामले में सम्मिलित परस्पर-विरोधी मूल्यों तथा सिद्धांतों का अभिनिर्धारण कर उनका विश्लेषण कीजिये।

- ❖ संवैधानिक सिद्धांत
 - ⦿ समानता एवं भेदभाव निषेध (अनुच्छेद 14-15): भाषा के आधार पर प्रवासियों को निशाना नहीं बनाया जा सकता।
 - ⦿ अभिव्यक्ति एवं सांस्कृतिक संरक्षण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 29-30): स्थानीय नागरिकों और प्रवासियों दोनों को सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हैं।
 - ⦿ जीविका का अधिकार (अनुच्छेद 19, 21): भाषा के आधार पर रोजगार से वंचित करना मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
- ❖ नैतिक मूल्य
 - ⦿ मानव गरिमा: प्रवासियों पर हमला और अपमान मूलभूत गरिमा का हनन है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ④ करुणा एवं संवेदनशीलता: प्रवासी श्रमिक असुरक्षित होते हैं और सहानुभूतिपूर्ण संरक्षण के अधिकारी हैं।
- ④ न्याय एवं निष्पक्षता: नियोजन, पुलिसिंग या सार्वजनिक सेवाओं में पक्षपात न्याय को कमजोर करता है।
- ④ सामाजिक सद्भाव एवं एकता: सामुदायिक शांति बनाए रखना एक प्रशासनिक दायित्व है।
- ❖ प्रशासनिक सिद्धांत
- ④ विधि का शासन: हिंसा और धमकी से कानूनी ढंग से निपटना अनिवार्य है।
- ④ निष्पक्षता: राजनीतिक दबावों के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट को तटस्थ रहना चाहिये।
- ④ संवेदनशीलता एवं त्वरित प्रतिक्रिया: वास्तविक शिकायतों का शीघ्र समाधान आवश्यक है।
- ④ जवाबदेही: श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिये संस्थानों को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिये।

3. मीरा के समक्ष उपलब्ध संभावित कार्य-प्रणालियों का मूल्यांकन तथा उनके संभावित परिणामों पर चर्चा कीजिये।

❖ विकल्प 1: समस्या की अनदेखी करना; कार्रवाई धीमी रखना

④ पक्ष:

- ❏ सांस्कृतिक समूहों और राजनीतिक हितधारकों के साथ तत्काल अंतर्विरोध से बचाव।
- ❏ अल्पकालिक अशांति को रोकता है।

④ विपक्ष:

- ❏ चरमपंथी समूहों का हौसला बढ़ेगा; हिंसा बढ़ सकती है।
- ❏ प्रवासी पलायन कर सकते हैं, जिससे उद्योग और आवश्यक सेवाएँ प्रभावित होंगी।
- ❏ प्रशासनिक नैतिकता और संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन हो सकता है।
- ❏ इससे शासन व्यवस्था में जनता का विश्वास कम हो सकता है।

❖ विकल्प 2: केवल सख्त पुलिसिंग और दंडात्मक कार्रवाई

④ पक्ष:

- ❏ यह हिंसा के खिलाफ एक कड़ा संदेश है।
- ❏ प्रवासियों के लिये तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- ❏ विधि के शासन को सुदृढ़ करता है।

④ विपक्ष:

- ❏ इससे स्थानीय समुदायों में असंतोष की भावना भड़क सकती है।
- ❏ व्यापारिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं; औद्योगिक उत्पादकता में गिरावट आ सकती है।
- ❏ सत्तावादी के रूप में देखा जाता है, जिससे प्रशासनिक निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।

❖ विकल्प 3: एक संतुलित, बहु-हितधारक दृष्टिकोण

④ घटक:

- ❏ अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई।
- ❏ शिकायतों के लिये बहुभाषी हेल्पलाइन
- ❏ कारखानों और समुदायों में जागरूकता अभियान।
- ❏ उद्योगों के लिये भेदभाव विरोधी मानदंड।
- ❏ श्रमिक संघों, गैर सरकारी संगठनों और उत्तरदायी सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ सहयोग।

④ पक्ष:

- ❏ यह कानून प्रवर्तन और सामाजिक उपचार का संयोजन है।
- ❏ यह गलत सूचना, पूर्वाग्रह और आर्थिक असुरक्षा जैसे मूल कारणों का समाधान करता है।
- ❏ हितधारकों में साझा उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है।
- ❏ इससे विरोध की संभावना कम हो जाती है और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।

④ विपक्ष:

- ❏ परिणाम अपेक्षाकृत धीमे।
- ❏ इसके लिये सुदृढ़ समन्वय और राजनीतिक साहस की आवश्यकता है।

4. प्रवासी श्रमिकों के विरुद्ध भाषा-आधारित हिंसा से निपटने के लिये मीरा का सबसे नैतिक तथा प्रशासनिक रूप से उचित कार्य-मार्ग क्या होना चाहिये ?

❖ मीरा को विकल्प 3 का अनुसरण करना चाहिये: यह एक संतुलित, अधिकार-आधारित और समुदाय-केंद्रित रणनीति है, जो संवैधानिक नैतिकता एवं विधि के शासन में निहित हो।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य चरण:

दृढ़ कानूनी प्रवर्तन:

- भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत हमला, उत्पीड़न, द्वेषपूर्ण भाषण, घृणा-आधारित अपराधों और भेदभाव से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करना।
- घृणा फैलाने वाले सोशल मीडिया समूहों की निगरानी करना तथा उन्हें निष्क्रिय करना।
- भेदभावपूर्ण नियोजन के लिये नियोक्ताओं को उत्तरदायी ठहराना।

प्रवासियों के लिये संस्थागत सहायता:

- बहुभाषी हेल्पलाइन, आश्रय स्थल और पीड़ित-सहायता प्रकोष्ठ सक्रिय करना।
- संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त सुनिश्चित करना।

सामुदायिक संवाद एवं जागरूकता:

- जनजागरूकता अभियानों के लिये नागरिक समाज, श्रमिक संघों और उत्तरदायी सांस्कृतिक समूहों के साथ साझेदारी करना।
- कार्यस्थलों और विद्यालयों में 'विविधता में एकता' अभियानों को बढ़ावा देना।

आर्थिक हितधारकों से संवाद:

- उद्योगों को आश्वस्त करना कि भेदभाव-विरोधी मानदण्ड श्रम-स्थिरता और उत्पादकता बढ़ाते हैं।
- लघु उद्योगों की परिचालन चिंताओं को व्यक्त करने के लिये एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

नैतिक नेतृत्व:

- राजनीतिक दबावों के बावजूद निष्पक्षता बनाए रखना।
- मीडिया के माध्यम से पारदर्शी संवाद कर भ्रांतियों का खंडन करना।

निष्कर्ष

मीरा की नैतिक उत्तरदायित्व है कि वे असुरक्षित वर्गों की रक्षा करें, संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करें और सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ करें। एक संतुलित दृष्टिकोण—जहाँ विधि के शासन से समझौता न किया जाए, सांस्कृतिक पहचान का सम्मान हो और सामुदायिक विश्वास

का पुनर्निर्माण किया जाए, भाषा आधारित हिंसा को समाप्त करने तथा ज़िले में शांति पुनः स्थापित करने का सबसे नैतिक तथा प्रशासनिक रूप से प्रभावी मार्ग है।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : अंतरात्मा का संकट (Crisis of conscience) शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन के किसी उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिये कि आपने ऐसी स्थिति का सामना किस प्रकार किया। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण :

- अंतःकरण के संकट की स्पष्ट एवं सटीक परिभाषा से शुरुआत कीजिये।
- एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अंतरात्मा का संकट वह स्थिति है, जब कोई व्यक्ति यह तय करने में गहरे द्वंद्व का सामना करता है कि नैतिक रूप से सही क्या है और बाहरी दबाव, सामाजिक अपेक्षाएँ या निजी लाभ उससे क्या करवाना चाहते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति की आंतरिक नैतिक समझ प्रलोभनों, परिणामों के भय या सामाजिक संबंधों से टकराने लगती है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, न्यायबोध, नैतिक दृढ़ता और चरित्र की शुचिता की वास्तविक परीक्षा लेती हैं।

मुख्य भाग:

अंतरात्मा का संकट

- यह नैतिक सिद्धांतों और बाहरी दबावों के बीच उत्पन्न होने वाले आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है।
- यह तब उत्पन्न होता है, जब अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना किसी व्यक्तिगत हानि, असुविधा अथवा टकराव का कारण बन सकता है।
- यह कर्तव्य बनाम भावना, सत्य बनाम सुविधा या जनहित बनाम व्यक्तिगत दायित्व के बीच टकराव को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- यह समझौता करने की बजाय अंतरात्मा के अनुसार कार्य करने के लिये नैतिक साहस और स्पष्टता की मांग करता है।

मेरे जीवन से उदाहरण: अंतरात्मा के संकट का सामना

प्रसंग:

- मैं एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये अपने कॉलेज की आयोजन समिति का हिस्सा था।
- एक करीबी मित्र ने समय-सीमा के बाद एक प्रायोजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मुझसे अनुरोध किया कि मैं प्रचार कंटेंट पर उसकी संस्था का लोगो शामिल करूँ।

संकट की प्रकृति

- व्यक्तिगत निष्ठा और संस्थागत निष्पक्षता के बीच संघर्ष।
- 'सिर्फ इस बार' अपवाद बनाने का दबाव।
- यह डर कि मना करने से मित्रता प्रभावित हो सकती है।

मूल्यों का मतभेद

- सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता बनाम मित्रता, सामाजिक अपेक्षा, भावनात्मक दबाव।

मेरे समक्ष मौजूद विकल्प

- अनुरोध स्वीकार कर निष्पक्षता से समझौता करना चाहिये।
- अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर व्यक्तिगत संबंधों में तनाव का जोखिम उठाना चाहिये।
- डिजाइन में विलंब करके बीच का रास्ता (सख्त समय-सीमा के कारण यह संभव नहीं है) खोजना चाहिये।

नैतिक दृष्टिकोण से विचार:

- अपवाद देना उन प्रायोजकों के साथ अनुचित होगा, जिन्होंने नियमों का पालन किया।
- इससे एक गलत मिसाल कायम होगी और आयोजन समिति की विश्वसनीयता कमजोर हो जाएगी।
- नियमों का पालन करने से विश्वास, समानता और व्यावसायिकता सुनिश्चित होती है।

अंतिम निर्णय:

- मैंने विनम्रतापूर्वक, लेकिन दृढ़ता से अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

- मैंने बताया कि नियम सभी प्रतिभागियों के लिये निष्पक्षता बनाए रखते हैं तथा उन्हें तोड़ने से आयोजन समिति की विश्वसनीयता कमजोर हो जाएगी।

परिणाम:

- मित्र को शुरुआत में निराशा हुई, लेकिन बाद में उसने तर्क की सराहना की।
- आयोजन सुचारु रूप से संपन्न हुआ, जिसमें सभी प्रायोजकों के लिये समान मानक बनाए रखे गए।

निष्कर्ष

इस घटना से यह सीख मिलती है कि अंतरात्मा का संकट केवल सही मार्ग पहचानने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उस मार्ग का पालन करने के लिये नैतिक साहस रखने की आवश्यकता होती है, भले ही बाह्य दबाव क्यों न हो। लोक सेवकों के लिये ऐसे आंतरिक संघर्ष सामान्य हैं जिसे उन्हें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर सुलझाना चाहिये। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है, "अंतरात्मा के मामलों में, बहुमत का कानून कोई स्थान नहीं रखता।"

प्रश्न : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह उद्धरण आपको क्या संदेश देता है ?

"ज्ञान का सर्वोच्च रूप समानुभूति है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने अहंकार से परे दूसरों के अनुभव और संवेदनाओं को समझने का प्रयास करता है।"

— बिल बुलार्ड (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण की सटीक व्याख्या से उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- उद्धरण में निहित प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा कीजिये।
- उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

उपरोक्त उद्धरण, "ज्ञान का सर्वोच्च रूप समानुभूति है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने अहंकार से परे दूसरों के अनुभव और संवेदनाओं को

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



समझने का प्रयास करता है”— मानव समझ की प्रकृति के प्रति गहन नैतिक दृष्टि प्रस्तुत करता है।

- ❖ यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि समानुभूति, मात्र बौद्धिक ज्ञान के विपरीत, लोगों और परिस्थितियों की एक गहन एवं अधिक करुणापूर्ण समझ प्रदान करती है।
- ❖ समानुभूति व्यक्तियों को सतही तर्क से आगे बढ़ने, भावनात्मक वास्तविकताओं से जुड़ने और दूसरों के साथ एक सच्चा संबंध विकसित करने में सक्षम बनाती है।

मुख्य भाग:

उद्धरण में निहित प्रमुख अवधारणाएँ।

- ❖ **ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था:** इसका तात्पर्य यह है कि सूचना, तर्क और शैक्षणिक शिक्षा से परे एक श्रेष्ठ प्रकार की समझ का अस्तित्व है।
- ⌚ यह विश्लेषण पर नहीं, बल्कि दूसरों की भावनात्मक एवं अनुभवात्मक वास्तविकताओं को गहराई से समझने की क्षमता पर आधारित है।
- ⌚ ऐसा ज्ञान विवेक, संवेदनशीलता और मानवीय निर्णय क्षमता को बढ़ावा देता है।
- ❖ **समानुभूति:** समानुभूति से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति के अनुभवों को महसूस करने, समझने और साझा करने की क्षमता से है।
- ⌚ यह सहानुभूति (Sympathy) से अलग है, जो केवल दूर से ही किसी की भावनाओं को स्वीकार करती है।
- ⌚ समानुभूति यह मांग करती है कि हम किसी अन्य व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति में प्रवेश करें और उनकी दृष्टि से दुनिया को देखें।
- ⌚ यह करुणा (Compassion), भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional intelligence) और नैतिक व्यवहार (Ethical behaviour) का आधार है।
- ❖ **अपने अहंकार पर अंकुश :** इसका मतलब है अस्थायी रूप से आत्म-केंद्रितता, कठोर विचारों, निर्णयों और बातचीत या दृष्टिकोणों पर हावी होने की इच्छा को छोड़ देना।
- ⌚ अहंकार अक्सर सच्ची समझ को रोकता है, क्योंकि यह केवल अपने दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है।

⌚ अहंकार पर अंकुश लगाने से नम्रता, खुलापन और दूसरों के अनुभवों के प्रति सम्मान के लिये जगह बनती है।

- ❖ **दूसरे के संसार में जीना:** इसका अर्थ है- खुद को किसी अन्य व्यक्ति की परिस्थितियों में रखकर कल्पना करना, उनके भय, आशाएँ, दबाव और सीमाओं को समझना।
- ⌚ इसके लिये गहन श्रवण, नैतिक कल्पना और व्यक्तिगत सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने की इच्छा की आवश्यकता होती है।
- ⌚ किसी अन्य व्यक्ति की परिस्थितियों में खुद को रखकर जीने से लोगों के बीच मजबूत संबंध बनते हैं और पूर्वाग्रह, झगड़े एवं दूसरों के प्रति बेरुखी कम हो जाती है।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता

- ❖ बढ़ता ध्रुवीकरण, असहिष्णुता और सामाजिक विभाजन के कारण सामाजिक सामंजस्य के लिये समानुभूति अनिवार्य हो गई है।
- ❖ डिजिटल युग में तीव्र संचार के साथ-साथ भावनात्मक समझ में कमी भी देखने को मिलती है।
- ❖ समानुभूति संघर्ष की बजाय संवाद, शत्रुता की बजाय सहयोग और बहिष्कार की बजाय समावेशन को बढ़ावा देती है।
- ❖ भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में समानुभूति सहनशीलता, बहुलतावाद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती है।

प्रशासन और लोक सेवाओं में महत्त्व

- ❖ समानुभूति करुणा, सत्यनिष्ठा, न्याय एवं सम्मान जैसे मूल नैतिक मूल्यों को और दृढ़ बनाती है।
- ❖ प्रशासनिक अधिकारियों में समानुभूति के लाभ:
- ⌚ वे नागरिकों की मुश्किलों को समझ पाते हैं जिससे निर्णय अधिक न्यायसंगत बनते हैं।
- ⌚ वे कठोर और यांत्रिक प्रवर्तन से हटकर जन-केंद्रित शासन अपनाते हैं।
- ⌚ राज्य और समाज के बीच दृढ़ विश्वास का विकास होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्रशासनिक उदाहरण:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के बाहर वृद्ध जनों तथा दिव्यांग जनों की लंबी कतार देखकर एक जिला कलेक्टर द्वारा राशन वितरण के समय में बदलाव करना।
- किसी स्थानीय विवाद में पुलिस अधिकारी द्वारा दोनों समुदायों की बात शांतिपूर्वक सुनकर परामर्श देना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना।
- नगर निगम अधिकारी द्वारा बेघर नागरिकों की संरचनात्मक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं के लिये फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंटेशन की अनुमति देना।

निष्कर्ष:

आगे की राह में लोकसेवकों को ध्यान से सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिये, नागरिक-केंद्रित प्रशासन अपनाया चाहिये और कमजोर वर्गों से संवेदनशीलता के साथ संवाद स्थापित करना चाहिये। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामुदायिक सहभागिता और आत्म-चिंतन का प्रशिक्षण प्रशासन में समानुभूति को अंतर्निहित कर सकता है जिससे नीतियाँ अधिक समावेशी एवं समाज अधिक करुणामय बन सकें।

प्रश्न : नैतिक अंतःप्रज्ञा (Moral Intuition) और नैतिक तर्क (Moral Reasoning) मिलकर नैतिक निर्णय (Ethical Judgment) को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, व्याख्या कीजिये। अपने उत्तर को सिविल सेवा के उदाहरणों से स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक अंतःप्रज्ञा और नैतिक तर्क का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- नैतिक अंतःप्रज्ञा और नैतिक तर्क मिलकर नैतिक निर्णय को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विवेचना कीजिये।
- सिविल सेवाओं के उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सार्वजनिक जीवन में नैतिक निर्णय नैतिक अंतर्ज्ञान/अंतःप्रज्ञा और नैतिक तर्क की गतिशील अंतःक्रिया से विकसित होता है। जहाँ नैतिक अंतःप्रज्ञा किसी नैतिक परिस्थिति के प्रति सहज, भावनात्मक रूप से प्रेरित प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं नैतिक तर्क

नियमों, सिद्धांतों एवं परिणामों द्वारा निर्देशित सजग और विवेकी मूल्यांकन को अभिव्यक्त करता है।

साथ में, दोनों मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि जटिल प्रशासनिक स्थितियों में लोक सेवक 'सही' और 'गलत' का आकलन किस प्रकार करते हैं।

मुख्य भाग:

नैतिक अंतःप्रज्ञा की भूमिका

- त्वरित, मूल्य-आधारित प्रतिक्रियाएँ:** नैतिक अंतःप्रज्ञा लोक सेवकों को उन परिस्थितियों में तत्काल नैतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है जिनमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, विशेषकर जब समय की कमी विस्तृत विचार-विमर्श की अनुमति नहीं देती है।
- व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों में निहित:** यह व्यक्ति के पालन-पोषण, नैतिक अभिविन्यास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति को दर्शाता है। इससे अधिकारियों को स्वाभाविक रूप से अपने कार्यों को सामाजिक मानदंडों एवं नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने में सहायता मिलती है।
- लोक प्रशासन में, नैतिक अंतःप्रज्ञा नैतिक निर्णय की मूल प्रेरणा के रूप में कार्य करता है, जो तर्क प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले ही लोक सेवक को संभावित क्षति, अन्याय या नैतिक त्रुटि के प्रति सजग कर देता है।
- उदाहरण:** यदि कोई लोक सेवक, तत्काल चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता वाले किसी नागरिक को अत्यधिक संकट की अवस्था में पाता है, तो वह सहज रूप से तत्काल सहायता को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे जीवन रक्षक हस्तक्षेप में कोई विलंब न हो। इस प्रकार की सहज प्रतिक्रिया मानवीय-केंद्रित शासन को प्रतिपादित करती है तथा अधिकारी की नैतिक संवेदनशीलता को दर्शाती है।

नैतिक तर्क की भूमिका

- विचार-विमर्श और निष्पक्षता:** नैतिक तर्क यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय न्यायसंगत, निष्पक्ष और विधि-अनुरूप हो जिससे केवल भावनाओं या पूर्वाग्रहों से प्रेरित आचरण को रोका जा सके।
- नियमों और परिणामों द्वारा निर्देशित:** इसमें संवैधानिक प्रावधानों, सेवा नियमों, विधिक रूपरेखाओं और

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



दीर्घकालिक प्रभावों के आलोक में विकल्पों का विश्लेषण करना शामिल है।

- ❖ **तर्कसंगत विचार प्रशासनिक अधिकारियों को मनमानी से बचाता है** तथा प्रणालीगत निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, जिससे व्यक्तिगत आचरण संस्थागत नैतिकता और विधि के शासन के साथ संगत रहता है।

🌀 **उदाहरण:** नागरिक की सहायता करते समय अधिकारी नैतिक तर्क का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि राहत सरकारी निधियों या अनुमोदित योजनाओं जैसे विधिक तथा औपचारिक माध्यमों से प्रदान की जाये जिससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही बनी रहे।

अंतःप्रज्ञा और तर्क के बीच अंतःक्रिया

- ❖ **पूरक भूमिकाएँ:** अंतःप्रज्ञा प्रारंभिक नैतिक प्रेरणा प्रदान करती है, जो यह संकेत देती है कि **क्या सही या क्या गलत** प्रतीत होता है जबकि तर्क उस अंतःप्रेरणात्मक प्रतिक्रिया की पुष्टि करता है उसे परिष्कृत करता है या आवश्यकता अनुसार संशोधित करता है।
- ❖ **संतुलन आवश्यक है:** अंतःप्रज्ञा पर अत्यधिक निर्भरता भावनात्मक पूर्वाग्रह या पक्षपात का कारण बन सकती है, जबकि तर्क पर अत्यधिक निर्भरता प्रशासनिक विलंब या नैतिक उदासीनता का कारण बन सकती है।
- ❖ नैतिक निर्णय सबसे मजबूत तब होता है, जब अंतःप्रेरणा और तर्क साथ कार्य करते हैं। अंतःप्रेरणा संवेदनशीलता सुनिश्चित करती है और तर्क उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है जिसके परिणामस्वरूप समग्र और संतुलित निर्णय संभव होते हैं।

सिविल सेवाओं के उदाहरण

- ❖ **भ्रष्टाचार परिदृश्य:**
 - 🌀 **अंतःप्रज्ञा:** यह संकेत देती है कि रिश्तत स्वीकार करना नैतिक रूप से गलत है।
 - 🌀 **नैतिक तर्क:** अधिकारी को साक्ष्य दर्ज करने, उचित माध्यमों से रिपोर्ट करने और विसलब्लोअर प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु मार्गदर्शन देता है ताकि विधिक पालन के साथ उसकी ईमानदारी सुरक्षित रहे।
- ❖ **आपदा प्रबंधन:**
 - 🌀 **अंतःप्रज्ञा:** बाढ़, आग या महामारी जैसी परिस्थितियों में तुरंत जान बचाने हेतु कार्रवाई को प्रेरित करती है।

🌀 **नैतिक तर्क:** दुर्लभ संसाधनों के समतामूलक वितरण, बचाव कार्यों के प्राथमिकता निर्धारण और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

जन शिकायत निवारण:

- 🌀 **अंतःप्रज्ञा:** बेरोजगारी या स्वास्थ्य आपात स्थितियों से प्रभावित नागरिकों के प्रति सहानुभूति जागृत करती है।
- 🌀 **नैतिक तर्क:** यह सुनिश्चित करता है कि राहत विधिक रूप से स्वीकृत, पारदर्शी, संवहनीय हो और किसी भी नियम या निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन न करे।

निष्कर्ष:

सिविल सेवाओं में नैतिक निर्णय सबसे प्रभावी तब होता है जब नैतिक अंतःप्रज्ञा और नैतिक तर्क एक दूसरे के पूरक होते हैं। साथ में, ये लोक सेवकों को ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं जो दयालु होते हुए भी वैध, त्वरित होते हुए भी विवेकपूर्ण हों, जिससे ईमानदारी, जवाबदेही और लोक-विश्वास की उस भावना को सुदृढ़ किया जा सके जो नैतिक तथा प्रभावी शासन की आधारशिला मानी जाती है।

प्रश्न : सुशासन की मूल विशेषताएँ क्या हैं? समालोचनात्मक रूप से मूल्यांकन कीजिये कि भारत में ई-गवर्नेंस पहलों ने पारदर्शिता, दायित्व और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ सुशासन को परिभाषित करते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- ❖ सुशासन की आवश्यक विशेषताओं पर चर्चा कीजिये।
- ❖ भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता बढ़ाने में ई-गवर्नेंस की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- ❖ आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सुशासन का तात्पर्य उस प्रकार की सत्ता-प्रयोग प्रणाली से है जो पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितापूर्ण, समानतामूलक और नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। यह प्रभावी सेवा-प्रदाय सुनिश्चित करता है, लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है और जन-विश्वास को प्रोत्साहित करता है जिससे स्थिर तथा समावेशी समाज की बुनियाद तैयार होती है। भारत में शासन-प्रणाली में सुधार एक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



प्राथमिकता रही है और ई-गवर्नेंस पहल पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं नागरिक सहभागिता बढ़ाने के एक प्रमुख साधन के रूप में उभरी है।

मुख्य भाग:

सुशासन की आवश्यक विशेषताएँ:

- ❖ **पारदर्शिता:** नीतियों, प्रक्रियाओं और निर्णयों का स्पष्ट संप्रेषण ताकि अस्पष्टता और भ्रष्टाचार कम हो सके।
- ❖ **जवाबदेही:** अधिकारी अपने कार्यों और निर्णयों के लिये जवाबदेह होते हैं, जिससे दायित्व सुनिश्चित होता है।
- ❖ **विधि का शासन:** सभी नागरिकों के लिये विधि का समान अनुप्रयोग और उनके अधिकारों का संरक्षण।
- ❖ **सहभागिता:** निर्णय-निर्माण और नीति-निर्माण में नागरिकों की सहभागिता जिससे समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ **प्रभावशीलता और दक्षता:** संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग ताकि गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ समय पर प्रदान की जा सकें।
- ❖ **न्याय तथा समावेशन:** यह सुनिश्चित करता है कि लाभ उपेक्षित और वंचित वर्गों तक पहुँचे।
- ❖ **उत्तरदायी शासन:** शासन की कार्यवाही नागरिकों की आवश्यकताओं का त्वरित समाधान करे।
- ❖ **सम्पत्ति-उन्मुखता:** निर्णय परामर्श तथा संवाद के माध्यम से लिये जाते हैं जिससे विभिन्न हितों में संतुलन बने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिले।



सुशासन को बढ़ावा देने में ई-गवर्नेंस की भूमिका:

ई-गवर्नेंस, सरकारी कार्यप्रणाली, सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता को बेहतर बनाने के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग है। इसका योगदान निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है:

- ❖ **पारदर्शिता:** डिजिटल प्लेटफॉर्म शासन में अस्पष्टता को कम करते हैं।

🌀 उदाहरण के लिये सरकारी निविदाओं हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल प्रक्रियाओं को खुला बनाते हैं और भ्रष्टाचार को कम करते हैं। इसी प्रकार **डिजिटल प्रणाली** नागरिकों को सरकारी द्वारा जारी दस्तावेजों तक ऑनलाइन एक्सेस उपलब्ध कराती है जिससे प्रशासनिक हस्तक्षेप कम होता है।

- ❖ **जवाबदेही:** ICT उपकरण ऑडिट ट्रेल्स और तथा कार्य-निष्पादन निगरानी उपलब्ध कराते हैं।

🌀 DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) जैसी **आधार-सक्षम योजनाएँ** यह सुनिश्चित करती हैं कि **सब्सिडी नियत लाभार्थियों तक पहुँचे** जिससे अधिकारियों को किसी भी अपव्यय या विलंब के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सके।

- ❖ **नागरिक सहभागिता :** डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।

🌀 **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)** नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने तथा उनके समाधान पर नजर रखने में सक्षम बनाती है, जिससे सहभागी शासन को प्रोत्साहन मिलता है।

चुनौतियाँ

- ❖ **डिजिटल डिवाइड:** ग्रामीण तथा हाशिये पर स्थित जनसंख्या के पास प्रायः ICT उपकरणों की पहुँच नहीं होती, जिससे उनकी सहभागिता सीमित हो जाती है।
- ❖ **साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** बढ़ता डिजिटलीकरण संवेदनशील डेटा को जोखिम में डालता है।
- ❖ **परिवर्तन का प्रतिरोध:** प्रशासनिक जड़ता तथा प्रशिक्षण की कमी ई-गवर्नेंस उपकरणों के प्रभावी उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है।
- ❖ **अधूरी एकीकरण प्रक्रिया:** पुरानी प्रणालियाँ तथा खंडित प्लेटफॉर्म प्रणाली की दक्षता को कम कर देते हैं।

आगे की राह:

- ❖ **समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना और डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना चाहिये ताकि समावेश सुनिश्चित हो सके।**

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ नागरिकों की जानकारी की सुरक्षा हेतु डेटा-सुरक्षा कार्यवाहियों को सुदृढ़ करना चाहिये।
- ❖ अधिकारियों और नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग के लिये प्रशिक्षण तथा क्षमता-विकास उपलब्ध कराना चाहिये।
- ❖ पूर्वानुमानित और पूर्वानुमानित के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा-एनालिटिक्स का उपयोग करना चाहिये।

निष्कर्ष:

सुशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-उन्मुखता पर आधारित होता है और ई-गवर्नेंस ने भारत में इन स्तंभों को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है। डिजिटल इंडिया, आधार-सक्षम सेवाओं और CPGRAMS जैसी पहलों ने कार्यकुशलता, नागरिक सहभागिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाया है। हालाँकि डिजिटल एक्सक्लूजन और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है ताकि शासन व्यवस्था वास्तव में समावेशी, सहभागी एवं सुदृढ़ बन सके।

प्रश्न : “सच्ची नीति वही है जिसमें व्यक्ति ‘अच्छा’ अधिक आकर्षक प्रतीत होने पर भी ‘उचित’ का ही चयन करे।” इस कथन पर विचार करते हुए सार्वजनिक जीवन में दायित्व-आधारित कर्तव्यवाद और परिणामवाद-आधारित नैतिकता के बीच अंतर्विरोध की विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ ‘उचित’ को चुनने के बीच की दुविधा के संदर्भ में संक्षेप में बताकर उत्तर प्रस्तुत कीजिये, भले ही ‘अच्छा’ अधिक आकर्षक लगे।
- ❖ कर्तव्य-आधारित (Deontological) नैतिकता और परिणाम-आधारित (Consequentialist) नैतिकता पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- ❖ सार्वजनिक जीवन में संघर्ष की प्रकृति के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दीजिये और संघर्ष के प्रमुख उदाहरण दीजिये।
- ❖ यह तर्क दीजिये कि सार्वजनिक सेवा में ‘उचित’ को प्राथमिकता देना क्यों आवश्यक है।
- ❖ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सार्वजनिक जीवन में अनेक बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ दिखने में लाभकारी विकल्प ‘अच्छा’ प्रतीत होता है, परंतु नैतिक रूप से सही या विधिसंगत विकल्प ‘उचित’ के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित रहता है। वास्तविक नैतिकता तभी प्रकट होती है जब कोई व्यक्ति परिणामों के आकर्षण के बावजूद सिद्धांत-आधारित दायित्वों का पालन करता है। यही तनाव कर्तव्य-आधारित (Deontological) नैतिकता और परिणाम-आधारित (Consequentialist) सोच के बीच के मूलभूत अंतर को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

कर्तव्यपरायण कर्तव्य और परिणामवाद:

- ❖ कर्तव्यपरायण कर्तव्य - ‘उचित कार्य करना’
 - ⌚ इमैनुएल कांट के दर्शन में निहित
 - ⌚ नियमों, नैतिक सिद्धांतों, संवैधानिक मूल्यों के पालन पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - ⌚ उद्देश्य और कर्तव्य परिणाम से अधिक मायने रखते हैं।
 - ⌚ शासन में उदाहरण: विधि का शासन, निष्पक्षता, अखंडता।
- ❖ परिणामवाद - ‘अच्छा कार्य करना’
 - ⌚ उपयोगितावाद (बेंथम, मिल) पर आधारित।
 - ⌚ नैतिकता का आकलन परिणामों, कल्याण, उपयोगिता, दक्षता से किया जाता है।
 - ⌚ सार्वजनिक जीवन में यह आकर्षक है क्योंकि यह त्वरित, दृश्यमान लाभ (जैसे: परियोजना का तेजी से पूरा होना) का वादा करता है।

सार्वजनिक जीवन में संघर्ष की प्रकृति

- ❖ लोक सेवकों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ:
 - ⌚ नियमों का पालन करने से कल्याण में विलंब हो सकता है, लेकिन
 - ⌚ नियमों को तोड़ने/समझौता करने से त्वरित लाभ हो सकता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- इससे एक नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है: उचित (कर्तव्य) बनाम अच्छा (उपयोगिता)।

संघर्ष के उदाहरण:

- विकास बनाम पर्यावरणीय मानदंड**
 - रोजगार और विकास का वादा करने वाली परियोजना किसी अधिकारी को पर्यावरणीय मंजूरी को नजरअंदाज करने के लिये प्रेरित कर सकती है।
 - अच्छा:** रोजगार, स्थानीय समर्थन।
 - उचित कार्य:** कानूनों का पालन, स्थिरता, अंतर-पीढ़ीगत न्याय।
- कल्याणकारी वितरण बनाम वित्तीय नियम**
 - बाढ़ के दौरान तत्काल राहत की आवश्यकता होती है।
 - अच्छा:** बिना दस्तावेज के त्वरित सेवा-प्रदाय।
 - उचित कार्य:** भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उचित प्रक्रिया का पालन करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- प्रदर्शन लक्ष्य बनाम सत्यनिष्ठा**
 - योजना की सफलता दिखाने के लिये डेटा में हेर-फेर करना।
 - अच्छा:** उच्च रेटिंग, सार्वजनिक संतुष्टि।
 - अधिकार:** ईमानदारी, पारदर्शिता।

सार्वजनिक सेवा में 'उचित कार्य करना' क्यों आवश्यक है?

- संवैधानिक नैतिकता सुनिश्चित करना:** लोक सेवक संविधान के न्यासी होते हैं; उनका कर्तव्य विधि के शासन को बनाए रखना है, न कि केवल परिणाम प्राप्त करना।
- दीर्घकालिक सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखता है:** सत्यनिष्ठा-आधारित शासन विश्वसनीयता का निर्माण करता है तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार को कम करता है।
- नैतिक और प्रशासनिक फिसलन को रोकता है:** 'अच्छा' के रूप में उचित ठहराए गए छोटे उल्लंघन बड़े अनैतिक कृत्यों को सामान्य बना सकते हैं।
- निष्पक्षता और पूर्वानुमानशीलता सुनिश्चित करना:** कर्तव्य-आधारित प्रशासन विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है, न कि परिणाम-आधारित मनमानी की।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक जीवन में त्वरित या लाभकारी परिणाम प्राप्त करने का आकर्षण प्रबल हो सकता है, परंतु वास्तविक नैतिक नेतृत्व तभी संभव है जब **कर्तव्य, विधि और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित 'उचित' को प्राथमिकता** दी जाये। जब 'उचित' का मार्गदर्शन 'अच्छे' की प्राप्ति को दिशा देता है, तभी शासन नैतिक, धारणीय और वास्तविक जन-हितकारी बन पाता है। इसलिये, **रॉय टी. बेनेट के अनुसार "हमें सही कार्य करना चाहिये, न कि वह जो आसान हो या लोकप्रिय हो।"**

प्रश्न : "सत्यनिष्ठा कोई क्षणिक आचरण नहीं बल्कि जीवन के सूक्ष्म निर्णयों से विकसित होने वाली परिष्कृत प्रवृत्ति है।" अरस्तू की सदगुण-नैतिकता के दृष्टिकोण से यह विवेचना कीजिये कि सूक्ष्म निर्णय किस प्रकार व्यक्ति के नैतिक चरित्र का निर्माण करते हैं। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सत्यनिष्ठा के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- अरस्तू के सदगुण नैतिकता का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- अखंडता को आकार देने में सूक्ष्म-निर्णयों की भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सत्यनिष्ठा को प्रायः एक बड़े नैतिक गुण के रूप में देखा जाता है, परंतु वस्तुतः यह अनगिनत सूक्ष्म निर्णयों से विकसित होती है, वे छोटे और अदृश्य चुनाव जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है। अरस्तू की 'सदगुण-नैतिकता' इस बात को समझने का एक महत्वपूर्ण कार्यवाही प्रदान करती है कि ये छोटे निर्णय किसी व्यक्ति के चरित्र एवं उसकी नैतिक प्रवृत्ति को किस प्रकार आकार देते हैं।

मुख्य भाग:

अरस्तू का सदगुण नैतिकता:

अरस्तू के अनुसार:

- सदगुण बार-बार किये गए कार्यों से विकसित होने वाली आदतें हैं। चरित्र (आचार) का निर्माण कभी-कभार किये गए वीरतापूर्ण

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



कार्यों से नहीं, बल्कि सही आचरण के निरंतर अभ्यास से होता है।

- ❖ नैतिकता चरम सीमाओं के बीच 'स्वर्णिम मध्य' (जैसे: कायरता और उतावलेपन के बीच साहस) को चुनने में निहित है।
- ❖ सद्गुणी व्यवहार तब स्वाभाविक हो जाता है जब उसे प्रशिक्षण, अभ्यास और जानबूझकर किये गए चुनाव के माध्यम से आत्मसात कर लिया जाता है।
- 🌀 इस प्रकार, सत्यनिष्ठा नैतिक रूप से सही निर्णयों की पुनरावृत्ति के माध्यम से विकसित होती है, न कि अलग-अलग कार्यों के माध्यम से।

शुचिता को आकार देने में सूक्ष्म निर्णयों की भूमिका

- ❖ छोटे-छोटे विकल्प आंतरिक नैतिक शक्ति का निर्माण करते हैं: जब भी कोई व्यक्ति छोटे-छोटे मामलों में सत्यनिष्ठा का चुनाव करता है (जैसे: अतिरिक्त छुट्टे लौटाना, छोटी-छोटी गलतियों को स्वीकार करना) तो वह अपने आंतरिक नैतिक स्वभाव को सुदृढ़ बनाता है।
- ❖ इन अनदेखे कार्यों से सच्चाई की आदत बनती है।
- ❖ अदृश्य कृत्य बड़ी दुविधाओं में व्यवहार को निर्धारित करते हैं: जब किसी व्यक्ति को बड़े नैतिक संकटों का सामना करना पड़ता है, तो वह प्रायः आकस्मिक नैतिक अनुभूतियों के बजाय अंतर्निहित आदतों पर भरोसा करता है।
- ❖ सूक्ष्म निर्णय नैतिक प्रशिक्षण की भांति कार्य करते हैं, जो व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारियों के लिये तैयार करते हैं।
- ❖ पुनरावृत्ति सचेत प्रयास को चरित्र में परिवर्तित करती है: अरस्तू के अनुसार, निर्णयों का लगातार पुनरावृत्ति—
- 🌀 नैतिक व्यवहार को स्वचालित बना देता है
- 🌀 व्यक्ति के भावों को भी गुण के अनुकूल कर देता है जिससे उसे सही कार्य करने में आनंद आने लगता है
- 🌀 चरित्र को स्थिरता प्रदान करता है
- 🔍 इस प्रकार, सत्यनिष्ठा व्यक्ति का स्वभाव बन जाती है।
- ❖ सामान्य आचरण में अनुशासन नैतिक पतन को रोकता है: छोटी नैतिक चूकें—जैसे: मामूली झूठ या छोटे सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग ही चरित्र को धीरे-धीरे नष्ट कर देती हैं।

- ❖ इसके विपरीत, अनुशासन के छोटे-छोटे कार्य क्रमिक नैतिक पतन को रोकते हैं, ठीक वैसा ही जैसा अरस्तू कहते हैं कि अवगुण भी बार-बार गलत कार्य करने से ही बनते हैं।

निष्कर्ष

बताती है कि नैतिक चरित्र जन्मजात नहीं होता, बल्कि यह आदतों के माध्यम से विकसित होता है। जब व्यक्ति बार-बार 'उचित' का चयन करता है (विशेषकर उन छोटी और अनदेखी स्थितियों में) तब वही निर्णय उसके चरित्र को ऐसा बनाते हैं जो दवाब की परिस्थितियों में भी नैतिक व्यवहार बनाए रख सके। इस प्रकार सत्यनिष्ठा का वास्तविक आधार दैनिक सूक्ष्म-निर्णयों में निहित होता है।

प्रश्न : "एक सिविल सेवक की सफलता उसकी संज्ञानात्मक क्षमता से अधिक उसकी भावनात्मक दक्षता पर निर्भर करती है।" क्या आप सहमत हैं? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ लोक सेवाओं में भावनात्मक दक्षता और संज्ञानात्मक क्षमता को परिभाषित करें।
- ❖ वास्तविक उदाहरणों के साथ समझाएं कि भावनात्मक दक्षता प्रभावी प्रशासन को कैसे बढ़ावा देती है।
- ❖ संज्ञानात्मक कौशल की सहायक भूमिका को संक्षेप में स्वीकार करें।
- ❖ निष्कर्ष यह निकलता है कि सार्वजनिक सेवा में सफलता में भावनात्मक दक्षता प्रायः निर्णायक कारक बन जाती है।

परिचय:

लोक सेवक जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में कार्य करते हैं, जहाँ लिये गये निर्णयों का विभिन्न और विविध हितधारकों पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि नीति-निर्माण के लिये संज्ञानात्मक क्षमता (Cognitive Ability)— जैसे: ज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल और तार्किक विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु भावनात्मक दक्षता (Emotional Competence)— जैसे: आत्म-जागरूकता, सहानुभूति, स्व-नियमन एवं सामाजिक कौशल प्रायः प्रभावी क्रियान्वयन,

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



संघर्ष-प्रबंधन व नैतिक निर्णय-निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसलिये वास्तविक प्रशासनिक परिस्थितियों में केवल संज्ञानात्मक क्षमता (CA) की अपेक्षा भावनात्मक दक्षता (EC) अधिक निर्णायक सिद्ध होती है।

मुख्य भाग:

लोक प्रशासन में भावनात्मक दक्षता का महत्त्व अधिक है।

- ❖ **जनता की शिकायतों का निपटान और नागरिकों के साथ संवाद:** सिविल सेवकों को प्रतिदिन ऐसे नागरिकों से संवाद करना पड़ता है, जो असंतोष, क्रोध अथवा मानसिक पीड़ा की स्थिति में होते हैं।
- 🌀 **उदाहरण:** उदाहरण के लिये, भूमि अधिग्रहण विवाद के दौरान कोई जिला कलेक्टर यदि विस्थापित परिवारों की बात धैर्यपूर्वक सुनता है, उनके प्रति सहानुभूति दिखाता है और पुनर्वास योजनाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता है, तो वह उस अधिकारी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होता है, जो केवल विधिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करता है। भावनात्मक दक्षता विश्वास-निर्माण करती है और अंतर्विरोध को कम करती है।
- ❖ **संकट एवं आपदा प्रबंधन:** बाढ़, महामारी, दुर्घटना जैसी आपदाओं के दौरान शांत रहने, टीमों का समन्वय करना और जनता को आश्वस्त करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
- 🌀 **उदाहरण:** कोविड-19 के दौरान जिला स्तरीय प्रतिक्रिया का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों ने टीमों को प्रेरित रखने, जनता के भय को नियंत्रित करने और प्रवासी संकट का मानवीय समाधान खोजने में उच्च भावनात्मक दक्षता (EC) का प्रदर्शन किया। यह दर्शाता है कि केवल संज्ञानात्मक क्षमता मानवीय पीड़ा का प्रबंधन नहीं कर सकती; भावनात्मक दक्षता करुणामय और प्रभावी निर्णय-निर्माण को संभव बनाती है।
- ❖ **टीमों का प्रबंधन और सेवा आपूर्ति में सुधार:** अधिकांश प्रशासनिक परिणाम विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्य पर निर्भर करते हैं।
- 🌀 **उदाहरण:** उदाहरण के लिये, कोई पुलिस अधीक्षक यदि अधीनस्थों को प्रेरित करता है, उनके तनाव को समझता है

और आंतरिक विवादों का समाधान करता है, तो पुलिस की कार्यकुशलता एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है। भावनात्मक दक्षता मनोबल को सुदृढ़ करती है और कार्य-तनाव को कम करती है, जो पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व प्रशासन जैसे उच्च-दबाव वाले क्षेत्रों के लिये एक आवश्यक शर्त है।

- ❖ **राजनीतिक और सामाजिक दबावों का प्रबंधन:** लोक सेवकों को प्रायः राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानीय सत्ता के शक्ति-संतुलन और सामुदायिक संवेदनशीलताओं का सामना करना पड़ता है।
- 🌀 **उदाहरण:** कोई जिला मजिस्ट्रेट यदि विधिक दायित्वों के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों से कूटनीतिक संवाद बनाकर चलता है, तो कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक सुचारु होता है। भावनात्मक परिपक्वता अंतर्विरोध से बचाती है और सत्यनिष्ठा से समझौता किये बिना नीति-निरंतरता सुनिश्चित करती है।
- ❖ **नैतिक निर्णय निर्माण:** भावनात्मक दक्षता/बुद्धिमत्ता नैतिक साहस, वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और निष्पक्षता को प्रोत्साहित करती है।
- 🌀 **उदाहरण:** कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के चयन के समय कोई अधिकारी यदि सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताओं को समझते हुए राजनीतिक दबाव का प्रतिरोध करता है, तो लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुँच पाता है। इस प्रकार भावनात्मक दक्षता नैतिक मूल्यों को प्रशासनिक विवेक से जोड़ने में सहायक होती है।
- ❖ **संघर्ष समाधान और वार्ता:** लोक सेवकों को प्रायः परस्पर विरोधी समूहों— किसान बनाम उद्योग, श्रमिक बनाम प्रबंधन, समुदाय बनाम प्रशासन के बीच मध्यस्थता करनी पड़ती है।
- 🌀 **उदाहरण:** विरोध प्रदर्शनों/आंदोलनों के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अपनाया गया सहानुभूतिपूर्ण एवं संवाद-आधारित दृष्टिकोण, बल-प्रयोग की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से तनाव को कम करता है। भावनात्मक दक्षता हितधारकों की भावनाओं को समझने और संतुलित समाधान तैयार करने में सहायक होती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



संज्ञानात्मक क्षमता की भूमिका - आज भी महत्वपूर्ण है

- ❖ संज्ञानात्मक क्षमता नीतियों के प्रारूपण, विधि की व्याख्या, आँकड़ों के विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिये अनिवार्य है।
- ❖ यह तर्कसंगत निर्णय-निर्माण और प्रशासनिक योजना बनाने के लिये आवश्यक बौद्धिक आधार प्रदान करती है।
- ❖ हालाँकि, वास्तविक परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करने के लिये भावनात्मक दक्षता के बिना केवल संज्ञानात्मक कौशल अपर्याप्त सिद्ध होते हैं।
- ❖ सहानुभूति, धैर्य या भावनात्मक स्व-नियमन से वंचित अधिकारी, उच्च बौद्धिक क्षमता के बावजूद नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाते।
- ❖ अतः सफल लोक-सेवा के लिये संज्ञानात्मक क्षमता के साथ-साथ भावनात्मक दक्षता का समन्वय होना आवश्यक है।

निष्कर्ष

यद्यपि भावनात्मक दक्षता और संज्ञानात्मक क्षमता—दोनों आवश्यक हैं, परंतु वास्तविक प्रशासनिक सफलता इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि लोक सेवक जनता के साथ किस प्रकार संवाद और व्यवहार करते हैं, न कि केवल इस पर कि वे कितना जानते हैं। भावनात्मक दक्षता विश्वास-निर्माण, संघर्ष-निवारण, नैतिक आचरण और मानवीय शासन को संभव बनाती है, जो एक लोक-सेवक के लिये अपरिहार्य गुण हैं। इस प्रकार, भावनात्मक दक्षता प्रायः वह निर्णायक गुण बन जाती है, जो प्रशासनिक ज्ञान को प्रभावी एवं नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवा में रूपांतरित करती है।

प्रश्न : करुणा से रहित नवोन्मेष शोषण को जन्म देता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निगरानी तकनीकों तथा डिजिटल एकाधिकारों के युग में तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्रों को डिजिटल उपनिवेशीकरण की प्रवृत्ति रोकने तथा विश्व-स्तर पर न्यायसंगत तकनीकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कौन-से नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिये? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ❖ करुणा से रहित नवोन्मेष के विचार की व्याख्या कीजिये तथा डिजिटल उपनिवेशवाद से इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिये।
- ❖ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निगरानी और डिजिटल एकाधिकार में प्रमुख नैतिक चिंताओं का अभिनिर्धारण कीजिये।
- ❖ तकनीकी रूप से उन्नत देशों को जिन नैतिक सिद्धांतों (समता, पारदर्शिता, डेटा सॉवरेनिटी तथा उत्तरदायित्व) का पालन करना चाहिये, उनकी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये।
- ❖ एक न्यायपूर्ण डिजिटल भविष्य के लिये करुणापूर्ण, मानव-केंद्रित और समावेशी तकनीकी विकास का महत्व बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कथन— “करुणा से रहित नवोन्मेष शोषण को जन्म देता है।” आज के डिजिटल युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), निगरानी उपकरण तथा प्लेटफॉर्म एकाधिकार वैश्विक शक्ति-संरचनाओं को आकार दे रहे हैं। यद्यपि प्रौद्योगिकी अवसरों का लोकतंत्रीकरण कर सकती है, परंतु इसका अनियमित और लाभ-प्रेरित प्रयोग ‘डिजिटल उपनिवेशवाद’ के नये रूप उत्पन्न कर सकता है, जिसमें तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र कम विकसित देशों में निर्णय-निर्माण, डेटा फ्लो तथा डिजिटल अवसंरचना पर प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं।

मुख्य भाग:

डिजिटल उपनिवेशीकरण: उभरती नैतिक चिंताएँ

- ❖ AI पक्षपात और एल्गोरिदम असमानता: पश्चिमी या प्राइवेट डेटासेट पर प्रशिक्षित AI मॉडल प्रायः नस्लीय, लैंगिक तथा सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करते हैं।
- 🌀 उदाहरण: चेहरे की पहचान प्रणालियाँ अफ्रीकी तथा एशियाई चेहरों की पहचान में अधिक त्रुटियाँ करती हैं, जिससे भेदभावपूर्ण पुलिसिंग तथा निगरानी को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ निगरानी पूंजीवाद और स्वायत्तता का क्षरण: तकनीकी दिग्गज व्यवहार और उपभोक्ता विकल्पों को प्रभावित करने के लिये डेटा एक्सट्रैक्शन का उपयोग करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- 🌀 उदाहरण: कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण ने यह उजागर किया कि लक्षित प्रोफाइलिंग के माध्यम से विभिन्न देशों में राजनीतिक मतों को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है।
 - ❖ **डिजिटल एकाधिकार और अवसंरचनात्मक निर्भरता:** कुछ ही कंपनियाँ क्लाउड सेवाओं, ऐप स्टोर, भुगतान और सोशल मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करती हैं। कुछ गिनी-चुनी कंपनियाँ क्लाउड सेवाओं, ऐप स्टोर्स, भुगतान प्रणालियों तथा सोशल मीडिया इको-सिस्टम्स पर नियंत्रण रखती हैं।
 - 🌀 उदाहरण: विदेशी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पर अत्यधिक निर्भर अफ्रीकी देशों को डेटा स्थानीयकरण की चुनौतियों तथा रणनीतिक स्वायत्तता के नुकसान के जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
 - ❖ **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक असमान अभिगम्यता:** क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G/6G तथा AI चिप्स जैसी उच्च-लागत तकनीकें कुछ उन्नत देशों तक सीमित हैं, जिससे विकासात्मक असमानताएँ और भी बढ़ती जा रही हैं।
- तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्रों द्वारा अपनाये जाने योग्य नैतिक सिद्धांत**
- ❖ **मानव-केंद्रित और करुणामय नवोन्मेष:** प्रौद्योगिकियों को लाभ या भू-राजनीतिक शक्ति से ऊपर मानव गरिमा, कल्याण और अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिये।
 - 🌀 उदाहरण: यूरोपीय संघ का AI अधिनियम मानवीय पर्यवेक्षण पर बल देता है और सोशल स्कोरिंग जैसे हानिकारक AI प्रयोगों पर प्रतिबंध लगाता है।
 - ❖ **डिजिटल जस्टिस और समानता:** राष्ट्रों को ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिये जो प्रौद्योगिकी तक निष्पक्ष अभिगम्यता सुनिश्चित करें तथा डिजिटल विभाजन को बढ़ाने के बजाय उसे न्यूनतम करने का कार्य करें।
 - 🌀 किफायती वैश्विक इंटरनेट पहलों को प्रोत्साहन
 - 🌀 विकासशील देशों के साथ ओपन-सोर्स AI सॉल्यूशन्स का साझा करना।
 - ❖ **पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता:** ऋण, पुलिसिंग, स्वास्थ्य सेवा जैसे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने वाले एल्गोरिदम पारदर्शी एवं ऑडिट योग्य होने चाहिये।

- 🌀 उदाहरण: ओपन एल्गोरिदम ऑडिट विकासशील लोकतंत्रों में भेदभावपूर्ण AI तैनाती को रोक सकते हैं।
- ❖ **जवाबदेही और दायित्व:** देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हानिकारक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली कंपनियाँ दुरुपयोग, डेटा उल्लंघन अथवा AI-जनित क्षति के लिये जिम्मेदार हों।
- 🌀 प्रौद्योगिकी निर्यात के लिये अनिवार्य मानवाधिकार प्रभाव आकलन।
- ❖ **डेटा सॉवरेनिटी का सम्मान:** विकासशील देशों को अपने नागरिकों द्वारा उत्पन्न डेटा का स्वामित्व और विनियमन करने का अधिकार होना चाहिये।
- 🌀 स्थानीय डेटा केंद्रों, संप्रभु क्लाउड अवसंरचना तथा वैश्विक मानकों (GDPR-सदृश) के अनुरूप निजता कानूनों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिये।
- ❖ **नैतिक प्रौद्योगिकी अंतरण और निष्पक्ष सहयोग:** उन्नत देशों को तकनीकी-साम्राज्यवादी प्रथाओं से बचना चाहिये और इसके बजाय क्षमता निर्माण का समर्थन करना चाहिये।
- 🌀 उदाहरण: भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) साझेदारियों (UPI, CoWIN) एक सहयोगात्मक, समानता-समर्थक मॉडल का प्रदर्शन करती हैं।
- ❖ **निगरानी उपकरणों के निर्यात से बचना:** स्पाइवेयर अथवा दमनकारी निगरानी उपकरणों का निर्यात वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुँचाता है।
- 🌀 Pegasus जैसे स्पाइवेयर प्रकरण सख्त निर्यात नियंत्रणों की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

निष्कर्ष

न्यायसंगत डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने के लिये प्रौद्योगिकी को एक भू-राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि एक वैश्विक जनहित साधन के रूप में देखा जाना चाहिये। ध्यान केंद्रित अर्थव्यवस्था (Attention Economy) से आगे बढ़कर समानुभूति केंद्रित अर्थव्यवस्था (Empathy Economy) की ओर संक्रमण आवश्यक है, ताकि डिजिटल क्रांति अंतिम छोर के उपयोगकर्ता (अंत्योदय) को सशक्त कर सके।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



निबंध

प्रश्न : “प्रबंधन का अर्थ है कार्यों को सही ढंग से करना; नेतृत्व का अर्थ है सही कार्य करना।” (1200 शब्द)

परिचय:

वर्ष 1962 में, राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी के NASA परिसर के औपचारिक दौर के दौरान, वे फर्श साफ कर रहे एक सफाईकर्मी के पास रुके। जब उससे पूछा गया कि वो क्या कर रहा है, तो उस सफाईकर्मी ने उत्तर दिया, “मैं एक मानव को चंद्रमा पर पहुँचाने में सहायता कर रहा हूँ।”

इस विनम्र उत्तर ने नेतृत्व एवं प्रबंधन के उस समन्वय को स्पष्ट रूप से दर्शाया, जिसमें नेतृत्व ने ऐसा सशक्त दृष्टिकोण प्रदान किया कि एक सफाईकर्मी भी स्वयं को उसका अभिन्न अंग समझे, किंतु प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक प्रक्रिया (चाहे वह कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो) उस दृष्टिकोण को साकार करने हेतु प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित की जाए।

यह प्रसंग पीटर ड्रुकर की उस महत्वपूर्ण समझ को अत्यंत सुंदर ढंग से स्पष्ट करता है—“*Management is doing things right; leadership is doing the right things.*” प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि किसी संगठन का प्रत्येक घटक प्रभावशील रूप से कार्य करे, किंतु नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि वे सभी प्रयास किसी सार्थक लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। सफलता के लिये दोनों अनिवार्य हैं—एक साधन प्रदान करता है, जबकि दूसरा दिशा देता है।

मुख्य भाग:

मुख्य अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए

❖ प्रबंधन का अर्थ

- ❶ यह योजना बनाने, संगठन तैयार करने, कर्मचारियों की नियुक्ति करने, कार्यों का निर्देशन करने तथा सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने से संबंधित है।
- ❷ यह दक्षता, स्थिरता तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर केंद्रित है।

❶ यह नियमों, पदानुक्रम, तथा मापनीय परिणामों द्वारा मार्गदर्शित होता है।

❷ उदाहरण: एक जिला कलेक्टर द्वारा MGNREGA परियोजनाओं को समय पर पूरा करवाना प्रबंधकीय दक्षता को दर्शाता है।

❖ नेतृत्व का अर्थ

❶ इसमें दृष्टिकोण, प्रेरणा, नैतिक मार्गदर्शन तथा रणनीतिक दूरदर्शिता शामिल होती है।

❷ यह नैतिक तथा सामाजिक रूप से सही कार्य करने पर केंद्रित होता है, भले ही वह कठिन क्यों न हो।

❸ अक्सर इसमें जोखिम उठाना और नवाचार शामिल होता है।

❷ उदाहरण: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने प्रेरणा और नैतिक दृढ़ विश्वास के माध्यम से नेतृत्व किया, जिससे लोग केवल प्रक्रियाओं का पालन करने से परे जाकर सक्रिय रूप से कार्य करने के लिये प्रेरित हुए।

नेतृत्व और प्रबंधन में अंतर

पहलू	प्रबंधन (सही तरीके से कार्य करना)	नेतृत्व (सही कार्य करना)
केंद्रितता	प्रक्रिया और दक्षता	दृष्टिकोण और उद्देश्य
दृष्टिकोण	प्रतिक्रियाशील और प्रशासनिक	सक्रिय और रूपान्तरणकारी
ओरिएंटेशन	लघुकालीन परिणाम	दीर्घकालीन लक्ष्य
नैतिक आधार	नियमों का पालन	मूल्यों और सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित
उदाहरण	सरकारी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना	बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये पुराने नियमों में सुधार करना

पारस्परिक निर्भरता: नेतृत्व और प्रबंधन का परस्पर पूरक होना

❖ दोनों विरोधी होने की बजाय परस्पर सशक्त करने वाले होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ प्रभावी शासन या संगठन के लिये ऐसे नेता आवश्यक हैं, जो प्रबंधन कर सकें और ऐसे प्रबंधक आवश्यक हैं, जो नेतृत्व कर सकें।

❖ उदाहरण:

🌀 सरदार वल्लभभाई पटेल ने प्रबंधकीय कौशल (रियासतों का एकीकरण) को नेतृत्व दृष्टि (राष्ट्रीय एकता) के साथ जोड़ा।

🌀 सिविल सेवकों को नवाचार हेतु नेतृत्व और नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये प्रबंधन प्रदर्शित करना आवश्यक है।

नैतिक पहलू

❖ नेतृत्व में अक्सर नैतिक साहस शामिल होता है — सुविधाजनक विकल्प की बजाय 'सही कार्य' का चयन करना।

❖ प्रबंधन प्रक्रियाओं की अखंडता सुनिश्चित करता है, यानी 'सही ढंग से कार्य करना।'।

❖ उदाहरण:

🌀 एक नेता, जो पूरे सिस्टम में दबाव होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार से दूर रहता है, सही कार्य करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

🌀 एक प्रबंधक, जो पारदर्शी तरीके से निविदा प्रक्रिया लागू करता है, सही ढंग से कार्य करने का उदाहरण पेश करता है।

सार्वजनिक प्रशासन और शासन में अनुप्रयोग

❖ नीति-निर्माण बनाम क्रियान्वयन: नेतृत्व यह तय करता है कि कौन-सी नीति अपनाई जाए (जैसे- सतत् विकास), जबकि प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि उस नीति को सही एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

❖ संकट प्रबंधन: आपदा के समय नेतृत्व यह दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिये और शांतिपूर्ण दिशा देता है, जबकि प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि सभी संसाधन और कार्य सही ढंग से समन्वित एवं व्यवस्थित हों।

❖ नैतिक शासन: नेतृत्व विश्वास पैदा करता है, जबकि प्रबंधन जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

समसामयिक उदाहरण

❖ नेतृत्व:

🌀 जैसिंडा आर्दर्न का क्राइस्टचर्च त्रासदी के दौरान करुणामय नेतृत्व।

🌀 महात्मा गांधी का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नैतिक नेतृत्व।

❖ प्रबंधन:

🌀 डिजिटल इंडिया और आधार योजना का कार्यान्वयन, जिसके लिये मजबूत प्रशासनिक दक्षता आवश्यक है।

❖ दोनों का समन्वय:

🌀 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सामाजिक नवाचारों में नेतृत्व करते हैं, जैसे- महाराष्ट्र के जलयुक्त शिवार अभियान में जल संरक्षण करना।

दोनों के संतुलन में चुनौतियाँ

❖ प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने से प्रशासनिक जड़ता उत्पन्न हो सकती है।

❖ नेतृत्व पर ज्यादा जोर देने से अच्छे विचार तो सामने आते हैं, किंतु उन्हें लागू करने में कठिनाई होती है।

❖ आधुनिक शासन को प्रबंधकीय जवाबदेही के साथ अनुकूलनीय नेतृत्व की आवश्यकता है।

आगे की राह

❖ सार्वजनिक सेवाओं में नैतिक और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ प्रबंधकीय क्षमता का विकास करना चाहिये।

❖ नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को एकीकृत करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों (जैसे- मिशन कर्मयोगी) को बढ़ावा देना चाहिये।

❖ शासन में सहभागी निर्णय-निर्माण, नवाचार और नैतिक चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिये।

निष्कर्ष:

प्रबंधन कार्यों की दक्षता और सुव्यवस्था बनाए रखता है, जबकि नेतृत्व हमें सही दिशा एवं उद्देश्य दिखाता है। प्रबंधन देखता है कि काम कैसे किये जा रहे हैं, वहीं नेतृत्व यह तय करता है कि कौन-से काम क्यों और किसलिये किये जाने चाहियें। असली सफलता दोनों का संतुलित उपयोग करने में है — प्रबंधन के अनुशासन के साथ नेतृत्व

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



की समझ। जैसा कि पीटर ड्रकर कहते हैं, प्रगति सिर्फ “काम सही ढंग से करने” में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में है कि हम हमेशा “सही काम कर रहे हों।”

प्रश्न : “वह समाज जो अपने सिद्धांतों से अधिक अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है, वह शीघ्र ही दोनों से वंचित हो जाता है।” (1200 शब्द)

परिचय:

वर्ष 1776 में, जब अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा तैयार की, तब **बेंजामिन फ्रैंकलिन** ने अपने साथी क्रांतिकारियों को चेतावनी दी, “हम सभी को साथ रहना चाहिये, अन्यथा निश्चय ही हम सभी अलग-अलग फाँसी पाएँगे।” उनकी चेतावनी केवल एकता के संबंध में नहीं थी, बल्कि **व्यक्तिगत विशेषाधिकारों से ऊपर साझा सिद्धांतों को प्राथमिकता देने के** महत्व पर भी थी। यदि संस्थापकों ने स्वतंत्रता और न्याय की बजाय सत्ता या धन का पीछा किया होता, तो उनकी स्वतंत्रता का संघर्ष विफल हो जाता।

यह कालजयी शिक्षा **आइज़नहावर** के शब्दों में भी गूंजती है कि जो समाज विशेषाधिकारों को सिद्धांतों से ऊपर मानते हैं, अंततः दोनों ही खो देते हैं। भौतिक संपत्ति, अधिकार या स्वतंत्रताएँ उस नैतिक आधार के बिना टिक नहीं सकतीं, जो उन्हें अर्थ प्रदान करता है।

मुख्य भाग

मूल अवधारणाओं की समझ

- ❖ **विशेषाधिकार:** विशेषाधिकार उन अधिकारों, लाभों या सुविधाओं को दर्शाते हैं, जिनको व्यक्ति या समूह प्राप्त करते हैं, जैसे- अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक शक्ति।
 - 🌀 जहाँ विशेषाधिकार प्रगति का संकेत देते हैं, वहीं वे **ज़िम्मेदारी और संयम** की भी मांग करते हैं।
 - 🌀 जब व्यक्तिगत स्वार्थ सामूहिक कल्याण पर हावी हो जाता है, तो विशेषाधिकार **हकदारी** में बदल जाता है, जिससे सामाजिक विश्वास क्षीण होता है।
- ❖ **सिद्धांत:** सिद्धांत वे **नैतिक और वैधानिक नियम** हैं, जो मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, जैसे- सत्य, न्याय, समानता और ईमानदारी।

- ❖ वे यह निर्धारित करते हैं कि विशेषाधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिये। सिद्धांतों के बिना, विशेषाधिकार नैतिक वैधता खो देते हैं और शोषण या भ्रष्टाचार के साधन बन जाते हैं।

विशेषाधिकार और सिद्धांत के बीच अंतर्संबंध

- ❖ विशेषाधिकार और सिद्धांत **एक ही सिक्के के दो पहलू** हैं।
- ❖ सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि विशेषाधिकार नैतिक रूप से प्रयोग किये जाएँ।
- ❖ **विशेषाधिकार** व्यक्तियों को उन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- ❖ जब यह संतुलन टूट जाता है, तो **स्वतंत्रता अव्यवस्था बन जाती है** और अधिकारों का **दुरुपयोग होने लगता है**। केवल तब जब विशेषाधिकार मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित होते हैं, वे प्रगति और सामंजस्य को बनाए रख पाते हैं।

ऐतिहासिक उदाहरण

- ❖ **रोमन साम्राज्य का पतन:** रोमन गणराज्य, जो कभी नागरिक गुणों पर आधारित था, तब ध्वस्त हो गया, जब नागरिकों और नेताओं ने कर्तव्य की अपेक्षा विलासिता को प्राथमिकता दी।
 - 🌀 सिद्धांत के बिना विशेषाधिकार नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और विनाश को जन्म देते हैं — यह साबित करता है कि **राजनीतिक पतन से पहले नैतिक पतन होता है**।
- ❖ **फ्राँसीसी क्रांति:** फ्राँस के अभिजात वर्ग को व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि वे गरीबों के दुःख-दर्द की पूरी तरह अनदेखी करते थे।
 - 🌀 उनकी नैतिक अंधता ने विद्रोह और गिलोटिन को जन्म दिया।
 - 🌀 न्याय और समानता के सिद्धांतों को नज़रअंदाज करने में, उन्होंने अपनी शक्ति और जीवन दोनों खो दिये।
- ❖ **भारत का स्वतंत्रता संग्राम:** इसके विपरीत, **महात्मा गांधी** का नेतृत्व बदले की भावना और विशेषाधिकारों की बजाय **सत्य और अहिंसा** के सिद्धांतों का प्रतीक बना।
 - 🌀 नैतिकता को सुविधावाद से ऊपर रखकर भारत ने स्वतंत्रता और नैतिक अधिकार दोनों प्राप्त किये। यह इस बात का प्रमाण है कि **सिद्धांत स्थायी विशेषाधिकार प्रदान करते हैं**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
माँड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



समसामयिक प्रासंगिकता

- ❖ **राजनीतिक क्षेत्र:** आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग यह दर्शाते हैं कि जब विशेषाधिकार सिद्धांतों पर हावी हो जाते हैं, तब क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं।
- 🌀 राजनीतिक पद, जिसका अर्थ सार्वजनिक सेवा है, अक्सर व्यक्तिगत हकदारी बन जाता है। नैतिकता का हास लोकतंत्र और शासन में विश्वास, दोनों को कमजोर करता है।
- ❖ **आर्थिक एवं कॉर्पोरेट नैतिकता:** वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने यह उजागर किया कि अनियंत्रित लालच (अर्थात जिम्मेदारी के बिना विशेषाधिकार) किस प्रकार अर्थव्यवस्थाओं को विनष्ट कर सकता है।
- 🌀 वास्तविक प्रगति के लिये **नैतिक पूंजीवाद** आवश्यक है, जहाँ लाभ पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जुड़ा हो।
- ❖ **पर्यावरणीय जिम्मेदारी:** जलवायु संकट यह दर्शाता है कि मानवता ने **स्थिरता** के सिद्धांत की कितनी उपेक्षा की है।
- 🌀 अल्पकालिक सुख-सुविधाओं के लिये प्रकृति का दोहन करके हम वर्तमान विशेषाधिकारों और भविष्य में अस्तित्व दोनों को खोने का जोखिम उठाते हैं।

नैतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण

- ❖ सिविल सेवकों के लिये सत्ता एक **पवित्र न्यास** है, न कि व्यक्तिगत अधिकार। जब इसे **सत्यनिष्ठा**, **निष्पक्षता** और **समानुभूति** के साथ प्रयोग किया जाता है, तो यह लोकतंत्र को मजबूत करता है।
- ❖ दुरुपयोग करने पर, यह विश्वसनीयता को नष्ट कर देता है।
- ❖ **मिशन कर्मयोगी** जैसी प्रशिक्षण पहलें प्रशासनिक विशेषाधिकार को नैतिक दायित्व के साथ संरेखित करने का प्रयत्न करती हैं, ताकि शासन व्यवस्था जन-केंद्रित तथा सिद्धांतनिष्ठ बनी रहे।

आगे की राह

- ❖ **नैतिक शिक्षा:** प्रारंभिक शिक्षा से ही नागरिक तथा नैतिक मूल्य समाहित किये जाएँ।
- ❖ **संस्थागत उत्तरदायित्व:** विशेषाधिकार के दुरुपयोग को रोकने हेतु पारदर्शिता को अनिवार्य किया जाए।

- ❖ **उदाहरण द्वारा नेतृत्व:** नेताओं का नैतिक आचरण सामाजिक सत्यनिष्ठा को प्रेरित करता है।
- ❖ **नागरिकों का दायित्व:** लोकतंत्र को बनाए रखने के लिये अधिकारों को कर्तव्यों के साथ संतुलित किया जाए।

निष्कर्ष

विशेषाधिकार का वास्तविक महत्त्व तभी स्थापित होता है, जब वह सिद्धांतों पर आधारित हो। कोई भी समाज यदि सुविधा अथवा शक्ति के लिये नैतिकता का त्याग कर देता है, तो वह न केवल नैतिक वैधता, बल्कि भौतिक स्थिरता भी गँवा सकता है। वास्तविक महानता धन अथवा अधिकार में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में निहित होती है, जो इनके **परे दीर्घकाल तक सुनिश्चित रहते हैं।**

जैसा कि आइज़नहावर ने हमें याद दिलाया, **“जो लोग अपने सिद्धांतों से ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्त्व देते हैं, वे जल्द ही दोनों को खो देते हैं।”** किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वह किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रश्न : जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं जानते कि धर्म क्या है। (1200 शब्द)

परिचय:

23 सितंबर 1931 को लंदन के गिल्डहाउस चर्च में एक भाषण में महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक मिशन पर विचार करते हुये कहा:

“हालाँकि सभी को बाहरी रूप से मेरा मिशन पॉलिटिकल लगता है, लेकिन इसकी जड़ें, यदि मुझे ऐसा कहने की अनुमति हो, तो आध्यात्मिक हैं। मैं मानता हूँ कि मेरी राजनीति नैतिकता, अध्यात्म और धर्म से अलग नहीं है। जो व्यक्ति सत्य और ईश्वर की खोज करता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ सकता, और अपने अनुभवों से मैंने समझा है कि समाज की सेवा के लिये राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।”

“जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, वे धर्म के वास्तविक अर्थ को नहीं जानते।” गांधी के लिये धर्म केवल कर्मकाण्ड, संप्रदाय या व्यक्तिगत आस्था भर नहीं था, बल्कि एक नैतिक दिशा-निर्देशक था जो न्याय, नैतिक आचरण और

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



लोककल्याण का मार्गदर्शन करता है। राजनीति उनके लिये उन मूल्यों— सत्य, अहिंसा और मानव सेवा को समाज में लागू करने का स्वाभाविक माध्यम बन गयी।

मुख्य भाग :

धर्म का व्यापक दार्शनिक अर्थ

- ❖ धर्म का मतलब केवल आस्था या रीति-रिवाज नहीं है।
- ❖ यह मूल्य, करुणा, नैतिक कर्तव्य, आचरण-संहिता, न्याय, निःस्वार्थता, सेवा और सामाजिक समरसता को भी समाहित करता है।
- ❖ गांधी ने धर्म को 'नैतिकता के व्यवहारिक रूप' के रूप में देखा।
- ❖ विवेकानंद ने धर्म को आध्यात्मिक मानववाद माना।
- ❖ अंबेडकर ने धर्म को समानता और न्याय की सामाजिक शक्ति के रूप में समझा।

राजनीति पर धर्म का ऐतिहासिक प्रभाव

- ❖ प्राचीन भारत: अशोक का धम्म बौद्ध सिद्धांतों से प्रेरित था जिसने अहिंसा, करुणा, न्याय और लोककल्याण आधारित नीतियाँ विकसित कीं।
- ❖ मध्यकालीन भारत: भक्ति और सूफी आंदोलन ने समावेशी तथा समानताधर्मी सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया।
- ❖ भारत का स्वाधीनता संघर्ष: गांधी ने सत्य और अहिंसा का आधार धार्मिक नैतिकता से लिया।
- ❖ वैश्विक उदाहरण:
 - ⌚ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ईसाई नैतिक मूल्यों द्वारा नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया।
 - ⌚ नेल्सन मंडेला की राजनीति अफ्रीकी नैतिक दर्शन 'उंबटू' से प्रेरित थी।

धर्म द्वारा राजनीति का मार्गदर्शन बनाम धर्म का राजनीतिकरण

- ❖ धर्म का राजनीति पर प्रभाव का मतलब है:
 - ⌚ सत्ता पर नैतिक संयम स्थापित करना
 - ⌚ करुणा, न्याय और समानता को बढ़ावा देना
 - ⌚ नेताओं को अंतःकरण और मूल्यों के माध्यम से मार्ग-दर्शन करना

⌚ लोककल्याण तथा सामाजिक सुधार का प्रेरक बनना

- ❖ दूसरी ओर, धर्म के राजनीतिकरण का मतलब है:
 - ⌚ वोटों के लिये धर्म का शोषण
 - ⌚ भय, घृणा और 'हम बनाम वो' की मानसिकता पैदा करना
 - ⌚ सांप्रदायिकता और कट्टरपंथ को बढ़ावा देना।

भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में धर्म का राजनीति को आकार देना

- ❖ सकारात्मक योगदान:
 - ⌚ सत्य, अहिंसा और सद्भाव जैसे मूल्य नेताओं तथा मतदाताओं को प्रभावित करते हैं।
 - ⌚ दान, सेवा और समुदाय-समर्थन जैसी परंपराएँ कल्याणकारी नीतियों को आकार देती हैं।
 - ⌚ अस्पृश्यता उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री-शिक्षा जैसे सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार-आंदोलन से प्रेरित रहे हैं।
- ❖ नकारात्मक पहलू (सावधान करने योग्य पक्ष):
 - ⌚ सांप्रदायिक हिंसा, ध्रुवीकरण और वोट-बैंक की राजनीति
 - ⌚ पहचान-आधारित राजनीति जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करती है
 - ⌚ बंधुत्व के लिये खतरा, जो संविधान के मूल भावनाओं में से एक है।

संवैधानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण

- ❖ भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल विशिष्ट है:
- ❖ यह धर्म को परे नहीं रखता, बल्कि सभी पंथों का समान आदर सुनिश्चित करता है।
- ❖ राज्य सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है— जब धर्म अधिकारों का हनन करे तो राज्य हस्तक्षेप करता है और जब धर्म लोककल्याण को बढ़ावा देता है तो राज्य समर्थन देता है।

वैश्विक संदर्भ में नैतिक राजनीति

- ❖ स्कैंडिनेवियाई देशों की राजनीति प्रोटेस्टेंट नैतिकता और समानता के मूल्यों को दर्शाती है।
- ❖ जापान की राजनीतिक संस्कृति शिंतो-बौद्ध सद्भाव के मूल्यों से बनी है।
- ❖ दलाई लामा आध्यात्मिकता और वैश्विक शांति के राजनीतिक पक्षधर हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सस



IAS करेंट
मांड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



समालोचनात्मक मूल्यांकन

- ❖ धर्म नैतिक मार्गदर्शक भी बन सकता है और संघर्ष का कारण भी।
- ❖ राजनीति में नैतिक आधार की आवश्यकता होती है, किंतु धार्मिक वर्चस्व से बचना अनिवार्य है।
- ❖ धार्मिक मूल्यों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, परंतु धर्म को विधि निर्धारित करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।
- ❖ अंतर-धार्मिक संवाद, संवैधानिक नैतिकता और संस्थागत सुदृढ़ता बढ़ाना आवश्यक है।
- ❖ नेतृत्व मूल्य-आधारित होना चाहिये, पहचान-आधारित नहीं।
- ❖ हेट स्पीच, भ्रामक सूचना और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर कठोर नियंत्रण होना चाहिये।

निष्कर्ष:

धर्म यदि नैतिक, मानवीय एवं आध्यात्मिक अर्थों में समझा जाये तो राजनीति से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वही राजनीतिक कार्रवाई को मूल्य, दिशा और नैतिक विवेक प्रदान करता है। धर्म-विहीन राजनीति केवल शक्ति-संघर्ष बन सकती है जबकि नैतिकता-आधारित राजनीति न्याय, समानता, लोककल्याण और सामाजिक समरसता की आधारशिला रखती है। गांधी ने स्पष्ट किया कि “समाज की सच्ची सेवा के लिये राजनीति का मार्गदर्शन आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से होना चाहिये ताकि धर्म विभाजन का नहीं बल्कि नैतिक नेतृत्व का स्रोत बने।”

प्रश्न : बुद्धिमत्ता सही मार्ग को जानना है; ईमानदारी उस मार्ग पर चलना है। (1200 शब्द)

परिचय:

वर्ष 1975 में युवा प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्य करते हुए भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी को तिहाड़ जेल में सुधारों का प्रस्ताव रखने पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हालाँकि वह जानती थीं कि कैदियों के लिये शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी मानवीय, सुधार-उन्मुख प्रैक्टिस शुरू करना सही कदम था, लेकिन उन्हें लागू करने का मतलब था गहन राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक प्रतिरोध और सामाजिक संदेह का सामना करना।

तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने इन सुधारों को लागू किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि ‘बुद्धिमत्ता सही मार्ग की पहचान करना है, और ईमानदारी (सत्यनिष्ठा) उस मार्ग पर चलना है, भले ही वह मार्ग कठिन हो या नापसंद हो।’

मुख्य भाग :**बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा का संबंध****❖ एक-दूसरे के पूरक गुण:**

🌀 **बुद्धिमत्ता:** उचित तथा नैतिक निर्णय-पथ का अभिनिर्धारण करने में सहायता करती है।

🌀 **सत्यनिष्ठा:** यह सुनिश्चित करती है कि अभिनिर्धारित किया गया मार्ग व्यवहार में भी उतनी ही दृढ़ता से अपनाया जाये।

- ❖ सत्यनिष्ठा के बिना बुद्धिमत्ता केवल सैद्धांतिक बनकर रह जाती है और बुद्धिमत्ता के बिना सत्यनिष्ठा गलत दिशा में प्रयुक्त हो सकती है।
- ❖ दोनों मिलकर नैतिक निर्णय-निर्माण की आधारशिला बनाते हैं।

प्रशासन एवं सार्वजनिक जीवन से उदाहरण

- ❖ **सरदार वल्लभभाई पटेल:** रियासतों के एकीकरण में दूरदर्शी बुद्धिमत्ता तथा उसके दृढ़ क्रियान्वयन में सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन।
- ❖ **किरण बेदी:** प्रशासनिक प्रतिरोध के बावजूद कारागार सुधारों को लागू किया, जो दूरदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा दोनों का उदाहरण है।
- ❖ **डॉ. भीमराव अंबेडकर:** संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय की अनुशंसा की, जो उनकी दूरदर्शिता का द्योतक है और विपरीत परिस्थितियों में भी उसके निरंतर अनुसरण ने उनकी सत्यनिष्ठा को सिद्ध किया।
- ❖ **कॉर्पोरेट क्षेत्र:** वित्तीय लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्तियों के बावजूद नैतिक व्यावसायिक आचरण को लागू करने वाले नेतृत्व इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

शासन तथा नेतृत्व में महत्त्व

- ❖ दूरदर्शिता/बुद्धिमत्ता दीर्घकालिक परिणामों को समझने तथा नैतिक दुविधाओं का मूल्यांकन करने में सहायक होती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **सत्यनिष्ठा:** सत्यनिष्ठा निर्णयों को ईमानदारी से लागू करने में सहायक होती है जिससे **जन-विश्वास, उत्तरदायित्व और सामाजिक न्याय** सुदृढ़ होता है।
- ❖ **नैतिक नेतृत्व से नीतियाँ अधिक प्रभावी बनती हैं, विधि का सम्मान बढ़ता है और समाज का समग्र कल्याण होता है।**
- ❖ इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा सार्वजनिक विश्वास के ह्रास की ओर ले जाती है।

बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा के पालन में चुनौतियाँ

- ❖ राजनीतिक तथा सामाजिक दबाव समझौतों के लिये विवश करते हैं।
- ❖ अल्पकालिक लाभ तथा दीर्घकालिक नैतिक दायित्वों में अंतर्विरोध।
- ❖ संस्थागत समर्थन का अभाव या प्रतिक्रिया का भय।
- ❖ सही निर्णय पर अडिग रहने से प्रतिष्ठा, पद या सुरक्षा को जोखिम पहुँचने की संभावना।

आगे की राह

- ❖ **शिक्षा:** नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षेत्र में नैतिक तर्क, निर्णय-क्षमता तथा आचार-प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- ❖ **संस्थागत समर्थन:** RTI, जवाबदेही प्रणालियाँ तथा लोकपाल जैसी व्यवस्थाएँ सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करती हैं।
- ❖ **व्यक्तिगत विकास:** नैतिक रूप से कार्य करने के लिये साहस, धैर्य तथा आत्म-अनुशासन का विकास आवश्यक है।
- ❖ **जन-जागरूकता:** समाज द्वारा नैतिक कार्यों का समर्थन उनकी प्रभावशीलता और वैधता को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

सत्यनिष्ठा के बिना बुद्धिमत्ता अधूरी है और बुद्धिमत्ता के बिना सत्यनिष्ठा दिशाहीन हो सकती है। वास्तविक नेतृत्व, प्रशासन और नैतिक आचरण तभी विकसित होते हैं जब व्यक्ति न केवल सही मार्ग की पहचान करता है, बल्कि सही मार्ग को अपनाने का साहस और अनुशासन भी रखता है।

प्रशासनिक तथा सार्वजनिक जीवन में इससे नीतियाँ प्रभावी होती हैं, न्याय की प्रतिष्ठा होती है और जनता का विश्वास सुदृढ़ बनता है।

जैसा कि **जे. सी. वॉट्स** ने कहा है: “चरित्र का वास्तविक रूप वही है जिसमें व्यक्ति वह सही कार्य करे जिसे कोई देख भी न रहा हो, परंतु अंतरात्मा देख रही हो।”

अतः **बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा** का संयोग परिवर्तनकारी, नैतिक और आदर्श नेतृत्व की वास्तविक नींव है।

प्रश्न : हर वह चीज़ जिससे हमारा सामना होता है, बदली नहीं जा सकती, लेकिन जब तक उसका सामना न किया जाए, तब तक कुछ बदला भी नहीं जा सकता। (1200 शब्द)

परिचय:

वर्ष 1984 में जब वांगारी माथाई ने केन्या के एक उजड़े हुए गाँव में पेड़ लगाना शुरू किया तो लोगों ने उनका उपहास किया। वनों की कटाई, मृदा अपरदन और महिलाओं की दैनंदिन कठिनाइयों जैसी समस्याएँ इतनी गंभीर मानी जाती थीं कि किसी एक व्यक्ति के लिये उन्हें बदल पाना असंभव समझा जाता था। किंतु **माथाई का विश्वास** था कि **समस्या का सामना करना**, भले ही वह केवल एक पौधा लगाने भर से क्यों न हो, **परिवर्तन की दिशा में सार्थक कदम** है। आगे चलकर उनके ‘**ग्रीन बेल्ट मूवमेंट**’ ने हज़ारों महिलाओं को संगठित किया, करोड़ों वृक्षों को पुनर्स्थापित किया और अंततः उन्हें **नोबेल शांति पुरस्कार** दिलाया। परिदृश्य एक दिन में नहीं बदला और न ही समस्त पारिस्थितिक क्षति की भरपाई हो सकी। परंतु रूपांतरण तभी आरंभ हुआ जब उन्होंने संकट का सामना करने का निर्णय लिया न कि उसे नज़रअंदाज़ करने का।

यह छोटा-सा साहसिक कदम उस गहरे सत्य को अभिव्यक्त करता है कि **अनेक चुनौतियाँ व्यापक, जटिल या धीमी गति से परिवर्तनीय हो सकती हैं किंतु उनका सामना करना परिवर्तन की दिशा में प्रथम और अनिवार्य चरण है।** समस्याएँ इसलिये अनसुलझी नहीं रहती कि वे असंभव हैं बल्कि इसलिये अनसुलझी रह जाती हैं कि समाज, सरकारें और व्यक्ति प्रायः उनका सामना करने से बचते हैं।

मुख्य भाग: कथन का दार्शनिक सार

- ❖ “हर वह चीज़ जिससे हमारा सामना होता है, बदली नहीं जा सकती”

🌀 कुछ समस्याएँ संरचनात्मक, गहन या लंबे समय से जड़ जमाए हुए होती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
मांड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



परिवर्तन धीमा, आंशिक या व्यक्तिगत नियंत्रण से परे हो सकता है।

उदाहरण: जलवायु परिवर्तन की जड़ता, गरीबी के चक्र, प्रशासनिक प्रतिरोध, सामाजिक पूर्वाग्रह।

“लेकिन जब तक इसका सामना नहीं किया जाता, तब तक कुछ भी नहीं बदला जा सकता”

नैतिक साहस, पहल तथा उत्तरदायित्व की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रगति तभी संभव है जब व्यक्ति तथा समाज असहज सत्य को स्वीकार करते हैं।

उदाहरण: ‘मी टू’ आंदोलन, भ्रष्टाचार-विरोधी सुधार, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई, वैज्ञानिक खोजें।

कुछ समस्याओं को आसानी से क्यों नहीं बदला जा सकता ?

संरचनात्मक सामाजिक मुद्दे: गहराई से निहित और धीरे-धीरे परिवर्तित होने वाले मुद्दे, जैसे: जाति-भेद अथवा पितृसत्ता।

प्रशासनिक बाधाएँ: व्यापक भ्रष्टाचार अथवा प्रशासनिक जड़ता, जिनके लिये दीर्घकालिक संस्थागत सुधार आवश्यक होते हैं।

व्यक्तिगत प्रतिकूलताएँ: दीर्घकालिक रोग, शोक या अपरिवर्तनीय हानि, जिन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता या पूर्णतः बदला नहीं जा सकता।

परिवर्तन तभी शुरू होता है जब समस्याओं का सामना किया जाता है

सामाजिक आंदोलन

सिविल राइट्स मूवमेंट (अमेरिका): दशकों तक भेदभाव बना रहा परंतु वास्तविक परिवर्तन तभी आया जब अन्याय का खुलकर सामना किया गया।

जाति-विरोधी आंदोलन (भारत): अंबेडकर की लड़ाई ने विधिक और सामाजिक संरचनाओं को तभी बदला जब उत्पीड़न को सहस्रपूर्वक निडर होकर स्वीकार किया गया।

शासन और सार्वजनिक नीति

RTI अधिनियम: पारदर्शिता का सुधार तब शुरू हुआ जब नागरिकों ने प्रशासनिक अस्पष्टता को चुनौती दी।

स्वच्छ भारत मिशन: खुले में शौच को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में स्वीकार करने के बाद ही भारत में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया।

निर्भया आंदोलन: लैंगिक हिंसा पर सुधारों को गति तब मिली जब समाज को कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा।

पर्यावरणीय मुद्दे

ओजोन संकट: जब देशों ने वैज्ञानिक चेतावनियों को स्वीकार किया तभी वैश्विक कार्रवाई शुरू हुई।

दिल्ली में वायु प्रदूषण: न्यायिक हस्तक्षेप और सार्वजनिक दबाव के बाद ही चरणबद्ध कार्ययोजनाएँ लागू की गईं।

मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत विकास आयाम

आघात, विफलता या कमजोरियों में तभी सुधार होता है जब उन्हें सचेत रूप से स्वीकार किया जाता है।

नेतृत्व का आधार है असुविधाजनक प्रतिक्रिया को स्वीकार करने की योग्यता।

मैरी कॉम जैसे स्पोर्ट्स चैंपियनों ने अपनी कमियों को नज़रअंदाज़ करके नहीं, बल्कि उनका सामना करके सुधार किया।

सीमाएँ:

कुछ समस्याएँ प्रयास के बावजूद बनी रहती हैं:

गांधी समस्त अस्पृश्यता समाप्त नहीं कर सके, परंतु उसका सामना करने से स्थायी नैतिक परिवर्तन हुआ।

गरीबी-निवारण नीतियाँ गरीबी को तुरंत समाप्त नहीं कर सकती, परंतु करोड़ों लोगों को इससे धीरे-धीरे ऊपर उठाती हैं।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई सभी प्रकार की क्षति की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन इसका सामना करने से विनाशकारी परिणामों से बचा जा सकता है।

निष्कर्ष:

यह सूक्ति हमें स्मरण कराती है कि परिवर्तन टालने से नहीं बल्कि साहसिक सहभागिता से जन्म लेता है। प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम असुविधाजनक यथार्थों का सामना करते हैं भले ही परिणाम

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



अनिश्चित हों। अनेक चुनौतियाँ तत्काल समाधान का प्रतिरोध कर सकती हैं, किंतु उनका सामना करना संवाद, सुधार तथा नैतिक उन्नयन के लिये आवश्यक मार्ग खोलता है। शासन और जीवन, दोनों में, प्रगति उन्हीं की होती है जो स्पष्टता एवं दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करते हैं। अंततः, स्वीकृति परिवर्तन की दिशा में प्रथम और अनिवार्य कदम है।

प्रश्न : उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक अवकाश होता है। उसी अवकाश में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति निहित होती है। (1200 शब्द)

परिचय:

नाज़ी यातना शिविरों में बिताए अपने वर्षों के दौरान, मनोचिकित्सक **विक्टर फ्रैंकल** ने यह अवलोकन किया कि यद्यपि कैदियों से हर प्रकार की स्वतंत्रता छीन ली गयी थी, एक स्वतंत्रता बरकरार रही — अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। क्रूरताओं के बीच भी कुछ कैदियों ने करुणा को चुना और अपनी आखिरी रोटी बाँट ली। फ्रैंकल ने बाद में लिखा कि “**उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक ‘स्पेस (अंतराल)’ होता है**” — एक ऐसा अंतराल जहाँ मानवीय गरिमा, विवेक और चरित्र का निवास होता है। यह अंतर्दृष्टि एक गहन सत्य को चित्रित करती है: हालाँकि हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, परंतु हम यह अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उसी ठहराव में हमारा नैतिक बल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता तथा व्यक्तिगत मुक्ति निहित होती है।

मुख्य भाग:

मनोवैज्ञानिक आधार:

❖ यह ‘स्पेस’ भावनात्मक संयम का प्रतिनिधित्व करता है, जो आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के स्थान पर विचारशील कार्रवाई की संभावना प्रदान करता है।

🌀 **उदाहरण:** किसी गंभीर जटिलता की स्थिति में शल्य चिकित्सक का शांत रहकर निर्णय करना बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है।

नैतिक तथा चारित्रिक आयाम:

❖ यह ठहराव व्यक्ति को अपने मूल्यों, विवेक तथा कर्तव्य के अनुरूप आचरण करने में सक्षम बनाता है।

🌀 **उदाहरण:** दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय अपमान का सामना करने के बाद गाँधी ने प्रतिशोध के स्थान पर अहिंसा का मार्ग चुना।

प्रशासनिक प्रासंगिकता

❖ लोक प्रशासन में यह संयम अत्यंत आवश्यक है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को जन-दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आपदा-स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने से पहले विवेकपूर्ण ठहराव रखना होता है।

🌀 **उदाहरण:** एक जिलाधिकारी द्वारा संवाद के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव को शांत करना, क्योंकि बल-प्रयोग से स्थिति और बिगड़ सकती थी।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता:

❖ यह ‘स्पेस (अंतराल)’ सहानुभूति, धैर्य तथा सुनने की क्षमता को विकसित करता है तथा संघर्षों की स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकता है।

🌀 **उदाहरण:** बंधक स्थितियों को सुलझाने के लिये वार्ताकार शांतिपूर्ण संचार का उपयोग करते हैं।

व्यक्तिगत धैर्य व अनुकूलनशीलता:

❖ विचारपूर्वक दी गयी प्रतिक्रियाएँ व्यक्तियों को तनाव, संघर्ष तथा असफलताओं का रचनात्मक ढंग से प्रबंधन करने में सहायता करती हैं।

🌀 **उदाहरण:** एम.एस. धोनी जैसे खिलाड़ी दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर नियंत्रित प्रतिक्रिया की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं।

समकालीन प्रासंगिकता:

❖ सोशल मीडिया के युग में त्वरित प्रतिक्रियाएँ प्रायः गलत सूचना, भ्रम, घृणा तथा भावनात्मक आवेग को जन्म देती हैं, जबकि प्रतिक्रिया से पहले ठहराव इन जोखिमों को रोकता है।

🌀 **उदाहरण:** अंतर्राष्ट्रीय विवादों में राजनयिकों द्वारा सार्वजनिक बयानबाजी से बचते हुए स्थिति को शांत रखना।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



विपरीत दृष्टिकोण:

❖ सभी परिस्थितियाँ लंबे समय तक चिंतन करने का अवसर नहीं देतीं, परंतु अभ्यास और प्रशिक्षण ऐसी स्वाभाविक विवेकपूर्ण प्रतिक्रियाएँ विकसित कर देते हैं जो त्वरित निर्णयों में मार्गदर्शन करती हैं।

🌀 **उदाहरण:** अग्निशामक कर्मी अनुशासन तथा अनुभव के आधार पर क्षणभर में निर्णय लेते हैं।

निष्कर्ष

अंततः उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच स्थित यह 'स्पेस' मानव स्वतंत्रता का वह आंतरिक कक्ष है जहाँ चरित्र तथा नियति, दोनों का निर्माण होता है। जब व्यक्ति, नेता तथा समाज ठहरकर, विचारकर तथा विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करना सीख जाते हैं, तब आवेग के स्थान पर नैतिकता और अराजकता के स्थान पर स्पष्टता विकसित होती है। इस 'स्पेस' में निपुण होकर हम न केवल अपने निर्णयों को ऊँचा उठाते हैं बल्कि अपनी मानवता को भी ऊँचा उठाते हैं। वास्तविक शक्ति संसार की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने में नहीं बल्कि यह चुनने में निहित है कि हम उसे किस प्रकार आकार देंगे — शांतचित्त, सचेत तथा साहसपूर्ण रूप से।

प्रश्न : रेत के एक कण में संसार को देख पाना सरलता की सर्वोच्च उपलब्धि है। (1200 शब्द)

परिचय:

एक वैज्ञानिक ने अपने बचपन की स्मृति साझा करते हुए बताया कि वह समुद्र तट पर घंटों तक सीपियाँ इकट्ठा करता था, परंतु उसे सबसे अधिक विस्मित उस सूक्ष्म रेत-कण ने किया, जिसे उसने आवर्धक लेंस के नीचे देखा। उस छोटे से कण में उसे छिपे हुए प्रतिरूप और एक ऐसा सूक्ष्म संसार दिखाई दिया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह उसके लिये पहला बौद्धिक सबक था कि गहन और सारगर्भित सत्य प्रायः सबसे सरल वस्तुओं में निहित होते हैं। यह अनुभव विलियम ब्लेक के विचार से साम्य रखता है कि 'रेत के एक कण में संपूर्ण विश्व को देख पाना' केवल काव्यात्मक कल्पना नहीं है, बल्कि यह इस तथ्य की ओर संकेत है कि जब सरलता को गहराई से समझा जाता है, तब वही अंतर्दृष्टि, अर्थ और प्रज्ञा (ज्ञान) का प्रवेश-द्वार बन जाती है।

मुख्य भाग:**सरलता एक उन्नत दृष्टि के रूप में**❖ **दार्शनिक व्याख्या:**

- 🌀 सरलता स्पष्टता की ओर ले जाती है; अनावश्यक जटिलताओं से विमुक्त होकर ही यथार्थ का साक्षात्कार संभव होता है।
- 🌀 पूर्वी दर्शन-परंपराएँ, जैसे: बौद्ध और वेदांत दर्शन, आत्मबोध और प्रबोधन के लिये सरल जीवन-पद्धति पर बल देती हैं।

❖ **मनोवैज्ञानिक आयाम:**

- 🌀 सरलता संज्ञानात्मक अधिभार को कम करती है, जिससे अवबोधन की क्षमता और विवेक का विकास होता है।
- 🌀 मानसिक स्पष्टता के माध्यम से व्यक्ति अधिक सूक्ष्म और सार्थक ढंग से वास्तविकता को ग्रहण कर पाता है।

❖ **वैज्ञानिक आयाम:**

- 🌀 महान वैज्ञानिक आविष्कार और सिद्धांत विशाल यथार्थ को अत्यंत सरल सूत्रों में समाहित कर देते हैं।
- 🌀 न्यूटन के नियम— द्रव्यमान-ऊर्जा समतुल्यता ($E=mc^2$) जैसे सिद्धांत इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि सरलता प्रायः सत्य की ओर संकेत करती है।

सरलता ही सफलता क्यों है ?❖ **व्यक्तिगत जीवन और चरित्र:**

- 🌀 मितव्ययी जीवन-शैली, सजग आचरण और भावनात्मक सरलता बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है।
- 🌀 चरित्र में सरलता का अर्थ ईमानदारी, विनम्रता और प्रामाणिकता से है, जो व्यक्ति को आंतरिक स्थिरता प्रदान करती है।

❖ **सृजनात्मकता और नवाचार:**

- 🌀 महान कला साधारण वस्तुओं में भी अनंत अर्थ खोज लेती है, जैसा कि टैगोर या वान गॉग की कृतियों में दृष्टिगोचर होता है।
- 🌀 इसी प्रकार नवाचार भी जटिल समस्याओं के लिये सरल, सुरुचिपूर्ण और प्रभावी समाधान खोजने से ही विकसित होता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ नैतिकता और शासन:

- 🌀 सरल नियम और स्पष्ट सिद्धांत जन-विश्वास को सुदृढ़ करते हैं, चाहे वह संवैधानिक नैतिकता हो या गांधीवादी नीतिशास्त्र।
- 🌀 पारदर्शी योजनाएँ और सरल प्रक्रियाएँ सार्वजनिक सेवा-प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाती हैं।

❖ प्रौद्योगिकी और अभिकल्पना:

- 🌀 “सरलता ही परम परिष्कार है” (स्टीव जॉब्स)।
- 🌀 आधुनिक तकनीकी जगत में सहज और उपयोक्ता-अनुकूल डिज़ाइन ने जीवन को व्यापक रूप से रूपांतरित किया है।

❖ समाज और पर्यावरण:

- 🌀 पारिस्थितिक विवेक सरल जीवन-पद्धति में निहित है। संयम और मर्यादा पर आधारित जीवन-शैली से ही सतत विकास संभव होता है।
- 🌀 परंपरागत समुदाय सरल आचरण और प्रथाओं के माध्यम से ब्रह्माण्ड के साथ सामंजस्य स्थापित करते रहे हैं।

विपरीत दृष्टिकोण: अति-सरलता की सीमाएँ या जोखिम

- ❖ अत्यधिक सरलीकरण यथार्थ को विकृत कर सकता है, क्योंकि जटिल समस्याओं के समाधान के लिये सूक्ष्म विवेचन और बहुआयामी दृष्टि आवश्यक होती है।
- ❖ जब जटिलताओं की उपेक्षा की जाती है, तब सतही कथाएँ और लोकलुभावन प्रवृत्तियाँ उभरती हैं।
- ❖ शासन-व्यवस्था में भी अत्यंत सरल समाधान संरचनात्मक कारणों को अनदेखा कर सकते हैं।

‘सरलता की विजय’ का अभिप्राय:

- ❖ वास्तविक सरलता गहन समझ का परिष्कृत सार है, न कि विचारों का अभाव।
- ❖ यह छोटी-छोटी घटनाओं में सार्वभौमिक प्रतिरूपों को पहचानने, विविध ज्ञान को समेकित करने और जीवन में संतुलित बने रहने की क्षमता है।

निष्कर्ष:

अंततः रेत के एक कण में ‘संपूर्ण विश्व को देखने’ की अवधारणा साधारण में असाधारण को पुनः खोजने का आह्वान है।

यह हमें ठहरने, देखने और साधारण यथार्थों में छिपे गहरे सत्यों को समझने के लिये प्रेरित करती है। जटिलता, गति और सूचनाओं के अत्यधिक प्रवाह से भरे वर्तमान युग में, छोटे एवं दैनिक अनुभवों से अर्थ ग्रहण कर पाना एक मौन किंतु महत्वपूर्ण विजय है। सरलता समझ को सीमित नहीं करती, बल्कि उसे परिष्कृत बनाती है। जब मनुष्य लघु वस्तुओं में सौंदर्य, प्रज्ञा और पारस्परिक संबद्धता को पहचानना सीख लेता है, तब वह अधिक स्पष्टता, कृतज्ञता एवं सामंजस्य के साथ जीवन जीना भी सीखता है। इस प्रकार सरलता की विजय जीवन को कम करने में नहीं, बल्कि देखने की हमारी क्षमता को अधिक विस्तृत करने में निहित है।

प्रश्न : सोशल मीडिया ने ध्यान को हथियार बना दिया है; आप जिस पर ध्यान लगाते हैं वही आपको नियंत्रित करता है।
(1200 शब्द)

परिचय:

एक शाम, एक कॉलेज छात्र अपना फोन ‘केवल पाँच मिनट’ के लिये खोलता है, किंतु जब वह पुनः समय देखता है तो एक घंटा बीत चुका होता है। इस दौरान वह सनसनीखेज समाचारों, लक्षित विज्ञापनों और अतिरंजित प्रभावक जीवनशैलियों को देखते-देखते मानसिक रूप से थक चुका होता है। जो प्रक्रिया साधारण सहभागिता से आरंभ हुई थी, वह धीरे-धीरे उसके मनोभाव, विश्वासों और यहाँ तक कि उपभोग निर्णयों को भी प्रभावित करने लगती है। यह छोटी, रोजमर्रा की घटना एक बड़े सत्य को दर्शाती है: डिजिटल युग में, ध्यान सबसे मूल्यवान वस्तु बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल सामग्री होस्ट नहीं कर रहे हैं; वे सक्रिय रूप से मानव ध्यान को पकड़ने, आकार देने और उसका मुद्रीकरण करने के लिये सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। यह हमें विश्लेषण करने के लिये आमंत्रित करता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा ध्यान को ‘हथियार’ बनाया गया है और किस प्रकार व्यक्ति जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह अंततः उनके विकल्पों, भावनाओं एवं विश्वदृष्टि को प्रभावित तथा प्रायः नियंत्रित करना शुरू कर देता है।

मुख्य भाग:

ध्यान के शस्त्रीकरण की अवधारणा को समझना

- ❖ ध्यान अर्थव्यवस्था: इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे मंच उपयोगकर्ताओं को अधिक समय तक संलग्न रखकर राजस्व अर्जित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **एल्गोरिदम मैनीपुलेशन:** वैयक्तिकृत फीड ऐसे कंटेंट दिखाते हैं जो भावनाओं को उत्तेजित करती है तथा क्रोध, इच्छा या आक्रोश जैसी तीव्र भावनाओं को उकसाती है।
- ❖ **उदाहरण:** चुनावों के दौरान वायरल होने वाले राजनीतिक वीडियो बार-बार दिखाई देते हैं क्योंकि एल्गोरिदम विभाजनकारी कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं।

व्यक्तियों पर मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रभाव

- ❖ **ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी:** ऐप्स के बीच बार-बार स्विच करने से गहन एकाग्रता कमजोर हो जाती है।
 ⌚ उदाहरण: अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले दशक में मनुष्यों की औसत ध्यान अवधि में काफी गिरावट आई है।
- ❖ **डोपामाइन-चालित डिज़ाइन:** लाइक, टिप्पणियाँ और अनन्त स्क्रॉल, लत उत्पन्न करने वाले चक्र निर्मित करते हैं।
- ❖ **कुछ छूट जाने का डर (FOMO):** फियर ऑफ मिसिंग आउट की प्रवृत्ति चिंता और बार-बार जाँच करने की आदत को बढ़ाती है।
 ⌚ उदाहरण: सप्ताहांत के 'ट्रेडिंग इवेंट्स' या वायरल चुनौतियाँ उपयोगकर्ताओं को ऐप्स पर वापस लाती हैं।
- ❖ **पहचान का विरूपण:** पहचान-विकृति भी एक प्रमुख समस्या है, जहाँ सजावटी और चयनित छवियाँ अवास्तविक अपेक्षाएँ उत्पन्न करती हैं।
 ⌚ उदाहरण: फिल्टर और इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल किशोरों में शारीरिक बनावट संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं।

संज्ञानात्मक विकृतियाँ और सूचना नियंत्रण

- ❖ **इको चैंबर्स और पुष्टिकरण पूर्वाग्रह:** उपयोगकर्ता केवल वही देखते हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों के अनुरूप होता है।
 ⌚ उदाहरण: सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों या राजनीतिक बहसों के दौरान, विरोधी पक्षों को सच्चाई के बिल्कुल अलग-अलग संस्करण मिलते हैं।
- ❖ **गलत सूचनाओं का प्रसार:** भावनात्मक रूप से आवेशित फर्जी खबरें तथ्यों की तुलना में तेजी से फैलती हैं।
 ⌚ उदाहरण: व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़ हिंसा भड़क उठी।

- ❖ **ध्रुवीकृत सोच:** आक्रोश पर आधारित कंटेंट को सबसे अधिक सहभागिता मिलती है।

सामाजिक ताने-बाने और लोकतंत्र पर प्रभाव

- ❖ **सूक्ष्म स्तर पर लक्षित राजनीतिक विज्ञापन** मतदान के पैटर्न को प्रभावित करते हैं।
 ⌚ उदाहरण: कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाला।
- ❖ **कृत्रिम आक्रोश** समुदायों को विभाजित करता है और विश्वास को नष्ट करता है।
- ❖ चुनावों या राष्ट्रीय संकटों के दौरान **वायरल प्रचार से जनता की धारणा विकृत** हो जाती है।
- ❖ **उपभोक्ता व्यवहार में मैनीपुलेशन:** वैयक्तिकृत विज्ञापन ब्राउज़िंग इतिहास का फायदा उठाते हैं।
 ⌚ उदाहरण: एक उपयोगकर्ता एक बार जूते खोजता है; हफ्तों तक, विज्ञापन विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उसका पीछा करते रहते हैं।

नैतिक चिंताएँ

- ❖ **स्वायत्तता बनाम हेरफेर:** क्या विकल्प वास्तव में हमारे हैं यदि एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि हम क्या देखते हैं?
- ❖ **निजता का हनन:** प्लेटफॉर्म व्यवहार का पूर्वानुमान करने के लिये व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं।
- ❖ **लाभ बनाम कल्याण:** कंपनियाँ स्वस्थ उपयोग से नहीं, बल्कि लत से लाभ उठाती हैं।
- ❖ **अधिकार-आधारित चिंताएँ:** जब उपयोगकर्ता डेटा प्रथाओं को नहीं समझते हैं, तो सहमति सतही हो जाती है।

सकारात्मक आयाम

- ❖ आपदाओं या आपात स्थितियों के दौरान **नागरिक पत्रकारिता**
 ⌚ उदाहरण: केरल में आई बाढ़ के दौरान रियल टाइम अपडेट।
- ❖ **सामाजिक जागरूकता और लामबंदी:** हैशटैग आंदोलनों को सशक्त बनाते हैं (#MeToo)।
- ❖ **रचनाकारों और उद्यमियों के लिये अवसर:** छोटे व्यवसाय वैश्विक दर्शकों तक पहुँचते हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **शैक्षिक कंटेंट:** ऑनलाइन पाठ्यक्रम, व्याख्यात्मक कंटेंट, जन स्वास्थ्य अभियान।

आगे की राह

- ❖ **डिजिटल साक्षरता:** डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ किया जाना चाहिये, ताकि छात्रों को यह समझाया जा सके कि एल्गोरिदम व्यवहार को किस प्रकार आकार देते हैं।
- ❖ **सख्त डेटा विनियमन:** डेटा संरक्षण हेतु कठोर विनियमन आवश्यक है, जिसमें DPDP अधिनियम जैसे कानूनों को मजबूत करना शामिल है।
- ❖ **एल्गोरिदम पारदर्शिता:** एल्गोरिदमिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिये, जिससे उपयोगकर्ताओं को यह ज्ञात हो कि उन्हें कोई कंटेंट क्यों दिखाया जा रहा है।
- ❖ **नैतिक डिज़ाइन:** नैतिक डिज़ाइन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जैसे समय-सीमा, फ्रिक्शन-बेस्ड डिज़ाइन और ऑटो-प्ले में कमी।
- ❖ **सचेत उपयोग:** सचेत उपयोग को अपनाना आवश्यक है, जिसमें डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन-मुक्त समय शामिल हों।
- 🌀 उदाहरण: कई कार्यस्थलों द्वारा अधिसूचना-मुक्त समय की व्यवस्था इसी दिशा में एक पहल है।

निष्कर्ष:

ऐसे विश्व में जहाँ डिजिटल मंच मानव एकाग्रता के लिये तीव्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ध्यान शक्ति की नई मुद्रा बन चुका है। व्यक्ति ऑनलाइन जिन विषयों का बार-बार उपभोग करता है, वे धीरे-धीरे उसकी भावनाओं, निर्णयों और पहचान को आकार देते हैं। इसलिये आत्म-जागरूकता और सचेत सहभागिता स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण साधन बन जाते हैं। तकनीकी विकास और मानवीय स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये प्रणालीगत सुधार एवं व्यक्तिगत अनुशासन दोनों का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। दार्शनिक दृष्टि से मानव अनुभव उसी दिशा में विकसित होता है, जिस पर वह अपना ध्यान केंद्रित करता है। जैसा कि दार्शनिक विलियम जेम्स ने लिखा है, **“मेरा अनुभव वह है जिस पर मैं ध्यान देने के लिये सहमत होता हूँ।”**

आज की चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि यह निर्णय मनुष्य स्वयं ले, न कि एल्गोरिदम।

प्रश्न : वास्तविक खोज-यात्रा नये परिदृश्यों की तलाश में नहीं बल्कि नए दृष्टिकोण धारण करने में निहित होती है।

आपके निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- ❖ **विलियम ब्लेक:** “रेत के एक कण में दुनिया और एक जंगली फूल में स्वर्ग को देखना, अपनी हथेली में अनंतता को थामना और एक क्षण में शाश्वतता को अनुभव करने जैसा है।”
- ❖ **एनाइस निन:** “हम वस्तुओं को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम स्वयं हैं।”
- ❖ **महात्मा गांधी:** “जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वह बदलाव आप स्वयं बनें।”

(यह कथन इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि बाह्य परिवर्तन से पूर्व आंतरिक परिवर्तन आवश्यक है।)

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- ❖ **ज्ञानमीमांसा और बोध (Epistemology and Perception):**
 - 🌀 **इमैनुअल कांट का दर्शन** का दर्शन यह प्रतिपादित करता है कि हम संसार का अनुभव अपनी मानसिक संरचनाओं के माध्यम से करते हैं; इन संरचनाओं में परिवर्तन होने पर हमारी वास्तविकता की अनुभूति भी बदल जाती है।
 - 🌀 **निर्माणवाद (Constructivism)** का तर्क है कि ‘सत्य’ और ‘खोज’ प्रायः बाह्य खोज न होकर आंतरिक बोध एवं अनुभूति का परिणाम होती हैं।
- ❖ **दृष्टि और अंतर्दृष्टि के बीच का अंतर (The Difference Between Sight and Insight):**
 - 🌀 **भारतीय दर्शन में दर्शन का अर्थ** केवल किसी देवता या सत्य को “देखना” नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्योद्घाटन अनुभव करना है जो किसी के विश्वदृष्टिकोण को बदल देता है। भारतीय दर्शन में ‘दर्शन’ का अर्थ केवल किसी देवता या सत्य को देखना नहीं है बल्कि ऐसा अनुभव प्राप्त करना है जो व्यक्ति के विश्वदृष्टिकोण को रूपांतरित कर दे।
 - 🌀 **प्लेटो की गुफा की रूपक कथा:** प्लेटो की ‘गुफा की उपमा (Allegory of the Cave)’ में यात्रा का अर्थ भौतिक रूप से गुफा से बाहर जाना नहीं था बल्कि यह बौद्धिक

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
मांड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



बोध था कि दीवार पर दिखने वाली छायाएँ ही वास्तविकता नहीं हैं।

❖ वैज्ञानिक प्रतिमान परिवर्तन (Scientific Paradigm Shifts):

- ⊙ थॉमस कुह्न की वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना: थॉमस कुह्न की कृति "The Structure of Scientific Revolutions" के अनुसार प्रगति केवल अधिक आँकड़े (परिदृश्य) एकत्र करने से नहीं होती, बल्कि प्रतिमानों (नई दृष्टि) को बदलने से होती है अर्थात् 'नए दृष्टिकोण' से देखने से। उदाहरणस्वरूप न्यूटनियन भौतिकी से क्वांटम यांत्रिकी की ओर संक्रमण।

नीतिगत और ऐतिहासिक उदाहरण:

❖ संसाधनों का पुनर्परिभाषण (Reframing Resources):

- ⊙ जापान का औद्योगिकरण: प्राकृतिक संसाधनों के अभाव (भूदृष्टियों) में जापान ने 'नई दृष्टि' अपनाकर मानव पूँजी एवं प्रौद्योगिकी को अपनी वास्तविक संपदा माना और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा।
- ⊙ इजरायल की कृषि: इजरायल में मरुस्थल को बंजर भूमि मानने के बजाय ड्रिप-सिंचाई जैसी तकनीकी दृष्टि से देखा गया और उसे कृषि योग्य उपजाऊ भूमि में रूपांतरित किया गया।

❖ ऐतिहासिक सामाजिक सुधार:

- ⊙ राजा राम मोहन राय: उन्होंने शास्त्रों को नहीं बदला, बल्कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिये तर्क और मानवता की "नई दृष्टि" से उन्हें देखा।
- ⊙ पुनर्जागरण: पुनर्जागरण की शुरुआत नए भूभागों की खोज से नहीं हुई, बल्कि मानव क्षमता (मानववाद) और शास्त्रीय कलाओं के प्रति एक नए दृष्टिकोण से हुई।
- ⊙ राजा राम मोहन राय: उन्होंने धर्मग्रंथों को बदला नहीं बल्कि तर्क एवं मानवीयता की 'नई दृष्टि' से उनकी व्याख्या की, जिससे सती प्रथा का उन्मूलन संभव हुआ।
- ⊙ पुनर्जागरण (The Renaissance): पुनर्जागरण की शुरुआत नए भू-भागों की खोज से नहीं हुई, बल्कि मानव

क्षमता (मानवतावाद) और शास्त्रीय कलाओं के प्रति एक नए दृष्टिकोण से हुई।

समकालीन उदाहरण:

❖ पर्यावरणीय प्रतिमान (चक्रीय अर्थव्यवस्था):

- ⊙ अपशिष्ट से संपदा: परंपरागत रूप से, अपशिष्ट को त्याज्य वस्तु माना जाता था। चक्रीय अर्थव्यवस्था की 'नई दृष्टि' अपशिष्ट को कच्चे माल के रूप में देखती है, जैसे: प्लास्टिक से सड़कें या ईंधन बनाना।

❖ अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

- ⊙ हिंद-प्रशांत रणनीति: भारतीय महासागर की भौगोलिक स्थिति नहीं बदली बल्कि वैश्विक रणनीतिक दृष्टि बदली, जिसने इसे अलग-अलग महासागरों के बजाय एक एकीकृत भू-राजनीतिक क्षेत्र के रूप में देखा।

❖ सामाजिक न्याय और समावेशन:

- ⊙ दिव्यांगजन: दिव्यांगता को केवल चिकित्सकीय दोष मानने के स्थान पर सामाजिक अधिकारों का विषय मानने की प्रवृत्ति (Social Model of Disability) समावेशन की दिशा में 'नई दृष्टि' का उदाहरण है।

प्रश्न : न्याय मानवता की प्रथम शर्त है।

आपके निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- ❖ मार्टिन लूथर किंग जूनियर: "कहीं भी होने वाला अन्याय हर जगह न्याय के लिये खतरा है।"
- ❖ जॉन रॉल्स: "न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है, जैसे सत्य विचार प्रणालियों का पहला सद्गुण है।"
- ❖ वोले सोयिंका: "न्याय मानवता की पहली शर्त है।" (स्वयं विषय-वाक्य)

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

❖ सामाजिक अनुबंध की नींव:

- ⊙ हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारकों के अनुसार, मनुष्य ने 'प्राकृतिक अवस्था' (अराजकता) से 'सभ्य समाज' (मानवता) की ओर मुख्यतः न्याय एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिये संक्रमण किया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



☉ न्याय के अभाव में समाज 'मत्स्यन्याय' (मछलियों का सिद्धांत, शक्तिशाली दुर्बल को निगल जाता है) की अवस्था में पहुँच जाता है, जहाँ संस्थागत संरक्षण के कमजोर पड़ते ही बलवान वर्ग सत्ता संसाधनों व अधिकारों पर एकाधिकार कर लेता है और कमजोर तबकों का शोषण सामान्य सामाजिक व्यवहार बन जाता है।

❖ नीति बनाम न्याय (अमर्त्य सेन):

☉ 'नीति' का तात्पर्य संगठनात्मक शुचिता और आचरणगत शुद्धता से है, जबकि 'न्याय' का अर्थ वास्तविक और प्रत्यक्ष न्याय से है। मानवता के लिये केवल कानूनों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि अन्याय का वास्तविक उन्मूलन आवश्यक है।

❖ धर्म ब्रह्मांडीय न्याय के रूप में:

☉ भारतीय दर्शन में 'धर्म' जगत को धारण करता है अर्थात् धर्म ही संसार का आधार है। जब न्याय (धर्म) का पतन होता है, तब मानवता एक अस्तित्वगत संकट (युगांत) का सामना करती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

❖ न्याय से वंचित करने के परिणाम:

☉ फ्राँसीसी क्रांति (1789): राजतंत्र आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप समाज का हिंसक पुनर्गठन हुआ।

☉ भारत का विभाजन (1947): समुदायों के बीच राजनीतिक न्याय और सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने में विफलता के कारण इतिहास के सबसे त्रासद प्रवासों में से एक के रूप में घटित हुआ।

❖ पुनर्स्थापनात्मक न्याय और उपचार (Restorative Justice and Healing):

☉ दक्षिण अफ्रीका का सत्य और सुलह आयोग: रंगभेद के बाद केवल दण्ड पर नहीं, बल्कि न्याय के माध्यम से पीड़ितों और अपराधियों दोनों की मानवीय मूल्यबोध की पुनर्स्थापना पर बल दिया गया।

☉ न्यूरेबर्ग ट्रायल्स: यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि मानवता के विरुद्ध अपराधों के संदर्भ में 'आदेशों का पालन करना' कोई वैध औचित्य नहीं माना जा सकता क्योंकि न्याय किसी भी प्रशासनिक या पदानुक्रमिक बाध्यता से ऊपर होता है।

समकालीन उदाहरण:

❖ जलवायु न्याय (CDBR):

☉ सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ: 'साझा लेकिन विभेदित दायित्व' का सिद्धांत— ग्लोबल साउथ का तर्क है कि न्याय के बिना मानवता जलवायु परिवर्तन की समस्या से नहीं निपट सकती; अर्थात् विकसित देशों को अपने ऐतिहासिक उत्सर्जनों के लिये कीमत चुकानी चाहिये।

❖ आर्थिक असमानता:

☉ सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) पर बहस: AI और स्वचालन के युग में आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना मानव गरिमा की रक्षा एवं सामाजिक पतन को रोकने की एक आवश्यक शर्त बनता जा रहा है।

❖ डिजिटल अधिकार:

☉ एक मूल अधिकार के रूप में निजता (पुट्टास्वामी निर्णय) का अधिकार: डिजिटल युग में न्याय का अर्थ अपने व्यक्तिगत आँकड़ों और डिजिटल पहचान पर व्यक्ति के नियंत्रण की मान्यता से भी है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

